मंगलवार,
२ दिसंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

मंगलवार २ दिसम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**सभापति महोदय** (**श्री हरि विनायक पटस्कर**) अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण

श्री मुकने यशवन्तराव मार्तण्डराव

थाना—रक्षित—अनुसूचित जनजातियां)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

क्षेप्य गंधकीय गैसें

*८२१. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) तांबा उत्पादन कारखानों में क्षेप्य गंधकीय गैसों का उपयोग करने का क्या कोई प्रयास किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेप्य का उपयोग करने के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख)। इंडिया कॉपर कॉरपोरेशन के कारखाने में क्षेप्य गंधकीय गैसों के उपयोग के प्रश्न पर चतुर्थ लक्ष्य कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीका से प्राप्त विशेषज्ञ की सहायता से खोज की गई थी। गंधकीय गैसों को गंधक के तेज़ाब में परिणित करने की एक योजना उक्त कम्पनी इंग्लैंड से बुलाए गये अपने विशेषज्ञ के परामर्श के साथ तैयार कर रही है तथा सरकार इस खोज की प्रतीक्षा कर रही है।

सरदार हुक्म सिंह : इस योजना के कब तक तैयार हो जाने की आशा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इसलिये कोई निश्चित तिथि बतलाने में असमर्थ हूं कि यह कम्पनी के निर्णय करने की बात है कि इस योजना में जो वित्तीय व्यय होगा उसे वहन करने के लिये वह तैयार है अथवा नहीं।

सरदार हुक्म सिंह : गत चार वर्षों में, अथवा कम से कम गत एक वर्ष में, गंधक का प्रतिदिन औसत क्षेप्य कितना प्राक्कलित किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : गत चार वर्षों के प्रतिदिन औसत क्षेप्य की प्राक्कलित मात्रा मैं नहीं बतला सकता। किंतु इस समय के प्राक्कलन के अनुसार लगभग ३५ टन गंधक प्रतिदिन क्षेप्य होती है जिसमें से २७ टन तो वायु में नष्ट हो जाती है और ७ टन संयत्र की छानस में।

सरदार हुक्म सिंह : प्रेसीडेंट ट्र्यूमेन के चतुर्थ लक्ष्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आमंत्रित किए गए विशेषज्ञ ने क्या कोई ठोस प्रस्ताव दिए हैं और उसके निदान के अनुसार हम इस क्षेप्य में से कितना बचा सकते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : विशेषज्ञ श्री हिलियन, को स्थानीय कच्चे माल से गंधक का उत्पादन करने के संबंध में हमें मंत्रणा देने को बुलाया गया था तथा गटसिला

में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के कारखाने में क्षेप्य गैसों के उपयोग पर उनके द्वारा खोज करना तो प्रासंगिक था। उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे कि इन गैसों को गंधक के तेजाब में परिणित किया जा सकता है तथा कदाचित् टाटा प्लान्ट में प्रयुक्त किया जा सकता है जो अधिक दूर नहीं है। किंतु बात ऐसी है कि टाटा कम्पनी की गंधक का तेज़ाब बनाने की अपनी निजि योजना है और जब तक कि उसे यह विश्वास नहीं दिला दिया जाता कि इन गैसों का उपयोग उसकी योजना से सस्ता होगा, उसे इसमें कोई रुचि नहीं हो सकती थी। हम मामले में अभी बहुत आगे नहीं बढ़े हैं और इसलिये इस प्रक्रम पर लागत प्राक्कलित नहीं कर सके हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस विशेषज्ञ द्वारा दिए गए सुझावों पर खुद इस उद्योग के विशेषज्ञों ने विचार किया है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो मुझे नहीं मालूम कि उद्योग के खुद के विशेषज्ञ ने श्री हिलबर्न के प्रस्ताव की जांच की या नहीं किंतु वह इस मामले पर इस उद्योग को मंत्रणा अवश्य दे रहा है।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं कि यह आकलन किया गया कि गटसिला तांबे के कारखाने की गंधकीय गैसों से कितना गंधक का तेजाब तैयार किया जा सकता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : विशेषज्ञों ने हमें कोई निश्चित आंकड़े नहीं दिए हैं यद्यपि उनका कहना है कि यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकता है।

श्री ए० सी० गुहा : क्या उन्होंने यह भी आगणन किया है कि लागत को देखते हुए प्राप्ति लाभयुक्त होगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वास्तव में यह चीज़ विवादग्रस्त है। यदि हम टाटा कम्पनी से यह कह सकें कि गंधकीय गैसों से गंधक के तेज़ाब का उत्पादन स्वयं उसके द्वारा किए जाने वाले गंधक के तेज़ाब से सस्ता होगा तो शायद इस उपक्रम में हम उसकी रुचि उत्पन्न कर सकें।

श्री बी० एस० मूर्ति : यह खोज कब हाथ में ली गई थी और इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा मैंने बतलाया, चतुर्थ लक्ष्य के अन्तर्गत विशेषज्ञ द्वारा की गई जांच प्रासंगिक थी। यह सन् १९५१ के उत्तरार्ध में किसी समय की गई थी। स्वयं कम्पनी के विशेषज्ञ द्वारा जो खोज की जा रही है वह एक ऐसा मामला है जिसके संबंध में मैं उत्तर नहीं दे सकता।

श्री ए० सी० गुहा : इस चीज़ की अत्यन्त महत्ता तथा अनुपलब्धता की दृष्टि में, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार अपनी सारी योजना इसके आर्थिक पहलू पर आधारित कर रही है अथवा लागत यदि कुछ अधिक भी हो तो भी वह योजना को कार्यान्वित करेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य के प्रश्न में कई कल्पना आधारित बातें हैं। माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि जब मैं इतनी सूचना दे सका हूं तो निश्चय ही सरकार ने इस मामले पर अच्छी तरह विचार किया है तथा वास्तव में इसमें रुचि रखती है। कई ऐसी दिक्कतें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं।

पाकिस्तान में छूटी हुई सम्पत्ति के लिए क्षतिपूर्ति

***८२२. सरदार हुक्म सिंह** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विस्थापित व्यक्तियों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी हुई संपत्ति के लिए

उन्हें क्षतिपूर्ति देने की मात्रा तथा भुगतान की विधि अभी निर्णीत हुई है अथवा नहीं ;

(ख) यदि हो चुकी है तो जांच कर लिए गए दावों का कितना प्रतिशत विस्थापित व्यक्तियों को दिया जाए गा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख) । क्षतिपूर्ति योजना अभी तैयार हो रही है । इस समय यह नहीं बतलाया जा सकता कि दावों का कितने प्रतिशत क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि यह तय कर लिया गया है किन साधनों से यह क्षतिपूर्ति दी जाएगी ?

श्री ए० पी० जैन : समस्त योजना विचाराधीन है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि अंतर-राज्यीय सम्मेलन द्वारा कोई सिफारिशें दी गई थीं और क्या उन सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : उक्त सम्मेलन ने सिफारिशें की हैं किंतु उन्हें प्रकाशित नहीं किया जा सकता ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि श्री गोपालस्वामी आयंगर द्वारा १९४९ में एक सम्मेलन में किए गए इस प्रस्ताव पर सरकार अब भी दृढ़ है कि सरकार भी इसमें कुछ भाग अपनी ओर से मिलाएगी ?

श्री ए० पी० जैन : जो भी वादे किए गए हैं, जब तक कि उन्हें निरसित न कर दिया जाए, उन्हें पूरा किया जाएगा ।

श्री गिडवानी : योजना को अन्तिम रूप दिया जाने से पूर्व क्या उसे टेक चन्द समिति तथा विस्थापित व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के सम्मुख रक्खा जाएगा ?

श्री ए० पी० जैन : यह विस्थापित व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के सम्मुख नहीं रक्खी जाएगी ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि पाकिस्तान को जो हमने लिखा था उसका उत्तर प्राप्त हो चुका है ?

श्री ए० पी० जैन : अभी तक न हीं ।

विदेशी प्रसारण संगठनों के लिए कार्यक्रम सामग्री

*८२३. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१-५२ में विदेशी प्रसारण संगठनों से अखिल भारतीय रेडियों को यह प्रार्थना प्राप्त हुई थी कि उन्हें अपने यहां के उपयोग के लिये कार्यक्रम सामग्री दी जाए ?

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों से ये प्रार्थनाएं आईं थीं और उन्हें क्या सामग्री दी गई ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना दर्शाते हुए एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या]**

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सभी देशों से प्राप्त प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई हैं अथवा कुछ ही देशों को कार्यक्रम भेजे गए हैं ?

डा० केसकर : अधिकतर प्रसारण संगठनों में आपस में कार्यक्रम बदलने का समझौता है । यह आपसी निर्णय का मामला है । यह किसी के प्रार्थना करने और हमारे अस्वीकार करने का प्रश्न नहीं है । सामान्यतः हमारे कार्यक्रम को किसी को देने से इंकार करने का बहुत कम कारण होता है ।

कोई प्रार्थना प्राप्त होने पर हम अपने कार्यक्रमों को देने को फौरन तैयार हो जाते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या अन्य देशों के साथ नियमित रूप से कार्यक्रम का विनिमय करने का कोई प्रबन्ध है अथवा केवल एक विशिष्ट काल के लिए ही समझौता किया जाता है ?

डा० केसकर : कोई नियमित समझौता नहीं है । समय-समय पर विभिन्न देशों से प्रार्थनाएं प्राप्त होती रहती हैं कि वे संगीत तथा वार्ताओं के कुछ कार्यक्रमों का विनिमय करना चाहते हैं । सामान्यतः यह बात स्वीकार्य होती है । यह ऐसा विषय नहीं है कि जिस पर मतभेद होने की गुंजाइश हो ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या हमने अन्य देशों से कोई कार्यक्रम बदलने की प्रार्थना की है ?

डा० केसकर : जी हां ।

सरदार हुक्म सिंह : वे कौन-कौन से देश हैं ?

डा० केशकर : जिन देशों का कि विवरण में जिक्र किया गया है उनसे हमने संगीत आदि के रेकार्ड बदले हैं । इनके अतिरिक्त नीदरलड्स, कनाडा, आस्ट्रेलिया, जरमनी, स्वीडेन, सीरिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, बर्मा और इंडोनीशिया से भी रेकार्डों के बदलने का समझौता है ।

जूट की मिलों का आधुनिकीकरण

*८२४. **डा० राम सूभग सिंह :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ११ जुलाई, १९५२ को पूछे गये प्रश्न संख्या १६७६ के भाग (ग) और (घ) की ओर निर्देश करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत की जूट की मिलों का आधुनिकीकरण करने वाली योजना अब तैयार हो चुकी है ?

(ख) यदि हां, तो जूट उद्योग का पूर्ण आधुनिकी करण करने में कितना समय लगेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार यह समझती है कि जूट उद्योग की विद्यमान मशीनों के बड़े भाग को बदलने की आवश्यकता है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार की सूचना यही है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार को इस बात का कुछ अंदाज़ है कि मशीनों और संयंत्र को बदलने में कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न का गत सत्र में उत्तर दिया गया था । प्राक्कलन ७० करोड़ से १२० करोड़ रुपये तक लगाया गया है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह सत्य नहीं है कि यूरोप के देशों में अभी हाल में स्थापित जूट फैक्टरियां हमसे कम लागत पर जूट उत्पादित कर रही हैं क्योंकि हमारी मशीनें पुराने प्रकार की हैं और घिस चुकी हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार की सूचना यही है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सत्य है कि भारत में जट के उत्पादन की लागत अपेक्षाकृत अधिक है और यदि हां, तो अच्छी मशीनों आदि के द्वारा उत्पादन लागत कम करने के लिये सरकार का क्या पग उठाने का विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भारत में लागत इसलिए अधिक है कि मशीनें

पुरानी पड़ चुकी हैं और उसे चलाने के लिए अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है । हमें बतलाया गया है कि यदि आधुनिक मशीनें प्रतिस्थापित की जाऐं तो श्रम में ३० प्रतिशत की बचत की जा सकती हैं । कुछ मिलों ने संयन्त्र का आधुनिकीकरण कर लिया है किंतु उनकी संख्या बहुत थोड़ी है । संयन्त्र के आधुनिकीकरण करने के प्रश्न पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा था तथा उद्योग के साथ विमर्श हो रहा है । सरकार को दूसरे पहलू अर्थात् मज़दूरों की छंटनी पर भी विचार करना है ।

श्री सारंगधर दास : इस बात की दृष्टि में कि यूरोप तथा अमरीका में अत्यन्त आधुनिक मिलें स्थापित की जा रही हैं, क्या सरकार यह समझती है कि भारत में निर्मित जूट के माल की मांग इतनी नहीं रहेगी और निकट भविष्य में ही हमारी मिलों को बन्द कर देना पड़ेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो सदा ही होता है । कोई हमसे अधिक सस्ता बना सकता है । वह हम से प्रतियोगिता करेगा । और यही हो रहा है--यूरोप के कारख़ाने संसार के बाज़ारों में भारतीय मिलों से प्रतियोगिता कर रहे हैं ।

पच्छिमी बंगाल सरकार को पुनर्वासन ऋण

*८२५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान में भारत सरकार ने पच्छिमी बंगाल सरकार को पूर्वी बंगाल के विस्थापितों को पुनर्वासित करने के लिये कितना ऋण दिया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : ३१ अक्टूबर, १९५२ तक २,४९,४०,३५० रु० ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस ऋण का किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा ?

श्री ए० पी० जैन : शिक्षा ३,१४,००० रु० । गृह-निर्माण (देहाती) ५३,५१,२२५ रु० । गृह-निर्माण (शहरी) २४,६७,४५० रु० । व्यापार (देहाती) १४,४७,०९३ रु० । व्यापार (शहरी) ३७,०२,३५० रु० । कृषि ३३,६८,२३२ रु० । तत्कालिक आवश्यकताऐं २०,००,००० रु० । हन्ना-बैगाची ३५,००,००० रु० । अग्रिम (पाइलौट) योजना २८,००,००० रु० ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह सत्य है कि जब यह ऋण विस्थापितों में बांटा जाता है तो किश्तों में उन्हें दिया जाता है और दो किश्तों के बीच का काल सामान्यतः १८ मास और कभी कभी दो वर्ष होता है ?

श्री ए० पी० जैन : जहां तक केन्द्र का संबंध है, कोई शर्तें नहीं लगाई गई हैं कि ऋण एक साथ दिया जाय अथवा किश्तों में । यदि राज्य सरकार एक ही राशि में ऋण देना उचित समझती है तो वह ऐसा करती है, जब वह किश्तों में देना अधिक अच्छा समझती है तो वैसा करती है ।

श्री ए० सी० गुहा : राज्य सरकार को यह निदेश कब दिया गया था ?

श्री ए० पी० जैन : प्रारम्भ में ही ।

डा० राम सुभग सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि इन ऋणों पर विभिन्न कार्यों के लिये एक ही ब्याज की दर है और क्या उन्हें एक ही समय पर वसूल किया जाएगा ?

श्री ए० पी० जैन : ऋणों की वसूली एक ही समय पर नहीं की जाएगी । जिन योजनाओं के लिये ऋण स्वीकृत किए

जाते हैं उनमें लगने वाले समय के अनुसार ही उनकी वसूली की जाती है । जहां तक ब्याज की दर का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि मामूली सा अन्तर है, किन्तु मुझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि जिन ज़मीनों पर विस्थापितों के मकान बनाए गए हैं उन ज़मीनों को विनियमित करने के लिये कितना रुपया व्यय किया जा चुका है ?

श्री ए० पी० जैन : मैं ने बतलाया कि अग्रिम योजना के अन्तर्गत २८ लाख रुपये केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को दिए गए हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात की दृष्टि में कि अनेक लोग भाग जाते हैं, केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या क़दम उठा रही है कि कोई भी रुपया बर्बाद न जाए ?

श्री ए० पी० जैन : इस बात का प्रत्येक सम्भव ध्यान रखा जाता है कि शरणार्थी वहां बस जायें । परिवारों के प्रमुखों की फोटो ली जाती है, अलग-अलग कार्ड तैयार किए जाते हैं तथा घर-घर का पर्यवेक्षण किया जाता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैंने यह नहीं पूछा था कि आप क्या पुलिस कार्यवाही कर रहे हैं । मैं जानना चाहती हूं कि वास्तविक कारण क्या है कि शरणार्थी स्वयं को पुनर्वासित नहीं कर पाते ?

श्री ए० पी० जैन : मैंने तो कभी नहीं समझा था कि फोटो लेना 'पुलिस कार्यवाही' करना है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हम पूनर्वास के बारे में जानना चाहते हैं ।

श्री ए० पी० जैन : विभिन्न प्रकार के मामले हैं । कभी कभी स्वयं विस्थापित लोग अपने पुनर्वास का गंभीर प्रयत्न नहीं करते । कभी-कभी योजना में कहीं-कहीं कोई कमी निकल आती है जिसे हम ठीक करने का प्रयत्न करते हैं ।

श्री गिडवानी : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रति परिवार औसतन कितना ऋण दिया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : जब तक कि विशिष्ट वर्ग न बतलाया जाए, मैं इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं ।

श्री ए० सी० गुहा : कृषिक परिवार को तथा शहरी परिवार को ।

श्री गिडवानी : न्यूनतम कितनी राशि दी गई है ?

श्री ए० पी० जैन : श्रीमान्, मैं दो माननीय सदस्यों को एक साथ उत्तर नहीं दे सकता ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री गिडवानी अपना प्रश्न रखें ।

श्री गिडवानी : एक विस्थापित परिवार को पुनर्वास के लिए न्यूनतम कितनी राशि दी गई है ?

श्री ए० पी० जैन : किस वर्ग के विस्थापितों को ?

श्री ए० सी० गुहा : मैंने पूछा था कि कृषक तथा शहरी परिवार को ?

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि यह सब अधिकतर प्रश्न के बाहर की चीज़ें हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या पच्छिमी बंगाल सरकार ने विस्थापितों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार से और ऋण की मांग की है ?

श्री ए० पी० जैन : पच्छिमी बंगाल सरकार समय-समय पर ऋण मांगती रही है और उसे दिए भी जा रहे हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : उसे कुल कितनी सहायता की आवश्यकता है ?

श्री ए० पी० जैन : उनकी योजनाएं समय समय पर आती रहती हैं और यह कहना कठिन है कि वर्ष भर के लिए उसकी कुल कितनी आवश्यकता होगी ।

हिमालय आरोहण

* ८२६. **श्री पी० टी० चाको** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में कितने हिमालय आरोहण हुए ;

(ख) अब तक सबसे अधिक कितनी ऊंचाई पर पहुंचा जा सका है और कौन पहुंचा है ; और

(ग) क्या सरकार ने विदेशी आरोहणों को कोई प्रोत्साहन दिया है ?

वैदेशिक कार्य उप मंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) क्रमशः पहली अक्टूबर, १९५१ तथा २४ जुलाई, १९५२ को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या १४६१ और २०९४ के उत्तर में बतलाए गए आरोहणों के अतिरिक्त १९५२ में निम्नोक्त आरोहण और हुए थे :

(१) गंगोत्री के दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व के क्षेत्र में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आरोहण ।

(२) नेपाल में गौरी शंकर पर ब्रिटिश आरोहण ।

(३) नेपाल में जापानी आरोहण ।

(४) प्रोफेसर टुक्की का नेपाल में इटैलियन आरोहण ।

(५) नेपाल में एवरेष्ट पहाड़ पर स्विस आरोहण (दूसरा) ।

(ख) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) आरोहियों द्वारा आयात किए गए साज सामान पर कोई बहि-शुल्क नहीं लिया गया था, शर्त केवल यह थी कि इस सामान को एक निश्चित अवधि में पुनः निर्यात कर दिया जाए ।

श्री पी० टी० चाको : क्या मैं जान सकता हूं कि किसी भारतीय ने एक आरोहण संगठित करने के लिए सरकारी सहायता मांगी है ?

श्री अनिल के चन्दा : जी नहीं, हमारी जानकारी में तो किसी ने नहीं मांगी है ।

श्री बूवराथसामी : सन् १९५१ और १९५२ के आरोहणों में कितनी मृत्युऐं हुईं ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमें कोई सूचना नहीं है ।

सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाएं

(विदेशों में अध्ययन)

* ८२७. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ।

(क) सन् १९५०, १९५१ तथा १९५२ में सिंचाई तथा विद्युत इंजीनीयरिंग और बहुमुखी परियोजनाओं के अध्ययन तथा सम्मेलनों के लिये अमरीका और इंग्लैंड को कुल कितने इंजीनियर और टेकनीशियन भेजे गए ; और

(ख) रूस में सिंचाई तथा जल विद्युत विकास का अध्ययन करने के लिये

वहां सरकार ने किसी को भेजा है, और यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ?

सिंचाई तथा विद्युत उप मंत्री (श्री हाथी): (क) दो राज्य सरकारों के उम्मीदवारों को छोड़कर ६९ । इन दोनों राज्यों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन पटल पर रक्खी जाएगी ।

(ख) कोई नहीं ।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं जान सकता हूं कि अमरीका और इंग्लैंड में हुए सम्मेलनों में तथा विद्यार्थियों पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री हाथी : सम्मेलनों पर केवल ६००० रु० खर्च किए गए हैं । जहां तक विद्यार्थियों पर किए जाने वाले व्यय का संबंध है, यह राज्य सरकारों से सूचना संकलित करने का प्रश्न है तथा आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं ।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात में कोई राजनीतिक दृष्टिकोण निहित है कि सोवियत रूस को अभी तक कोई विद्यार्थी नहीं भेजा गया है ?

श्री हाथी: जी नहीं ।

श्री वी० पी० नायर: इस बात की दृष्टि में कि वाल्गा-डोन परियोजनाऐं संसार में सर्वोत्तम सिद्ध हुई हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को इस योजना का अध्ययन करने के लिये रूस भेजने को कोई क़दम उठाया है ।

श्री हाथी : हमें कोई सूचना नहीं है । मैं यह भी बतला दूं कि दोनों देशों के मध्य कोई पारस्परिक समझौता नहीं है तथा माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट किए गए देश में कोई प्रशिक्षार्थी नहीं भेजा गया है ।

श्री टी० एन० सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि बाहर भेजे गए इंजीनियरों में से कितने सी० डबल्यू० आई० एन० सी० के हैं और कितने अन्य संगठनों के ?

श्री हाथी : कुछ ६९ इंजीनियर भेजे गए हैं और सी० डबल्यू० आई० एन० सी० के इंजीनियरों की संख्या १४ है ।

पंडित लिंगराज मिश्र : क्या यह सत्य है कि सोवियत रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ के टेकनीकल सहायता कार्यक्रम में सहयोग देने से इंकार कर दिया था ?

श्री हाथी: जहां तक मुझे विदित है, वह इस कार्यक्रम में अंशदान नहीं दे रहा है ।

श्री पी० टी० चाको : क्या में जान सकता हूं कि ईक्वेडर को कोई विद्यार्थी क्यों नहीं भेजा जाता है ?

एशियाई समस्याओं पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

* ८२८. **श्री एस० एन० दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि अभी हाल में न्यूयार्क में एशियाई समस्याओं पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या इस सम्मेलन के समायोजन में भारत का कोई हाथ था ;

(ग) क्या भारत किसी प्रकार इस सम्मेलन से संबंधित था, और यदि हां, तो किस प्रकार ; और

(घ) सम्मेलन में किन किन समस्याओं पर चर्चा हुई तथा क्या निर्णय लिए गए ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) भारत का वैसे तो कोई प्रतिनिधित्व नहीं था किंतु अमरीका में रहने वाले कुछ भारतीय इस सम्मेलन से संबंधित थे ।

(घ) उपनिवेशवाद, एशिया में स्त्रियों का दर्जा, एशिया में युवक आंदोलन, शैक्षिक समस्याएं तथा सुधार, पुनर्वास तथा टेकनीकल सहायता, विदेशी व्यापार तथा विनियोजन सांस्कृतिक मामले इत्यादि विषयों पर इस सम्मेलन में चर्चा हुई थी ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं उन राष्ट्रों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था जिनके कि उपनिवेश एशिया में हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह गैर-सरकारी सम्मेलन था और कोई भी पदाधिकारी इसमें सम्मिलित नहीं था ।

श्री एस० एन० दास : सम्मेलन का समायोजक कौन था ?

श्री अनिल के० चन्दा : संयुक्त राज्य अमरीका की एशियाई संस्था ।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं जान सकती हूं कि स्त्रियों के दर्जे के विषय पर भारत का कोई प्रतिनिधित्व क्यों नहीं था ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमें इस सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं उक्त संस्था की रचना जान सकता हूं ? इस संस्था में क्या एशिया के किन्हीं देशों का प्रतिनिधित्व है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे इस संस्था की रचना के संबंध में कोई सूचना नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार को कोई आमंत्रण भेजा गया था और भारत सरकार ने कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं भेजा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं नहीं समझता कि जब कोई प्राइवेट व्यक्ति या संस्था कोई सम्मेलन करती है तो भारत सरकार अथवा किसी भी सरकार को इससे क्या करना है ?

राजियक व्यापार

*८२९. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि युद्ध-काल में किन-किन वस्तुओं के सम्बन्ध में आवश्यकता के कारण, राज्यिक व्यापार अपनाया गया था ?

(ख) ऐसी कौन कौन सी वस्तुयें हैं जिन पर अब भी राज्यिक व्यापार चल रहा है तथा उसके परिणाम ?

(ग) किन दशाओं और परिस्थितियों में सरकार किसी वस्तु विशेष पर राज्यिक व्यापार लागू करती है ?

(घ) हाल के वर्षों में कुछ वस्तुओं पर से क्रमशः राज्यिक व्यापार हटा लेने का क्या कारण है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक सूची सदन पटल पर रक्खी जाती है । [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २**]

(ख) इस्पात, खाद्यान्नों तथा उर्वरकों पर अब भी किसी सीमा तक राज्यिक व्यापार किया जाता है । परिणाम संतोषजनक रहे हैं ।

(ग) तब जब कि किसी सारभूत वस्तु के प्रदाय में कमी आ जाती है और सरकार यह समझती है कि उचित मूल्यों पर अन्यथा उस वस्तु का समुचित वितरण नहीं हो सकता ।

(घ) संकटकालीन अवस्था समाप्त हो जाने के कारण।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना का वाणिज्यिक आधार पर समर्थन नहीं होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि मेरे मंत्रालय में किसी ने इस बात पर अपना दिमाग़ नहीं लगाया है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का इन योजनाओं को पुनर्विलोकित करने का कोई इरादा था और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इन योजनाओं पर समय-समय पर पुनर्विलोकन होता रहता है तथा वे सरकार द्वारा निर्धारित नीति जिसे कि इस सदन ने स्वीकार कर लिया है के अनुसार चल रही हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रयोजन के लिये किसी समिति का निर्माण हुआ है और यदि हां, तो वह समिति अभी किस प्रक्रम पर है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कोई समिति नहीं निर्मित की गई है।

श्री दामोदर मेनन : माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि राज्यिक -व्यापार का परिणाम संतोषजनक था। क्या मैं जान सकता हूं कि उनका तात्पर्य यह था कि सरकार लाभ प्राप्त कर सकी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इसमें या किसी भी अन्य विषय में सरकार का कार्य तब संतोषजनक समझा जाता है जब कि उसके काम से सर्वसाधारण को संतोष हो। ऐसे मामलों में सरकार के हाथ डालने में मुख्य लक्ष्य लाभ का नहीं होता है।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि कौन-कौन सी राज्यिक व्यापार योजनाओं में पदाधिकारियों के भ्रष्ट अथवा अक्षम होने के कारण सरकार को आर्थिक हानि हुई है तथा १५ अगस्त, १९४७ के पश्चात् से सरकार को कुल कितनी हानि सहनी पड़ी है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य मुझे यह बतलायें कि किन योजनाओं में उनके विचार से पदाधिकारियों में भ्रष्टाचार होने के कारण सरकार को हानि हुई है, तो मैं कदाचित उनके प्रश्न का उत्तर दे सकूंगा।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि राज्यिक व्यापार योजना के लिये जो इस्पात समीकरण निधि है उसके आधार को पुनरीक्षित करने का सरकार का कोई विचार है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस्पात समीकरण निधि चालू है क्योंकि इस्पात का आयात अब भी सरकार द्वारा नियंत्रि है तथा देश की मिलों के इस्पात का वितरण भी सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : ३१ मार्च, १९५० को ९३,०७,०६७ रु० का स्टॉक था। क्या मैं जान सकता हूं कि यह मूल्यांकन किस आधार पर किया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कौन सा स्टॉक ?

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : उर्वरकों का क्रय ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा।

राज्यिक व्यापार समिति का प्रतिवेदन

* ८३०. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह

बतलाने की कृपा करेंगे कि आयात और निर्यात की किन-किन वस्तुओं के सम्बन्ध में राज्यिक व्यापार समिति ने राज्यिक व्यापार की अथवा उन पर आयात और निर्यात कर लगाने की सिफ़ारिश की है ?

(ख) अब तक उक्त समिति की सिफ़ारिशों पर किस सीमा तक अमल हुआ है तथा राज्यिक व्यापार निगम की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सन् १९४९ में स्थापित राज्यिक व्यापार समिति न आयातों के बारे में खाद्यान्नों, उर्वरकों, इस्पात तथा पूर्वी अफ्रीकी कपास पर राज्यिक व्यापार की सिफ़ारिश की थी और निर्यातों के बारे में कोयला, छोटे रेशे की रुई तथा कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर ।

इस समिति ने किसी वस्तु विशेष पर आयात या निर्यात कर लगाने की रिफ़ारिश नहीं की ।

(ख) राज्यिक व्यापार समिति की सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और यह समझा गया कि बाद में होने वाले परिवर्तनों, विशेषकर भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मंदी आने तथा अनिश्चित प्रवृत्तियों के प्रकाश में उन्हें पुनर्विलोकित किया जाये । तदनुसार, समस्या की अग्रेतर जांच करने के लिये एक छोटी सी समिति बिठाई गई है जो अपना प्रतिवेदन इस वर्ष के अन्त तक दे देगी ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या मैं जान सकता हूं कि आयात अथवा निर्यात कर लगाने से किसी प्रकार राज्यिक व्यापार के लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक मैं समझता हूं, नहीं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि यह देखते हुए कि सिन्द्री फैक्टरी में उत्पादन प्रारम्भ हो गया है, राज्यिक व्यापार योजना में कोई परिवर्तन किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे केवल यह परिवर्तन विदित है कि भारत सरकार को अब सुपर फोस्फेट्स के वितरण में कोई रुचि नहीं है । मुझे यह नहीं मालूम कि सिन्द्री फैक्टरी में उत्पादन प्रारम्भ होने के परिणामस्वरूप खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने उर्वरकों के सम्बन्ध में राज्यिक व्यापार की उपयोगिता की जांच करना आवश्यक समझा है या नहीं ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह सत्य नहीं है कि राज्यिक व्यापार समिति ने जूट के माल के सम्बन्ध में भी राज्यिक व्यापार करने की सिफ़ारिश की थी और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रश्न की जांच की है तथा कोई निर्णय किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा मैं ने बतलाया, गिरते हुए बाज़ार के कारण सरकार इस मामले पर तथा इससे सम्बन्धित अन्य मामलों पर विचार नहीं कर सकी है ?

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन का यह दावा सत्य है कि इन ट्रैक्टरों द्वारा भूमि-उद्धार करने से कम से कम १० मन प्रति एकड़ वृद्धि खाद्यान्नों में होगी और क्या यह लक्ष्य प्राप्त किया गया है ? मुझे ज्ञात हुआ है कि इन ट्रैक्टरों द्वारा ४ लाख एकड़ ज़मीन का उद्धार किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन राज्यिक व्यापार नहीं करता । जो भी हो, यह प्रश्न सम्बन्धित विभाग से पूछा जाना चाहिये ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : इस बात की दृष्टि में कि सरकार गिरते हुए बाज़ार तथा

बाद के अन्य परिवर्तनों पर विचार कर रही है, क्या मैं जान सकता हूं कि आंतरिक बाज़ार के लिये सरकार का राज्यिक व्यापार करने का कोई विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय तो नहीं है ।

कोका-कोला की सामग्री का आयात

* ८३१. **प्रो० अग्रवाल** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१-५२ में अमरीका से कोका-कोला की सामग्री आयात करने में कुल कितनी डालर विनिमय-मुद्रा व्यय की गई ?

(ख) भारत में कोका-कोला बनाने वाली फ़र्म के मुख्य हिस्सेदार कौन कौन हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १३१,३००.०० डालर ।

(ख) जहां तक सरकार को पता है, दो हिस्सेदार हैं, श्री मोहन सिंह तथा श्री दलजीत सिंह ।

प्रो० अग्रवाल : क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें केवल भारतीय पूंजी ही लगी हुई है अथवा अमरीकी पूंजी भी विनियोजित है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक सरकार की सूचना है, उसे कोई अमरीकी पूंजी विनियोजित होने का ज्ञान नहीं है ।

प्रो० अग्रवाल: क्या भारत सरकार की ओर से कई वर्षों तक कोका-कोला सामग्री आयात करने सम्बन्धी कोई संविदा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि सरकार किसी चीज़ को कुछ वर्षों तक आयात करने सम्बन्धी संविदे नहीं किया करती है । यह हो सकता है कि कोई आपसी समझौता हो, किन्तु सरकार इस प्रकार के संविदे नहीं करती ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि अमरीकी फ़र्म को उसकी विधि के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई भुगतान किया जाता है जैसे रायल्टी आदि का ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास यह सूचना नहीं है । यदि माननीय सदस्य अलग से प्रश्न पूछें तो मैं जांच करके पता लगाने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि कोका-कोला द्वारा देश की कौन सी विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति हो रही है ?

श्री नटेशन : सामान्यतः आयातकों के लिये डालर पाना कठिन है । क्या मैं जान सकता हूं कि कोका-कोला वालों को कोका-कोला के आयात के लिये इतने डालर किस प्रकार मिल गये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कभी कभी मैं भी इसी प्रकार आश्चर्य किया करता हूं जिस प्रकार कि माननीय सदस्य ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि कोका-कोला, जिस पर विदेशी मुद्रा के लाखों डालर ख़र्च किये जाते हैं, देश की खाद्यान्नों की आवश्यकता की कहां तक पूर्ति करता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने इस पहलू पर विचार नहीं किया है ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में इस समय कितना कोका-कोला बनाया जाता है और क्या भारत सरकार ने इस बात की जांच की है इसका देश में बनाये जाने वाले वात-पेय पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रति मास भिन्न भिन्न मात्रा उत्पादित की जाती है ।

दिल्ली फैक्टरी में सितम्बर १९५२ में २४,९३६ दर्जन उत्पादित की गई थीं जब कि बम्बई फैक्टरी में ५३,०६४ दर्जन । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री श्री कान्तन नायर: क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इसमें किसी राजप्रमुख का भी विनियोजन है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को राजप्रमुखों में कोई रुचि नहीं है ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि यह साझेदारी की फ़र्म अथवा जौइन्ट स्टॉक कम्पनी है ? यदि ऐसा है, तो सरकार आसानी से मालूम कर सकती है कि हिस्सेदार कौन-कौन हैं और अमरीकी पूंजी लगी हुई है अथवा नहीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस मामले में सरकार को जो भी सूचना थी वह सब मैं दे चुका हूं । वास्तव में, जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं, यदि यह जौइन्ट स्टॉक फ़र्म है, तब तो वह जौइन्ट स्टॉक कम्पनी के रजिस्ट्रार के पास स्वयं जाकर हिस्सेदारों का नाम मालूम कर सकते हैं ।

पंडित के० सी० शर्मा : क्या यह सत्य नहीं है कि मेरे माननीय मित्र के पूर्ववर्ती ने दिल्ली कोका-कोला फैक्टरी का उद्घाटन किया था और इस प्रकार उस में सरकार की रुचि पैदा कर दी थी ?

सभापति महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता । अगला प्रश्न ।

श्री झुनझुनवाला : श्रीमान्, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? यह चीज़ विलास की वस्तुओं में आती है अथवा आवश्यकताओं में ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा भी माननीय सदस्य समझते हों । यह तो विशुद्धतः वैयक्तिक बात है ।

श्री झुनझुनवाला : मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसे विलास की वस्तु समझते हैं अथवा आवश्यकता की, जिसके अनुसार कि लाइसेंस दिये जाते हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी : क्या महाराजा पटियाला इस फ़र्म से किसी प्रकार सम्बन्धित हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे कोई जानकारी नहीं है ?

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार भविष्य में इसके लिये कम डालर देने का विचार रखती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जब सरकार प्रत्येक उद्योग के लिये डालर की मात्रा निर्धारित करती है उस समय की आवश्यकता देखती है । यदि अधिक डालर उपलब्ध हों तो अधिक लोगों को दिये जायेंगे ; यदि कम उपलब्ध हों तो कटौती कर दी जाती है तथा किसी को वंचित होना पड़ता है ।

सभापति महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री गाडगिल : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? क्या सरकार की नीति भारत में ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करने की है जिस का उपादान कि डालर क्षेत्र से आता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां, कभी-कभी कोई उद्योग आवश्यक होता है । यह प्रत्येक मामले पर उसके गुणावगुणों के अनुसार निर्भर है ।

सभापति महोदय : अगला प्रश्न ।

मकानों की तंगी

*८३२. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गृह-व्यवस्था सम्बन्धी एक पृथक मंत्रालय के बन जाने के पश्चात् से सरकार ने देश में मकान की तंगी का सामना करने के लिये क्या पग उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ख) क्या ग़ैर-सरकारी संगठन इस कार्य में सरकार की सहायता कर रहे हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) भारत में जो मकानों की अत्यन्त तंगी है उसका प्रभाव समाज के एक विस्तृत क्षेत्र पर है—शहरी इलाकों में मध्य-वर्गीय लोगों तथा औद्योगिक मज़दूरों से लेकर देहाती क्षेत्रों तक। स्पष्टतः, यह तो दावा नहीं किया जा सकता कि समस्त समस्या का सामना करने के लिये पग उठा लिये गये हैं। किन्तु प्रारम्भ में सरकार ने आर्थिक साहाय्य औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना बनाई है, जिस की एक प्रतिलिपि १३ नवम्बर, १९५२ को प्रश्न संख्या २५० के उत्तर में सदन पटल पर रक्खी गई थी। इस में औद्योगिक मज़दूरों के लिये राज्य सरकारों, प्राइवेट मालिकों तथा मज़दूरों के सहकारी संगठनों द्वारा मकान निर्माण की व्यवस्था है। गन्दी बस्तियों की सफ़ाई, निम्न आय के वर्ग के लोगों के लिये गृह-निर्माण तथा सामान्यतः गृह-निर्माण की लागत में कमी करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

(ख) जी हां,। ग़ैर-सरकारी संगठन तथा व्यक्ति अपने विचार तथा सुझाव इस सम्बन्ध में भेज रहे हैं कि किस प्रकार देश में मकानों की तंगी का सब से अच्छी तरह सामना किया जा सकता है।

श्री एस० सी० सामन्त श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि देशी राजाओं के मकान लेकर तथा प्राइवेट मकानों को अधिग्रहीत करके उन्हें उठा कर कुछ हद तक मकानों की तंगी की समस्या का समाधान करने के लिये क्या सरकार ने कोई क़दम उठाये हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और क्या सरकार का इरादा इसे जारी रखने का है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है, सरकार ने दिल्ली में देशी राजाओं के मकानों को प्रयोग में ले लिया है और देहली के बाहर भी ले लिया है। जहां तक अधिग्रहण करने का प्रश्न है, सरकार ने जब भी इसे राज्य के हित में समझा है, ऐसा किया है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि रुड़की के भवन गवेषणा प्रतिष्ठान ने मकानों की तंगी दूर करने के मामले में किस प्रकार सहायता की है और क्या सरकार का इसकी प्रादेशिक शाखायें भी खोलने का विचार है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : रुड़की के भवन गवेषणा प्रतिष्ठान ने निश्चय ही अच्छा कार्य किया है और यदि आर्थिक स्थिति ने अनुमति दी तो इसकी कार्यवाहियों में विस्तार किया जायेगा किन्तु अभी से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रादेशिक संस्थायें खोलना सम्भव हो सकेगा या नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार, मिल-मालिकों तथा मज़दूरों के मध्य जो औद्योगिक शान्ति प्रस्ताव हुआ है उसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह इस प्रश्न से नहीं उठता।

श्री एस० सी० सामन्त : यह प्रश्न इस लिये उठता है कि औद्योगिक शान्ति प्रस्ताव में

औद्योगिक क्षेत्रों में मकानों की तंगी को दूर करने की अपेक्षा की गई है तथा सरकार ने इस त्रिदलीय सम्मेलन में भाग लिया था।

सभापति महोदय : मैं समझता हूंकि यह प्रश्न प्रस्तुत प्रश्न के क्षेत्र से बाहर है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली की पूर्व-निर्मित गृह-निर्माण फ़ैक्टरी संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है, और यदि हां, तो यह कितना सामान तैयार कर रही है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जैसा मेरे सहकारी उत्पादन मंत्री ने उस दिन सदन में बतलाया था, अभी इस फैक्टरी ने उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है किन्तु यह अब एक फ़र्म को पट्टे पर दे दी गई है। यह फ़र्म उत्पादन प्रारम्भ करेगी, परन्तु अभी शुरु नहीं किया है।

डा० राम सुभग सिंह : यह किस फ़र्म को पट्टे पर दी गई है ?

सभापति महोदय : इन प्रश्नों में जाना उचित नहीं होगा।

डा० राम सुभग सिंह : प्रश्न समस्त देश की गृह-अवस्था से सम्बन्धित है।

सभापति महोदय : प्रश्न का सम्बन्ध गृह-निर्मा ण फैक्टरी से नहीं है।

श्री टी० एन० सिंह : संचित निधि में से गृह-निर्माण के लिये कुल कितनी राशि दी जायेगी और नदीघाटी परियोजनाओं इत्यादि की तुलना में प्राथमिकता क्रम में यह कहां आता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह अत्यन्त सामान्य प्रश्न है, किन्तु यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य औद्योगिक गृहों से है, तो मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। किन्तु औद्योगिक गृहों के अलावा गृह-निर्माण से भी बहुत हद तक मकानों की समस्या में सुधार होता है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के तथा केन्द्रीय सरकार के भी कार्यक्रम हैं। किन्तु आंकड़े मेरे पास मौजूद नहीं हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि भूमि-दृढ़ीकरण की प्रक्रिया लाभदायक सिद्ध हुई है और यदि हां तो क्या सरकार इस प्रक्रिया के प्रयोग को अपनाने का विचार कर रही है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : भूमि दृढ़ीकरण प्रक्रिया कुछ क्षेत्रों में सफल सिद्ध हुई है किन्तु केवल आंशिक रूप से, और इसकी सफलता स्थान-स्थान पर भिन्न है क्योंकि यह मौसम, तापक्रम के घटाव-बढ़ाव तथा वर्षा पर निर्भर है। भूमि-दृढ़ीकरण के सम्बन्ध में जो सूचना और अनुभव सरकार को प्राप्त हुए हैं उनका वह प्रयोग करेगी।

श्री दामोदर मेनन : माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि सरकार को ग़ैर-सरकारी संगठनों से गृह-निर्माण के सम्बन्ध में योजनायें प्राप्त हो रही हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के पास ऐसे ग़ैर-सरकारी संगठनों को कोई सहायता देने का विचार है जो कि ये योजनायें तैयार कर रहे हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : सरकार उन की सहायता करने को तैयार है।

पंडित सी० एन० मालवीय : क्या मैं जान सकता हूं कि यह गवर्नमेंट के इल्म में है और क्या उस ने इस बात की इनक्वायरी कराई है कि बहुत से मकानात जो गवर्नमेंट के ख़र्चे पर बने हैं ख़ाली पड़े हैं और उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जब कि मकानों की तंगी है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं बहुत मशकूर हूंगा अगर वह मुझे बतलायें कि ऐसे मकानात कहां ख़ाली पड़े हैं, ताकि मैं उनको अलाट कर सकूं।

पंडित सी० एन० मालवीय : भूपाल में स्टेशन के पास गवर्नमेंट के ख़र्च से क़रीब तीन

लाख रुपये लगा कर मकानात बने हुए हैं और वे ख़ाली पड़े हुए हैं ।

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं मालूम करूंगा।

श्री बोगावत : क्या यह सत्य है कि बंगलों के बहुत से बाह्य-घर ख़ाली पड़े हैं अथवा अवैधानिक रूप से किराये पर उठा दिये गये हैं, और क्या सरकार इस पर ध्यान देगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं नहीं समझता कि दिल्ली में कोई भी वाह्य-घर खाली पड़ा है । उल्टे वहां अधिक संख्या में लोग रह रहे हैं।

श्री सारंगधर दास : जब सरकार द्वारा औद्योगिक विकास योजना प्रारम्भ की गई थी तो कितने मकानों के निर्माण का लक्ष्य रक्खा था और उस में से कितने बन चुके हैं ? क्या वह लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जैसा माननीय सदस्य को विदित है, औद्योगिक गृह योजना को कुछ सप्ताह पूर्व ही अन्तिम रूप दिया गया है और कुछ सप्ताह के अल्प काल में ही जादू से तो मकान बन नहीं सकते ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार पहले मकान का निर्माण कब तक कर सकेगी और इस में महीनों, हफ्तों या वर्षों लगेंगे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है क्योंकि मैं समझता हूं कि प्रथम मकान कोई एकांत मकान नहीं होगा वरन् कुछ काल में सैंकड़ों मकान बन कर तैयार हो जायेंगे ।

कपड़ा और सूत (निर्यात)

***८३३. श्री बी० के० दास :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस वर्ष भारत से कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का हथकरघा वस्त्र तथा मिल निर्मित वस्त्र निर्यात किया गया ;

(ख) कुल कितना तथा कितने मूल्य का सूत निर्यात किया गया ; और

(ग) ये निर्यात किन किन देशों को किये गये ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) । तीन विवरण सदन पटल पर रक्खे जाते हैं। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३]

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि सन् १९५२ के लिये सूती वस्त्र तथा सूत का कोई कोटा निर्धारित किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय निर्यात की छूट है ।

श्री राघवय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि निर्यात होने देने से पूर्व इस देश की आवश्यकतायें पूरी करली जाती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां ।

श्री वी० पी० नायर : कल के 'स्टेट्समैन' में है कि अमरीका में जूट के माल का विज्ञापन करने के लिये जूट मिल एसोसियेशन को वाणिज्य विभाग द्वारा २५,००० डालर की राशि दी गई है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात की दृष्टि में कि इस समय लाखों बुनकर बेकार हैं, सरकार ने विदेशों में हथकरघे के माल का विज्ञापन करने के लिये कोई राशि दी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न की सूचना दें तो मैं इसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि हथकरघा मज़दूरों की सहायता के निमित्त सरकार का हथकरघा उद्योग को कोई आर्थिक साहाय्य देने का विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह प्रश्न नहीं उठता । प्रश्न निर्यात के विषय में है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि हथकरघा वस्त्र के लिये विदेशों में कोई सरकारी प्रदर्शन-गृह हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि नहीं हैं।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या यह सत्य है कि मद्रास राज्य में हथकरघा बुनकरों को केवल इतना ही सूत दिया जाता है कि वे मास में दस दिन ही कार्य कर सकें ? यदि हां, तो सूत विदेशों को क्यों निर्यात किया जा रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न ग़लत आधार पर रख कर पूछा गया है। सूत को सूत-विक्रेताओं अथवा सहकारी समितियों द्वारा उठाया ही नहीं जा रहा है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या यह सत्य है कि हाथकरघा बुनकरों को केवल इतना ही सूत दिया जाता है कि वे मास में केवल दस दिन काम कर सकते हैं ?

सभापति महोदय : वह उत्तर दे चुके हैं कि सूत उठाया ही नहीं जाता।

श्री बी० के० दास : पहले सूत निर्यात की नीति अन्य देशों से द्विपक्षीय समझौते के अनुसार थी। क्या मैं जान सकता हूं कि उस नीति में कोई परिवर्तन कर दिया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे अन्य देशों को सूत के निर्यात सम्बन्धी पहले की द्विपक्षीय नीति के विषय में ज्ञात नहीं है। इस समय हमारे पास कुछ क़िस्मों के सूत का बाहुल्य है और केवल उसी सूत के निर्यात की आज्ञा दी जाती है जिसका कि बाहुल्य है।

श्री बी० के० दास : किस-किस नम्बर का सूत निर्यात किया जा रहा है ? क्या सभी नम्बर का सूत निर्यात किया जा रहा है अथवा कुछ निश्चित नम्बरों का सूत निर्यात किया जा रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : १ से ३२ नम्बर तक के सूत की, जनवरी के प्रारम्भ से १५ नवम्बर तक, लगभग ४१,००० गांठें निर्यात की गई हैं। ३३ से ९९ तक के नम्बर की लगभग ७,८९१ गांठें निर्यात की गई हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी हाल में बनी क़ानूगो समिति का वस्त्र तथा सूत के निर्यात से कोई सम्बन्ध है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समिति के निर्देश के पद काफी वृहत हैं और स्वभावतः ही निर्यातों पर यह विचार करेगी।

सरदार हुक्म सिंह : श्रीमान्, औचित्य के एक प्रश्न पर। यह बहुधा देखा गया है कि जब कोई अनुपूरक प्रश्न पूछा जाता है तो मंत्री उसको इस आधार पर समाप्त कर देते हैं कि यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। क्या यह सभापति के निर्णय की बात है कि प्रश्न उठता है या नहीं अथवा उसे स्वयं मंत्री जी ही यह कह कर अस्वीकार कर सकते हैं ?

सभापति महोदय : सभापति को यह निर्णय करने का अधिकार है कि मुख्य प्रश्न की सीमा में वह आता है अथवा नहीं। किन्तु यदि माननीय मंत्री जिन से कि यह प्रश्न पूछा गया है, उत्तर देते समय ऐसा कहते हैं किन्तु यदि सभापति समझता है कि ऐसी बात नहीं है तो वह मंत्री से उत्तर देने के लिये कहेगा। किन्तु यदि पूछा गया अनुपूरक प्रत्यक्ष रूप से ही मुख्य प्रश्न के क्षेत्र के बाहर है और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि ऐसा है तो सभापति के विनिश्चय की प्रतीक्षा करने में प्रश्नावधि का बहुमूल्य समय गंवाने से कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार कोई मंत्री सभापति से उसके अधिकार अपने पास नहीं ले सकता। किन्तु इस से समय की बचत होती है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि हमें अनावश्यक रूप से अधिक समय ख़र्च नहीं करना चाहिये।

सरदार हुक्म सिंह: जब कि कोई मंत्री इस प्रकार अस्वीकृत कर देता है, तो हम सभापति का दृष्टिकोण इस पर जानना चाहते हैं। किन्तु जब हम देखते हैं कि सभापति की ओर से कुछ नहीं आ रहा तो शिष्टाचार के नाते हमें चुप बैठना पड़ता है। क्या यह अधिक अच्छा नहीं होगा कि मंत्री जी सभापति को सम्बोधित करें ?

सभापति महोदय: मैं समझता हूं कि उनका उत्तर सभापति को ही सम्बोधित किया जाता है, प्रश्नकर्ता सदस्य को नहीं।

सामुदायिक परियोजनायें

*८३४. **श्री बी० के० दास:** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्य सरकारों को सामूहिक परियोजनायें कार्यान्वित करने के लिये कितनी-कितनी राशियां दी गई हैं ?

(ख) उन में से कितना भाग ऋण समझा जायेगा और उस पर क्या शर्तें होंगी ?

(ग) अब तक कितना प्रारम्भिक व्यय किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) राज्य सरकारों के अन्तिम रूप से स्वीकृत आयव्ययक सम्बन्धी प्रस्ताव आने तक एक एतदर्थ राशि दे दी गई है जैसा कि सदन पटल पर रक्खे गये विवरण से विदित होगा। [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४.**]।

(ख) राज्य सरकारों के आयव्ययक अंतिम रूप से स्वीकृत हो जाने पर ही ऋण की मात्रा निर्धारित की जायेगी। ऋण की शर्तें विचाराधीन हैं।

(ग) सूचना राज्य सरकारों से मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर सदन पटल पर रक्खी जायेगी।

श्री बी० के० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि टैकनीकल सहकार समझौते के अन्तर्गत इन परियोजनाओं को कोई सामग्री भी दी गई है ?

श्री हाथी: सामग्री उक्त समझौते के अन्तर्गत ही दी जायेगी।

श्री बी० के० दास: यह सामग्री प्रत्येक परियोजना की आवश्यकतानुसार दी जायेगी अथवा कोई निर्धारित कोटा है ?

श्री हाथी: राज्यों को यह निर्णय करना है कि वे प्रत्येक योजना के लिये, क्या कार्यक्रम बनायें। राज्य सरकारें जो कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार को पेश करेंगी उसी के अनुसा र सहायता निर्धारित की जायेगी।

श्री बी० के० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि इन परियोजनाओं में राज्य सरकारों का कितना अंशदान होगा ?

श्री हाथी: इस पर व्यय की जाने वाली कुल ६५ लाख रुपये की राशि में से लगभग २९ लाख रुपये की राशि भारत सरकार से ऋण के रूप में होगी, २२ लाख रुपये सहायता के रूप में होंगे तथा लगभग १२,३७,००० रु० राज्यों का भाग होगा। सामान्य आधार यह है और निर्णय प्रत्येक सम्बन्धित राज्य द्वारा योजनायें पेश करने पर किया जायेगा।

श्री बी० के० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि ऋण का भुगतान परियोजना क्षेत्रों से ही किसी पद्धति द्वारा किया जायेगा ?

श्री हाथी: ऋण के भुगतान का प्रश्न अनेक बातों पर निर्भर है, जैसे सम्बन्धित योजना आत्म-निर्भर है अथवा नहीं, ऋण किस प्रकृति का है इत्यादि।

श्री बी० के० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि परियोजना के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण पर जो राशि व्यय हुई है उसका कोई भाग राज्य सरकारों ने भी वहन किया है ?

श्री हाथी : जो प्रशिक्षार्थी भेजे गये थे उनका व्यय राज्य सरकारों ने ही वहन किया था ?

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो रुपया आवंटित किया जाता है वह किसी सिद्धान्त पर किया जाता है जैसे राज्य का क्षेत्र अथवा जनसंख्या ?

श्री हाथी : राज्य के क्षेत्र के अनुसार नहीं वरन् परियोजना के क्षेत्र तथा दशाओं के अनुसार।

श्री टी० एन० सिंह : देश में जो ५१½ लाख गांव हैं उन में से सामूहिक परियोजना के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में कितनों को लिया जायेगा?

श्री हाथी : प्रारम्भ में प्रति परियोजना में ३०० गांवों को लिया जायेगा और कुल ५५ ऐसी परियोजनायें हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना को कार्यान्वित करने में किसी पिछड़े हुए क्षेत्र को आर्थिक अंशदान देने के बजाय इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री हाथी : राज्य सरकारों की सिफ़ारिशों के अनुसार क्षेत्रों का चुनाव हो चुका है।

श्री मोहिउद्दीन : क्या भारत सरकार ने कोई इस प्रकार का नियम रक्खा है कि जब तक राज्य सरकारें अपने भाग का रुपया न दें तब तक भारत सरकार उन्हें ऋण अथवा अनुदान का रुपया नहीं देगी ?

श्री हाथी : कोई ऐसा नियम नहीं रक्खा गया है, किन्तु इसका यह अर्थ अवश्य है है कि राज्य सरकारों को अपने भाग का रुपया खर्च करना ही होगा।

कपास सम्बन्धी आयात-निर्यात नीति

*८३६. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२ -५३ के लिये कपास सम्बन्धी आयात निर्यात नीति का निर्धारण करने के मामले में केन्द्रीय कपास मंत्रणा बोर्ड की क्या सिफ़ारिशें थीं ;

(ख) क्या यह सत्य है कि पिछले सीज़न में कपास-निर्यात सम्बन्धी नीति की घोषणा में बहुत विलम्ब हो गया था ;

(ग) क्या अगले सीज़न में सरकार के लिये विदेशी कपास के आयात में कमी करना सम्भव होगा ;

(घ) क्या सरकार ने कपास में द्वैध-रक्षण व्यापार की सम्भावना पर विचार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कपास मंत्रणा पर्षद के सुझाव ये थे :

(१) सन् १९५२-५३ में ४ से ५ लाख रुई की गांठों के आयात की अनुमति दी जाये ; और

(२) सन् १९५२-५३ की कपास निर्यात नीति की घोषणा अधिक से अधिक नवम्बर, १९५२ तक कर दी जाये। किन्तु निर्यात की मात्रा के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा कोई विशिष्ट सिफ़ारिशें नहीं की गई हैं।

(ख) गत वर्ष की परिस्थितियां ऐसी थीं कि और पहले घोषणा करना ठीक नहीं समझा गया।

(ग) वर्तमान प्रवृति के अनुसार १९५२-५३ के सीज़न में विदेशी कपास का आयात १९५१-५२ से कम होने की आशा है।

(घ) जी हां।

(ङ) यह तय किया गया है कि १५-१२-१९५२ से कपास में द्वैधरक्षण व्यापार की अनुमति दे दी जायेगी।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि पाकिस्तान की कपास का मूल्य विश्व-कपास मूल्य की तुलना में अधिक है ? यदि हां, तो क्या पाकिस्तान से कपास का आयात कम कर दिया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न के प्रथम भाग के सम्बन्ध में, मेरे विचार में, यह इस समय विश्व मूल्य से अधिक नहीं है ; द्वितीय भाग का उत्तर देने में मैं असमर्थ हूं।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

पुर्तगाली पच्छिमी अफ्रीका को स्थानान्तारित किए गए गोआई राजनीतिक बन्दी

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या **प्रधान मंत्री** २१ जुलाई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९४७ को निर्दिष्ट करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा सात गोआई राजनीतिक बन्दियों की लिस्बन से पुर्तगाली पश्चिमी अफ़्रीका में स्थित अंगोला को स्थानान्तरित कर देने तथा उन्हें 'क्यूआंज़े नोर्टे जेल में, जोकि "मृत्यु गृह" कहलाता है, बन्द कर देने के विषय में कथित समाचारों की सत्यता सम्बन्धी कोई सूचना है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): सात बन्दी गोआ से पोत द्वारा ले जाए गए थे जो १८ जून १९५२ को लिस्बन पहुंचे। इन बन्दियों को गोआ में अगुआडा किले में बन्द कर दिया गया। ऐसा समझा जाता है कि वे लिस्बन से हटाकर ९ जुलाई, १९५२ को पश्चिमी अफ़्रीका में अंगोला में ले जाए गए। ऐसा समझा जाता है कि वे अंगोला में "क्यू-आंजे नोर्टे" नामक जेल में रख दिए गए हैं। हमें कोई और जानकारी नहीं है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार का ध्यान हाल के इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि इन बन्दियों को 'बिलोसिया' नामक बीमारी हो गई है, जो अंगोल में चल रहा एक घातक रोग है, और इस विशिष्ट जेल में जोकि एक विशिष्ट प्रकार के अपराधियों के लिए है, चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सीधे तौर पर मालूम करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। यह बिल्कुल पुर्तगाली राज्य-क्षेत्र के अन्दर का मामला है। अनौपचारिक रूप से हमने यहां के पुर्तगाली लीगेशन से मालूम करने का प्रयत्न किया था और उसके अनुसार ये समाचार सत्य नहीं हैं और वे बन्दी बहुत अच्छे वातावरण में रह रहे हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : यह बात दृष्टि में रखते हुए कि ये सात व्यक्ति अहिंसक सत्याग्रही थे और उन्हें कठोर कारावास का दण्ड दिया गया है, क्या सरकार का विचार उनके स्वदेश वापसी के सम्बन्ध में अविलम्ब रूप से लिखापढ़ी करने का है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हमें इस मामले में कठिनाई है क्योंकि वे पुर्तगाली नागरिक हैं और सामान्यतः कोई सरकार अन्य देशीय जनों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। मुझे विश्वास है कि इस सदन के सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि गोआई अधिकारियों द्वारा इन बन्दियों के साथ किया व्यवहार अत्यन्त खेदजनक तथा आपदाजनक रहा है। किन्तु मैं नहीं समझ पाता कि उनकी स्वदेश

वापसी के सम्बन्ध में हम और क्या कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : प्रधान मंत्री द्वारा भारत में फ्रांसीसी बस्तियों के सम्बन्ध में दिए गए हाल के स्पष्टवादी वक्तव्य की दृष्टि में क्या वह हमें यह आश्वासन दे सकते हैं कि गोआ जैसी विदेशी बस्तियों के सम्बन्ध में निकट भविष्य में ही कुछ स्पष्ट तथा मजबूत कार्यवाही की जाएगी ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : जो वक्तव्य मैंने फ़्रांसीसी बस्तियों के बारे में दिया था गोआई बस्तियों पर भी लागू होता है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है—मैं नहीं चाहता कि सदन ऐसी धारणा बनाये—कि यकायक कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है।

श्री नम्बियार : क्या सरकार ने यह पूछा है कि इन बन्दियों को अंगोला क्यों भेज दिया गया जहां कि किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं और क्या इन बन्दियों को भारत में ही निरुद्ध नहीं किया जा सकता था ?

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार से कहने की बाहर की चीज़ है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नीलोखैरी में परियोजना अधिकारियों का प्रशिक्षण

*८३५. **श्री एन० एन० विद्यालंकार :** (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हाल ही में नीलोखेरी में संगठित 'पदाधिकारी प्रशिक्षण' पर कितना व्यय किया गया था और क्या उसका कोई भाग राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा ?

(ख) क्या सरकार का ध्यान प्रेस के कुछ भागों में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि प्रशिक्षण काल के दौरान में पदाधिकारियों के मनोविनोद के लिए नर्तक-मण्डलियां दिल्ली से तय की गयी थीं जिन्हें बड़ी बड़ी राशियां दी गई जो व्यय-सूची का एक मद है ?

सिंचाई तथा विद्युत उप मंत्री (श्री हाथी) : (क) ८६९३-६-० रु०। राज्य सरकारों द्वारा व्यय का कोई भाग वहन नहीं किया जायेगा।

(ख) १५३४-८-० रु० एक मुशाहिरे में खर्च किए गये थे जिसमें संगीत तथा विभिन्न भारतीय नृत्य मुद्राओं के कुछ नमूने भी थे। ये कार्यक्रम भारतीय संस्कृति तथा परम्पराओं की झांकी देने के लिये रखे गए थे।

खासी तथा जैन्तिया पहाड़ियों में चुना-पत्थर

*८३७. **श्री बेली राम दास :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आसाम की खासी तथा जैन्तिया पहाड़ियों में अच्छी क़िस्म का चूना-पत्थर बड़ी मात्रा में उपलब्ध है ?

(ख) सरकार ने भारत में इस चूना-पत्थर का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि पाकिस्तान सरकार इस चूना-पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में कर रही है ?

(घ) यह चूना-पत्थर पाकिस्तान को देने के बजाए क्या आसाम में सीमेंट की एक फ़ैक्टरी चालू करके इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी हां।

(ख) और (घ)। सन् १९४८ में सरकार आसाम में एक सीमेंट फ़ैक्टरी स्थापित करने के लिए सहमत हो गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यत : यातायात की कठिनाई के कारण अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

(ग) पूर्वी पाकिस्तान की सीमट फ़ैक्टरी जो मेसस आसाम-बंगाल सीमट

कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा स्वामित्व-प्राप्त है , आसाम के चूना-पत्थर का प्रयोग करती है।

त्रावनकोर-कोचीन में जटा-उद्योग

*८३८. **श्री राघवय्या :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रावनकोर-कोचीन के मुख्य मंत्री वहां के जटा-उद्योग की स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए अभी हाल में दिल्ली आए थे ?

(ख) राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार कितनी जटा फ़ैक्टरियां बन्द हो गई हैं और कितने लोग बेकार हो गये हैं ?

(ग) उक्त राज्य के जटा-उद्योग के माल के लिए नए बाजार ढूंढने और जटा मजदूरों को अंतरिम सहायता पहुंचाने के लिये सरकार का क्या कोई पग उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां । त्रावनकोर-कोचीन के मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री ने इस मामले पर इस मंत्रालय के साथ अक्टूबर १९५२ में विचार-विमर्श किया था ।

(ख) लगभग १०८ फ़ैक्ट्रियां और २१,४०० मजदूर ।

(ग) विदेशों में सरकार के व्यापारी प्रतिनिधियों को लिखा गया है कि यदि विदेशों में जटा तथा जटा के माल के आयात में कोई बाधायें हों तो उन्हें दूर करने का प्रयत्न करें । विदेशों से समय समय पर होने वाले हमारे व्यापारिक समझौतों म यह प्रयत्न किया जाता है कि भारत से निर्यात होने वाले माल में जटा का माल भी सम्मिलित किया जाए।

आंतरिक बाज़ार को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार के विभागो तथा राज्य सरकारों से जटा के माल को अधिक मात्रा में खरीदने को प्राथना की है ।

तत्कालिक बेकारी की दूर करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण-कार्य केन्द्र खोलने के लिए पग उठाये जा रहे हैं । त्रावनकोर सरकार द्वारा गत मास जटा-उद्योग से सम्बन्धित समस्याओं की चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था । भारत सरकार के वस्त्र आयुक्त इसमें उपस्थित थे । इस सम्बन्ध में अग्रेतर क्या कार्यवाही की जाए, यह अभी विचाराधीन है ।

भाखरा नांगल परियोजना में निर्गम-सुरंगें

*८३९. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्राक्कलन समिति ने १९५१-५२ के अपने पांचवें प्रतिवेदन के पैरा ८५ में यह रिपोर्ट दी है कि भाखरा-नांगल परियोजना की दोनों निर्गम सुरंगें जिन इन-जीनियरों द्वारा बनाई गई हैं वे इस कार्य में विशेषज्ञ नहीं थे,

(ख) क्या इन सुरंगों को बाढ़ के कारण कोई हानि पहुंची है, और

(ग) क्या यह हानि निर्माण-कार्य में कोई नुक्स रह जाने से हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) (क) : जी हां ।

(ख) कोई हानि नहीं पहुंची है । माननीय सदस्य का ध्यान २० सितम्बर, १९५१ को श्री लक्षमनन द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ११६९ की ओर भी दिलाया जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

कोसी जलग्रह क्षेत्र में संरक्षण

*८४०. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोसी जलग्रह क्षेत्र में सरकार का भू-संरक्षण सम्बन्धी कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें तथा उसकी प्राक्कलित लागत ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हों ।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

त्रावनकोर-कोचीन में सामुदायिक परियोजनाएं

*८४१. **कुमारी आनी मस्करीन :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) त्रावनकोर-कोचीन के लिए सामुदायिक परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई राशि ;

(ख) क्या त्रावनकोर-कोचीन की सरकार ने सामुदायिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में कोई योजनायें केन्द्रीय सरकार को पेश की हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का इस परियोजना के कार्यक्रम पर कोई नियंत्रण है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा लेखा-परीक्षा की जाती है ?

सिंचाई तथा विद्युत उप मन्त्री (श्री हाथी) : (क) १०५·२६ लाख रुपए ।

(ख जी हां

(ग) जी हां ।

(घ जी नहीं ।

भारतीय ऊन पर अमरीकी आयात कर

*८४२. **श्री नानादास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि अमरीकी सरकार ने भारत से आयात किए जाने वाले ऊन पर आयात कर लगाया है;

(ख) क्या भारत सरकार की अमरीकी सरकार से इस मामले में कोई बातचीत हुई है;

(ग) इस बातचीत का क्या परिणाम निकला;

(घ) इस कर के लगाये जाने के परिणामस्वरूप गत वर्ष के व्यापार की तुलना में इस वर्ष भारतीय ऊन निर्यातकों को कुल कितनी हानि होगी,

(ङ) क्या भारत सरकार ने अमरीकी आयातों के विरुद्ध प्रति-कार्यवाही पर विचार किया है; और

(च) क्या इस ऊन को अधिक लाभप्रद आधार पर अन्य देशों को भेजे जाने के लिए पग उठाए जा रहे हैं और यदि हां तो क्या ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अमरीका में भारत से जो ऊन आयात किया जाता है वह लगभग सब का सब कालीन का ऊन है जो आयात कर से मुक्त है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) से (च) । प्रश्न नहीं उठता ।

डा० चुन्नीलाल को क्षतिपूर्त्ति

*८४३. **श्री वी० जी० देशपांडे :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पुनर्वास मंत्रालय को डा० चुन्नीलाल से, जो पश्चिमी पंजाब के एक विस्थापित व्यक्ति हैं, एक प्रतिनिधान प्राप्त

हुआ था कि उन्हें भारत विभाजन से पूर्व सरगोधा में जल गई उनकी सम्पत्ति के १०,००० रु० की क्षतिपूर्त्ति दी जाये ;

(ख) क्या यह सत्य है कि पाकिस्तान में भारत के प्रधान प्रदेष्टा को पश्चिमी पंजाब सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि १०,००० रुपये पूर्वी पंजाब सरकार को भेज दिए गए हैं; और

(ग) पूर्वी पंजाब सरकार से यह राशि वसूल करने के लिए तथा उसे डा० चुन्नीलाल को देने के लिए भारत सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां ।

(ख) पंजाब (पाकिस्तान) सरकार ने भारत के उपप्रधान प्रदेष्टा को सूचित किया था कि मूलव्यवस्था के अनुसार सरगोधा जिले के सब-डिवीजन खुशाब के निवासियों पर किए गए सामूहिक जुर्माने के ८२,५०० रु० की कुल राशि में से १०,००० रु० डा० चुन्नीलाल को दिए जायगे । किन्तु, जब जुर्माने के २८,०७० रुपये एकत्रित हो चुके थे तो पंजाब (पाकिस्तान) सरकार ने उगाही बन्द कर दी। पंजाब (पाकिस्तान) सरकार ने यह भी बतलाया कि अविभाजित पंजाब सरकार द्वारा उगाही गई कुल राशि पंजाब (पाकिस्तान) तथा पंजाब (भारत) के मध्य विभाजित कर दी गई थी । इसलिए पंजाब (पाकिस्तान) सरकार का विचार है कि डा० चुन्नीलाल के दावे का भुगतान पंजाब (भारत) सरकार को करना चाहिए ।

(ग) यह मामला तब पंजाब (भारत) सरकार के साथ उठाया गया था किन्तु उसका ख्याल है कि रुपये-पैसे का विभाजन हो जाने के पश्चात् भी, उक्त क्षति-पूर्त्ति के भुगतान की जिम्मेदारी, भारतीय स्वतन्त्रता (अधिकार, सम्पत्ति तथा दायित्व) आदेश के अन्तर्गत पंजाब (पाकिस्तान) सरकार की है तथा वह किसी भी प्रकार इसके लिए उत्तरदायी नहीं है ।

आतिशबाजी का सामान (आयात)

***८४४. श्री जसानी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३० अक्टूबर, १९५२ को समाप्त होने वाले वर्ष में आतिशबाजी का कुल कितना और कितने मूल्य का सामान आयात किया गया ?

(ख) यह किन देशों से आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ३१ अक्टूबर १९५२ को समाप्त होने वाले वर्ष में १९५१ पौंड आतिशबाजी का सामान आयात किया गया जिसका मूल्य २३,९११ रु० था ।

(ख) इंग्लैण्ड से ।

चमड़ा और खाल (निर्यात)

***८४५. श्री बाल्मीकि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१-५२, १ वर्ष में भारत से निर्यात की गई विविध पशुओं की खालों की मात्रा और उन पशुओं के नाम ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि यह व्यापार गिरता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण; तथा

(घ) इस व्यापार में लगे हुए लोगों को सरकार क्या सुविधा देती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अपेक्षित सूचना दर्शाते हुए एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध सख्या ५]** ।

(ख) और (ग) व्यापार में अपवर्तन आ जाने के कारण इस वर्ष के प्रारम्भिक काल

में मंदी रही, किन्तु इस वर्ष के उत्तरार्ध में काफी सुधार हुआ है ।

(घ) चमड़े की समस्त किस्मों तथा नागरिक प्रयोग में आने वाले चमड़े के सामान, जिसमें जूते भी सम्मिलित हैं, के निर्यात का विनियंत्रण करने के अतिरिक्त सरकार ने निम्नलिखित कार्यवाही की है :

(१) चमड़े तथा नागरिक प्रयोग में आने वाले चमड़े के सामान, जिसमें जूते भी सम्मिलित हैं, का आयात बंद कर दिया गया है ।

(२) विदेशों में समस्त वाणिज्य प्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्र में भारतीय चमड़े का बाजार विकसित करने के लिए कहा गया है ।

(३) मुर्गाबियों के गले की लोलकी की खाल तथा उसका सत एवं, क्यूब्रेंको का सत खुली सामान्य अनुज्ञप्ति में सम्मिलित कर लिए गए हैं । मुर्गाबियों के गले की लोलकी की खाल तथा उसके सत को वस्तु प्रदाय तथा मूल्य अधिनियम १९४८ के अन्तर्गत नियंत्रित कर दिया गया है जिससे कि यह उचित मूल्य पर इस उद्योग को उपलब्ध हो सके ।

"इन इंडिया" नामक घटनात्मक फिल्म

*८४६. **श्री के० सुब्रह्मण्यम** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार को विदित है, कि हाल में इस देश में आए सोवियत फिल्म टेकनीशियनों द्वारा निर्मित "इन इंडिया" नामक एक रंगीन फिल्म इस समय सोवियत रूस में प्रदर्शित की जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इस फिल्म में हमारे देश की गन्दी और भद्दी मज़दूर बस्तियों के दृश्य दिखाये गये हैं और उनकी तुलना उस कथित विलास और वैभव से की गई है जिसमें विदेशी लोग यहां आकर अपना जीवन बिताते हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) फिल्म में कुछ क्षेत्रों की गरीबी दिखाई गई है किन्तु इसमें भारत के कुछ कलात्मक तथा सांस्कृतिक पहलू भी दिखलाए गए हैं ।

यूनिकेफ "सेमीनार"

*८४७. **श्री नाना दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि यूनिकेफ के तत्वावधान में भारत में गत अक्तूबर मास में पन्द्रह दिन का एक 'सेमिनार' संगठित किया गया था;

(ख) क्या इस सेमिनार का प्रयोजन ईंधन के साधनों का उपयोग करने के उपाय निकालना था;

(ग) भारत की ओर से इस सेमिनार में कौन गया था तथा उसका किस प्रकार चुनाव किया गया था ; और

(घ) सेमिनार का क्या परिणाम रहा तथा उसने क्या निदान निकाले ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क),(ख) और (ध)। माननीय सदस्य का ध्यान २६ नवम्बर, १९५२ को श्री सी ० आर० चौधरी द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ७०० के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६]**

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

*८४८. **श्री दशरथ देब** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जुलाई, १९५२ के पश्चात् पूर्वी पाकिस्तान के प्रवजन करने वाले कितने

विस्थापित व्यक्तियों को सरकारी सहायता दी गई है और कितनी; और

(ख) कितने विस्थापित परिवार इन शिविरों को छोड़ गये हैं तथा इसके कारण ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) (१) पच्छिमी बंगाल—शिविरों में दाखिल किये ५१,४२५ व्यक्तियों को सहायता पहुंचाई जा रही है ।

(२) बिहार—शिविरों में रक्खे गये ४४२ विस्थापित व्यक्तियों को सहायता पहुंचाई जा रही है ।

(३) त्रिपुरा—७५,८८८ विस्थापित व्यक्तियों में से केवल हृष्ट-पुष्ट शरीर के लोगों को छोड़कर शेष सब को मदद पहुंचाई जा रही है ।

(४) कछार—जो लोग सहायतार्थ पहुंचे उन्हें एतदर्थ कुछ सहायता दी जा रही है ।

(५) आसाम—अधिकतर विस्थापित व्यक्ति अपने मित्रों तथा सम्बधियों के साथ ठहरे हुए हैं ।

उपरियुक्त शिविरों में रह रहे विस्थापित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता किस सीमा तक दी गई यह दर्शाता हुआ एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७.**]

(६) शिविरों में से किसी के भी छोड़ कर चले जाने का समाचार नहीं मिला है ।

अल्पसंख्यक मंत्रियों का संयुक्त दौरा

***८४९. श्री ए० सी० गुहा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मंत्रियों ने पूर्वी तथा पच्छिमी बंगाल का कोई संयुक्त दौरा किया है; और

(ख) यदि हां तो (१) उन्होंने कौन-कौन से क्षेत्र देखे और कितने समय तक;

(२) इस दौरे का क्या प्रयोजन था;

(३) भारतीय अल्पसंख्यक मंत्री ने एक सार्वजनिक बयान देने के अतिरिक्त क्या सरकार को कोई प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है; और

(४) गत तीन मासों में, १४ अक्टूबर, १९५२ तक पूर्वी बंगाल से इतनी वृहत संख्या में अल्पसंख्यकों के जाने का क्या कारण है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) (१) भारत तथा पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मंत्रियों ने पूर्वी बंगाल में ढाका, बरीसाल, खुलना और जैसोर का तथा पच्छिमी बंगाल में चौबीस परगने, नादिया, हावड़ा तथा कलकत्ते का २४ से ३१ अक्टूबर, १९५२ तक संयुक्त दौरा किया।

(२) दौरे का मुख्य प्रयोजन पासपोर्ट के सम्बन्ध में फैले भ्रम तथा अल्पसंख्यकों में अरक्षितता की भावना को दूर करना था।

(३) जी हां ।

(४) कारण कदाचित ये हैं :—

(१) अरक्षितता की भावनना;

(२) खराब होती हुई आर्थिक दशा; और

(३) पासपोर्ट प्रथा लागू करने पर फैला भ्रम तथा यह डर कि इससे आने-जाने में बाधा होगी ।

मनीपुर में विस्थापित जन-जाति के लोगों का बसाया जाना

***८५०. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) चूरचन्द्रपुर क्षेत्र में सैंतोल के तथा मनीपुर के सुगन् क्षेत्र में सैरो के मूलतः

बसने वाले आदिम जाति तथा मीली लोगों को क्या सशस्त्र पुलिस की सहायता से बलात हटा कर उनकी ज़मीनों पर विस्थापित व्यक्तियों को बसा दिया गया था;

(ख) क्या केवल सैरो के ही मूल निवासियों से सरकार द्वारा विस्थापितों के लिए ले ली गई भूमि २०० एकड़ से ऊपर है;

(ग) क्या प्रत्येक शरणार्थी कृषक को ५ एकड़ कृष्य भूमि दी गई है तथा मूल निवासियों को केवल २$^{१}/_{२}$ एकड़ प्रति व्यक्ति, और उसकी सतह भी इतनी ऊंचाई पर है कि खेती के लिए पानी नहीं प्राप्त किया जा सकता; और

(घ) क्या २ मील लम्बी, ८ फीट चौड़ी तथा ६ से ८ फीट गहरी नहर जिसे आदिम जाति के मूलत: बसने वालों ने अनुमानत: ८,००० रु० और अपार श्रम खर्च करके बसाया था, अब उस क्षेत्र के मध्य में है जो कि विस्थापित व्यक्तियों को दिया गया है ?

पुनर्वास मन्त्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (घ)। सूचना एकत्रित की जा रही है, और यथासमय सदन पटल पर रक्खी जायगी ।

थौंबल सामुदायिक परियोजनाएं

*८५१. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) थौंबल सामुदायिक परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए निर्धारित राशि;

(ग) क्या सरकार का विचार थौंबल सामुदायिक परियोजना के अंतर्गत समस्त झीलों का पानी सींच देने का है; और

(घ) यदि हां, तो अनुमानत: कितने एकड़ भूमि खेती के लिए उपलब्ध हो सकेगी ?

सिचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) थौंबल तहसील, लगभग ३०० मील का क्षेत्र ।

(ख) २१·६७ लाख रुपये ।

(ग) जी नहीं, किन्तु कदाचित् कुछ दलदली क्षेत्रों से पानी निकालने का विचार है।

(घ) इस समय कोई प्राक्कलन नहीं दिया जा सकता ।

सामुदायिक परियोजना प्रशासकगण

*८५२. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक परियोजना प्रशासकों को वेतन दिया जाता है अथवा वे अवैतनिक कार्यकर्त्ता हैं ?

(ख) कुल कितने प्रशासक हैं ?

(ग) उनमें से कितने सरकारी पदाधिकारी हैं और कितने गैर-सरकारी ?

(घ) सरकारी पदाधिकारियों का वेतन कितना है और गैर-सरकारी पदाधिकारियों का कितना ?

(ङ) कितने गैर-सरकारी पदाधिकारियों को वेतन मिलता है तथा उनका यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता कितना है ?

(च) प्रत्येक प्रशासक कितनी राशि व्यवहृत करेगा ?

(छ) क्या उनसे कोई वित्तीय प्रत्याभूति ली गई है ?

(ज) रुपये का दुरुपयोग करने की सम्भावना के विरुद्ध क्या व्यवस्था की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) माननीय सदस्य का आशय कदाचित् परियोजना कार्यकारी पदाधिकारियों से है । वे दोनों प्रकार के हैं ।

(ख) ७१ परियोजना कार्यकारी पदाधिकारी ।

(ग) इस समय वे सब सरकारी पदाधिकारी हैं। पहले १० गैर-सरकारी थे जो बाद में परियोजना कार्यकारी पदाधिकारी नियुक्त कर दिये गये ।

(घ) कोई निश्चित वेतन-क्रम नहीं निर्धारित किया गया है। ४५०–८०० रु० को ठीक समझा जाता है। सरकारी तथा गैर-सरकारी पदाधिकारी दोनों के लिए यही है।

(ङ) ऊपर भाग (ग) में बतलाए गए १० में से ८ को वेतन दिया जाता है। यात्रा तथा महंगाई भत्ता राज्य सरकारों द्वारा अपने यहां के नियमों के अनुसार दिया जाता है।

(च) से (ज)। इस बात का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है। सम्बन्धित महालेखा-परीक्षक द्वारा हिसाब की जांच की जाती है।

प्रत्यर्पण

*८५३. **श्री तेलकीकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) एक देश से दूसरे देश को अपराधियों का प्रत्यर्पण करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून है अथवा सम्बन्धित देशों को इसके लिए पारस्परिक समझौता करना होता है;

(ख) क्या १५ अगस्त, १९४७ के पश्चात् से कोई ऐसे मामले हुए हैं जिनमें कि विदेशी सरकारों ने अपने देशों से भारत को अपराधी प्रत्यार्पित किये हों; और

(ग) १५ अगस्त, १९४७ के बाद से भारत को दूसरे देशों से प्रत्यार्पित किए गए तथा दूसरे देशों को भारत से प्रत्यार्पित किए गए अपराधियों का अनुपात ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) एक देश से दूसरे देश को अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है। परन्तु इस सम्बन्ध में देशों द्वारा पारस्परिक समझौता किया जाता है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान २६ जून, १९५२ को श्री एन० एल० जोशी द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या १२४७ के श्री सतीश चन्द्र द्वारा दिए गये उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) नवीनतम सूचना उपलब्ध नहीं है।

पावर अलकोहल फैक्टरीज़

*८५४. **श्री तेलकीकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में किन किन स्थानों पर पावर एलकोहल की फ़ैक्टरियां स्थापित हैं; और

(ख) शक्कर नगर (बुधेन, हैदराबाद राज्य) की एलकोहल फ़ैक्टरी का उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री० टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८**]

(ख) १९५१—६.८ प्रतिशत।
१९५२—६.६ प्रतिशत।
(जनवरी-जून)

पूर्वी बंगाल में भारतीय बस्तियां

*८५५. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पूर्वी बंगाल के राज्य-क्षेत्र से घिरी हुई कुछ भारतीय बस्तियां हैं;

(ख) उनकी संख्या, क्षेत्र तथा आबादी क्या है; और

(ग) शान्ति तथा व्यवस्था, संचरण, रसद इत्यादि का प्रबन्ध किस प्रकार किया जा रहा है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख)। पूर्वी बंगाल राज्य-क्षेत्र से घिरी हुई कूच-बिहार की १३० छोटी-छोटी बस्तियां हैं। उनका कुल क्षेत्र २०,९५७ एकड़ है और कुल आबादी १२,६०२ है। इसी प्रकार पच्छिमी बंगाल (कूच-बिहार) राज्य-क्षेत्र द्वारा घिरी हुई ९३ पूर्वी बंगाल की बस्तियां हैं जिनका कुल क्षेत्र १२,१५२ एकड़ है तथा आबादी लगभग ११,००० है।

(ग) दोनों ही ओर की इन बस्तियों का प्रशासन अत्यन्त कठिन है। पूर्वी तथा पच्छिमी बंगाल के मुख्य सचिवों ने इनमें से कुछ कठिनाइयों पर विचार किया है तथा उनका मत यह था कि प्रशासनात्मक सुविधा के लिये इन बस्तियों के आदान-प्रदान पर विचार किया जाये। इसी बीच आपस में यह निर्णय किया गया कि पदाधिकारियों तथा रसद के आने जाने को सुविधापूर्ण बनाने के लिये पग उठाये जायें।

पच्छिमी बंगाल सरकार से हमें नवीनतम स्थिति बतलाने को कहा गया है।

पाकिस्तान को कोयला

*८५६. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान से भारत का कोयला मंगाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव आया था और यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : फरवरी, १९५१ के भारत-पाकिस्तान समझौते में, जो कि ७ अगस्त, १९५२ को समाप्त हो गया था, भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में कोयला भी था। भारत और पाकिस्तान के मध्य चालू समझौते में कोयले को नहीं रक्खा गया है किन्तु पाकिस्तान सरकार की प्रार्थना पर भारत सरकार, समझौते के बाहर, पाकिस्तान सरकार को दिसम्बर, १९५२ के अन्त तक ९०,००० टन कोयला प्रति मास देने को तैयार हो गई है। उक्त तिथि के पश्चात् स्थिति पर पुनः विचार किया जायगा।

चमड़ा उद्योग

*८५८. **डा० जाटव-वीर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत पांच वर्षों में भारत से पाकिस्तान को निर्यात किये गये चमड़े और खालों की मात्रा ;

(ख) गत पांच वर्षों में भारत से अन्य देशों को निर्यात किये गये कच्चे चमड़े की मात्रा ;

(ग) खालों तथा चमड़े को भारत से निर्यात किये जाने का भारतीय चमड़ा उद्योग पर प्रभाव; और

(घ) यदि भारत सरकार ने देश के चमड़ा उद्योग की दशा सुधारने के लिये कोई क़दम उठाये हैं तो क्या ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अनुमानतः माननीय मित्र का आशय पकाये हुये चमड़े से है। इस आधार पर एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९**]

(ख) माननीय सदस्य का आशय कदाचित् कच्चे चमड़े और खालों से है। इस आधार पर एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९.**]

(ग) चूंकि कच्चे चमड़े तथा खालों को उन वस्तुओं की सूची में सम्मिलित किया गया है जो तभी निर्यात की जा सकती हैं जबकि उनकी बहुलता हो अतएव भारत के चमड़ा उद्योग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है।

(घ) एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९.**]

हीराकुड में खदान इंजीनियर

*८५९. **डा० नटवर पांडे** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सोलह खदान इंजीनियर जो कि भारत सरकार की खदानों में कार्य कर रहे हैं इस समय हीराकुड में नियुक्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो हीराकुड में इतने अधिक खदान इंजीनियरों को रखने क कारण ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) । सोलह इंजीनियर जो कि विवृत्त खनिकर्म में प्रशिक्षण पाने तथा उससे सम्बन्धित मशीनों का कार्यकरण सीखने के लिये इंग्लैंड भेजे गये थे उन्हें अस्थाई सहायक इंजीनियरों के वे सोलह स्थान प्रस्तुत किये गये जो कि लोक सेवा आयोग द्वारा उपयुक्त पदाधिकारियों की प्राप्ति पर भरे जाने को थे । वे सब सिविल इलैक्ट्रीकल अथवा मकैनिकल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट हैं । इंग्लैंड में अपने प्रशिक्षण के दौरान में उन्होंने भू-विस्थापक तथा अन्य प्रकार की मशीनों को चलाना सीखा है जिनका कि इस समय हीराकुड में प्रयोग किया जा रहा है तथा वे अन्यथा भी इन पदों के सर्वथा उपयुक्त हैं । तीन उम्मेदवारों ने ये स्थान स्वीकार नहीं किये और उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है । छः हीराकुड पहुंच गये हैं । अन्य के उत्तर की प्रतीक्षा है ।

हीराकुड के लिए डिस्पोज़ल का सामान

*८६०. **डा० नटवर पाण्डे** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हीराकुड के स्टोर्स विभाग द्वारा डिस्पोज़ल के डाइरेक्टर के ज़रिये अब तक कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के सामान का आर्डर दिया गया है ;

(ख) क्या उपरियुक्त भाग (क) में निर्दिष्ट सामान का एक भाग खोया गया है ; और

(ग) क्या स्टाक की स्थिति की हाल ही में जांच की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) परियोजना के प्रारम्भ से डिस्पोज़ल के डाइरेक्टर के ज़रिये अब तक कुल १ करोड़, ५४ लाख रुपये के डिस्पोज़ल के सामान का आर्डर दिया गया है ।

(ख) और (ग) । जुलाई, १९५० के बाद में प्राप्त सामान की जांच कर ली गई है और किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है । जुलाई १९५० से पहले प्राप्त किये गये सामान की जांच की जा रही है ।

त्रिपुरा के लिए खाद्य पदार्थों का पाकिस्तान में रोका जाना

*८६१. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि त्रिपुरा के लिये बुक किया गया खाद्य-पदार्थ जब पूर्वी पाकिस्तान से हो कर जा रहा था तो अखेडरा रेलवे स्टेशन पर पूर्वी पाकिस्तान पुलिस ने उसे रोक लिया ?

(ख) रोके गये माल का मूल्य क्या है ?

(ग) क्या रोके गये माल के छुटकारे के लिये सरकारी स्तर पर कोई प्रयत्न किया गया है ?

(घ) यदि नहीं किया है, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के चन्दा) : (क) त्रिपुरा के लिये जाने वाला माल, जिस में खाद्य पदार्थ भी थे, अखेडरा-अगरताल मार्ग की चगी पर रोक लिया गया क्यों कि उस चुंगी ने इस माल को भारतीय क्षेत्र की चुंगी तक मज़दूरों को बिना उचित पासपोर्ट के नहीं ले जाने दिया ।

(ख) लगभग ४ लाख रुपया ।

(ग) पाकिस्तान सरकार से कहा गया, और यह समझौता हुआ है कि सामान को बराबर संख्या में भारतीय तथा पाकिस्तानी मज़दूरों द्वारा ले जाया जाये जिन्हें इसके लिये दोनों ओर के पदाधिकारियों द्वारा अधिकारपत्र दिये जायेंगे। यह व्यवस्था दो मास तक लागू होगी जिसके बीच में कि आशा है मज़दूरों को आवश्यक पासपोर्ट मिल जायेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

लंका चाय प्रचार बोर्ड से प्रतिनिधि मण्डल

*८६२. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लंका चाय प्रचार बोर्ड के एक प्रतिनिधि मण्डल ने सरकार से विशेष रूप से यह प्रार्थना की थी कि चाय बाज़ार प्रसार बोर्ड को वह न छोड़ें ?

(ख) क्या यह सत्य है कि लंका चाय प्रचार बोर्ड को भारतीय सहकार का वचन दिया गया ?

(ग) यह वचन किस शर्त पर दिया गया है ?

(घ) क्या यह सत्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय बोर्ड में लंका चाय प्रचार बोर्ड का नियंत्रक हित है ?

(ङ) क्या यह सत्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय चाय बाज़ार प्रसार बोर्ड के ज़रिये इस ने इंग्लैंड, सोवियत रूस, मिश्र और दक्षिण अफ्रीका में क्रय प्रसार आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) भारत के बोर्ड से हट जाने की दृष्टि में, यह हो सकता है ।

(ङ) सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

*८६४. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं और उनमें से कितने भारतीय हैं ?

(ख) भारतीयों को विदेशों में प्रशिक्षण देने का वर्तमान प्रबन्ध क्या है ?

(ग) क्या यह कम्पनी अपने कार्य-करण की कोई वार्षिक रिपोर्ट तैयार करती है और सरकार को भेजती है ?

(घ) यदि हां, तो अन्तिम रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) ३६ टेकनिकल पदाधिकारियों में से ३३ भारतीय हैं ।

(ख) ३३ भारतीय पदाधिकारियों में से, १६ ने विदेशों में प्रशिक्षण पाया हुआ है । जहाज़ बनाने की एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी फ़र्म के साथ हमारे समझौते के अनुसार यह उन भारतीयों को अपने कारख़ाने में प्रशिक्षित करेगी जिनकी कि हम सिफ़ारिश करेंगे ।

(ग) इंडियन कम्पनीज़ एक्ट के अन्तर्गत इस कम्पनी को एक वार्षिक संतुलन पत्रक तथा संचालकों की रिपोर्ट निकालनी पड़ती है। चूंकि सरकार का इस कम्पनी में बहुत बड़ा हिस्सा है इसलिये रिपोर्ट की एक प्रति निश्चय रूप से सरकार को भी भेजी ही जायेगी।

(घ) कम्पनी के अस्तित्व का एक वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है और इसलिये वार्षिक रिपोर्ट भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नमक की राब

*८६५. **श्री बलवन्त सिंह मेहता:** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार को यह विदित है कि सांभर झील के पास नमक की राब बहुत परिमाण में बेकार पड़ी हुई है ?

(ख) इससे क्या क्या चीज़ें प्राप्त करना सम्भाव्य है ?

(ग) यदि इससे उपयोगी रासायनिक निकाले जा सकते हैं तो अभी तक इसे ख़रीदा क्यों नहीं गया ?

(घ) इस राब पर राजस्थान सरकार का स्वामित्व है अथवा केन्द्रीय सरकार का ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) जी हां।

(ख) सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फ़ेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट।

(ग) उपोत्पाद प्राप्त करने की उपयुक्त प्रणाली निकालने पर सक्रिय विचार हो रहा है।

(घ) राजस्थान सरकार का।

मनीपुर में वस्तुओं के मूल्य

*८६६. **श्री एल० जे० सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि इम्फाल में सूत के लोकप्रिय नम्बरों के मूल्य मुद्रित फुटकर मूल्य से २५ प्रतिशत अधिक हैं और उन सब चीज़ों के मूल्य भी जो कि इम्फाल में आयात की जा सकती हैं भारत में अन्य स्थानों में प्रचलित मूल्यों से लगभग इतने ही प्रतिशत अधिक हैं; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इम्फाल में आयात की जाने वाली इन वस्तुओं के भाड़े में कमी करने का विचार रखती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). सूत के सम्बन्ध में उत्तर नकारात्मक है तथा प्राधिकारियों ने सूचना दी है कि उस क्षेत्र में सूत नियंत्रित मूल्य से नीची बिक रही है अन्य औद्योगिक वस्तुओं के सम्बन्ध में यह सत्य है कि यातायात शुल्क तथा रेल व सड़क यातायात की कठिनाई के कारण उनका मूल्य देश के अन्य स्थानों से अधिक हो जात है और सरकार यातायात सुविधायें सुधारने का यथासम्भव प्रयत्न कर रही है।

कुटीर उद्योगों में प्राशिक्षण

*८६७. **श्री एन० एल० जोशी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना या योजनायें हैं जिससे कि वे लोग जो कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण पाना चाहते हैं पा सकें;

(ख) यदि हां, तो किन किन उद्योगों में;

(ग) क्या इस समय ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र विद्यमान हैं ; और

(घ) यदि हां, तो किन स्थानों पर, तथा कौन कौन से उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं, इस समय नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) । पुनर्वास तथा श्रम मंत्रालयों द्वारा कुछ प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जाते हैं और इन केन्द्रों का ब्यौरा देते हुये एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०**]

विस्थापित व्यक्तिओं के लिए बनाए गए मकान

***८६९. श्री एन० एल० जोशी** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक विस्थापित व्यक्तियों के लिये कितने नये मकान बनाये गये हैं और किस लागत पर ?

(ख) विस्थापित व्यक्तियों से लागत का कितना भाग अब तक वसूल हो चुका है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान १३ नवम्बर, १९५२ को श्री विद्यालंकार द्वारा पूछे गये अतारान्कित प्रश्न संख्या ९४ के भाग (क) और (ख) के मेरे द्वारा दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

(ख) सूचना संकलित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

साबुन के कारखानें

***८७०. श्री केलप्पन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में साबुन बनाने वाली विदेशी कम्पनियों के नाम ;

(ख) भारत में साबुन की फ़ैक्टरियों की कुल प्रतिस्थापित समाई तथा भारतीय एवम् विदेशी कम्पनियों द्वारा पृथक् पृथक् सन् १९४९, १९५० और १९५१ में उत्पादित किये गये साबुन की मात्रा ;

(ग) क्या पामोलिव सोप कम्पनी ने अभी हाल में बड़ौदा में एक फ़ैक्टरी ख़रीदी है ; और

(घ) क्या लीवर ब्रदर्स पोदुर, त्रिचनापल्ली, में एक नई फ़ैक्टरी स्थापित करने जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) । माननीय सदस्य का आशय कदाचित उन भारतीय साबुन फ़ैक्टरियों से है जिन में कि विदेशी पूंजी विनियोजित है । इस आधार पर एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११**]

(ग) सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

(घ) सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

दौतिक उन्मुक्तियां

***८७१. श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे भारत में दौतिक उन्मुक्तियां प्राप्त कितने व्यक्ति, देशवार हैं ?

(ख) उन में से कितने देशवार, सीधे विदेशी दूतावासों से संलग्न नहीं हैं वरन्

भारत सरकार द्वारा विशिष्ट कार्य के लिये विशेष रूप से आमन्त्रित हैं ?

(ग) क्या सन् १९५२ में दौतिक उन्मुक्तता का कोई दुरुपयोग हुआ है ?

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) अपेक्षित सूचना दर्शाते हुये एक विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२**] विवरण में वर्णित व्यक्तियों के परिवारों को भी उन्मुक्तता प्राप्त है, किन्तु उनकी संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि दौतिक उन्मुक्तता केवल दौतिक प्रतिनिधियों तथा उनके परिवारों को प्राप्त होती है, यद्यपि कुछ अन्य व्यक्तियों, उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र संघ के पदाधिकारियों को भी कुछ क़ानूनी उन्मुक्तितायें दी जा सकती हैं ।

(ग) और (घ) । ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं है जिसे दौतिक उन्मुक्तता का दुरुपयोग कहा जा सके, किन्तु क़ानून-भंगी के कुछ मामले हुये हैं, उदाहरणार्थ, कूटनीतिज्ञों द्वारा यातायात नियमों का भंजन, और कूटनीतिक स्रोतों के ज़रिये ऐसे मामलों में उपयुक्त प्रतिनिधान भेज दिया गया है ।

कपास में द्वैधरक्षण व्यापार

*८७२. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार कपास में द्वैधरक्षण व्यापार की अनुमति देने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो यह अनुमति कब से दी जायेगी ;

(ग) क्या कोई शर्तें भी बांधी जायेंगी ;

(घ) यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं ; और

(ङ) विद्यमान स्टाक, मांग तथा पूर्ति के सम्बन्ध में वर्त्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) । सरकार घोषणा कर चुकी है कि दिसम्बर, १९५२ के मध्य से द्वैधरक्षण व्यापार की अनुमति दी जायगी ।

(ग) और (घ) । जिन शर्तों के अन्तर्गत कि द्वैधरक्षण व्यापार की अनुमति दी जा सकती है उनकी शीघ्र ही घोषणा की जायगी ।

(ङ) एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३**]

भारतीय भाषाओं की फिल्में

*८७३. **श्री एन०-बी० चौधरी** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में सन् १९५१-५२ में किन किन भारतीय भाषाओं में फ़िल्में निर्मित की गईं ?

(ख) भाषावार, इन फ़िल्मों की संख्या कितनी थी ?

(ग) उक्त काल में क्या कोई भारतीय भाषा की फ़िल्में भारत से बाहर भी बनाई गई थीं ?

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या तथा वे किन देशों में बनाई गई थीं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) केन्द्रीय फ़िल्म सेंसर बोर्ड के सम्मुख जांच के लिये हिन्दी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तामिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम तथा उड़िया में फ़िल्में पेश की गई थीं । किन्तु यह कहना सम्भव

नहीं है कि उनमें से कितनी वास्तव में सन् १९५१-५२ में निर्मित की गई थीं अथवा इस काल में किन्हीं अन्य भाषाओं में भी फ़िल्में बनाई गई थीं ।

(ग) जी हां ।

(ख) और (घ) एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १४**]

मदिरा, प्रासव तथा द्राक्षिरा का आयात

२८९. **श्री नानादास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) समस्त प्रकारों की मदिरा, प्रासव तथा द्राक्षिरा की गत चार वर्षों में भारत में आयात की गई मात्रा, और मूल्य ;

(ख) गत चार वर्षों में भारत में उत्पादित मदिरा, प्रासव तथा द्राक्षिरा की मात्रा तथा मूल्य ; और

(ग) क्या अभी हाल में विदेशी आयातों तथा अथवा उपभोग के लिये उपलब्ध मात्रा में वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) : दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १५**]

(ग) थोड़ी सी वृद्धि हुई है ।

कुटीर उद्योग (विकास)

३००. **श्री तेलकीकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार द्वारा भारत में कुटीर उद्योगों के विकास के लिये क्या क्या योजनायें अंगीकृत की गई हैं ;

(ख) किन किन स्थानों पर उनके सम्बन्ध में प्रयोग हो रहे हैं ; और

(ग) किस प्रकार के कुटीर उद्योगों के विकास की अपेक्षा है और अब तक क्या सफलता मिली है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) यद्यपि कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, तथापि भारत सरकार की नीति इन उद्योगों को यथासम्भव प्रोत्साहन तथा बढ़ावा देने की है । केन्द्रीय सरकार का मुख्य काम राज्य सरकारों की कार्यवाहियों का समन्वय करना तथा जहां आवश्यक हो वहां आर्थिक सहायता देना है ।

यह दृष्टिकोण रखते हुये भारत सरकार ने निम्नलिखित योजनायें अंगीकृत की हैं ;

(१) सरकार को दस्तकारी उद्योग पर परामर्श देने और विशेषकर भारत में तथा विदेशों में विक्रय बढ़ाने के लिये एक अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड की स्थापना ;

(२) सरकार को हथकरघा उद्योग की समस्याओं पर परामर्श देने, हथकरघा उद्योग के विकास तथा सुधार की योजनाओं की जांच करने तथा हथकरघा निधि में से सहायता देने की सिफ़ारिश करने के लिये एक अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना ;

(३) एक अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम्य उद्योग बोर्ड की स्थापना की योजना को भी अन्तिम रूप दिया जा रहा है । यह बोर्ड सरकार को इन क्षेत्रों में सर्वांगीण उन्नति करने के मामले में परामर्श देगा ;

(४) कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास एवम् सुधार की विशिष्ट योजनाओं

के कार्यकरण के लिये राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता;

(५) कुटीर तथा छोटी मात्रा के उद्योगों को ऋण देने के लिये कुछ भाग 'ग' के राज्यों को राशियां उपलब्ध कराना;

(ख) कुटीर तथा छोटी मात्रा के उद्योगों में सम्बन्ध में भारत सरकार खुद तो कोई प्रयोग नहीं कर रही है किन्तु वह इस समस्या के महत्व को अनुभव करती है तथा उसने आर्थिक सहायता के लिये राज्य की उन योजनाओं को विशेष प्राथमय दिया है जो गवेषणा तथा प्रयोग कार्य से सम्बन्धित हैं ;

(ग) अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने हाल ही में पौटरी, मिट्टी के बर्त्तन तथा चटाई को इस वर्ष के विकास के लिये चुना है । अन्य कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को भी राज्य सरकारों तथा गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान दे कर प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

कोयला खदान 'स्टोइंग' बोर्ड

३०१. **श्री एन० पी० सिन्हा :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोयला खदान स्टोइंग बोर्ड का निर्माण हो गया है अथवा नहीं ?

(ख) यदि हो गया है, तो उसके सदस्य कौन कौन हैं ?

(ग) क्या कोयला खदान स्टोइंग बोर्ड के लेखे की लेखा-परीक्षा होती है ?

(घ) क्या सरकार सदन पटल पर गत लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन रखेगी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) माननीय सदस्य कदाचित् कोयला बोर्ड की ओर निर्देश कर रहे हैं क्योंकि कोयला खदान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १८५२ के पास होने के साथ कोयला खदान स्टोइंग बोर्ड समाप्त हो चुका है । कोयला बोर्ड का निर्माण ८ जनवरी, १९५२ को हुआ था ।

(ख) वर्त्तमान सदस्यों के नाम तथा उनकी योग्यता इस प्रकार है :

नाम	योग्यता
सभापति	
(१) श्री आर० के० रामाध्यानी, आई० सी० एस० कोयला आयुक्त ।	
(२) श्री एन० बाराक्लाड, भारत सरकार के मुख्य खदान इंस्पेक्टर ।	बी० एससी० (माइनिंग) तथा कार्यक्षमता का कोयला खदान मैनेजर का प्रथम श्रेणी का प्रमाण-पत्र ।
(३) श्री एल० एस० कोरबेट मुख्य माइनिंग इंजीनियर (रेलवे बोर्ड) । उप कोयला आयुक्त उत्पादन	बी० एससी० (माइनिंग) तथा कार्यक्षमता का कोयला खदान मैनेजर का प्रथम श्रेणी का प्रमाण-पत्र ।
(४) श्री ए० सी० गुहा कोयला खदानों के सुपरिंटेंडेन्ट ।	बी० एस सी० (माइनिंग) तथा कार्यक्षमता का कोयला खदान मैनेजर का प्रथम श्रेणी का प्रमाण-पत्र ।
(५) श्री एम० एल० शोम, उप कोयला आयुक्त (वितरण) ।	कार्यक्षमता का कोयला खदान मैनेजर का प्रथम श्रेणी का प्रमाण-पत्र

(ग) पुराने कोयला खदान स्टोइंग बोर्ड के लेखे की परीक्षा, बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार की सहमति से नियुक्त लेखा-परीक्षकों द्वारा की जाती थी । कोयला खदान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत कोयला बोर्ड के लेखे की परीक्षा भारत के नियंत्रक तथा महा-लेखा-परीक्षक द्वारा की जाएगी ।

(घ) पुराने कोयला खदान स्टोइंग बोर्ड की सन् १९५०-५१ की लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रक्खी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १६]**

राजस्थान में खदान मजदूरों के लिए मकान

३०२. **श्री बलवन्त सिंह मेहता:** क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार को राज-स्थान के खदान उद्योग के मज़दूरों की मकान समस्या का बोध है ; और

(ख) क्या सरकार की उस राज्य में स्वयं अथवा खदान मालिकों के साथ मिल कर मज़दूरों के लिये मकान बनाने की कोई योजना है ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) राजस्थान की खदानों में लगे हुए मज़दूरों के मकान की समस्या के सम्बन्ध में सरकार ने हाल में कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया है । किन्तु उस क्षेत्र की कोयला खदानों की जांच, इस दृष्टि-कोण को रखते हुए, सन् १९५० में की गई थी। मकानों की निश्चय ही काफ़ी कमी है।

(ख) एक योजना है जिसके अनुसार कोयला खदान श्रम कल्याण निधि में से उन कोयला खदानों के मालिकों को एतदर्थ धन दिया जाता है जो उक्त निधि में अपेक्षित प्रकार के मकान अपने मजदूरों के लिए बनाते हैं। किन्तु कोयला खदानों के अतिरिक्त और किन्हीं खदानों के सम्बन्ध में ऐसी कोई योजना नहीं है ।

क्षेप्य लोहा (निर्यात)

३०३. **श्री आर० सी० चौधरी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक में भारत से कितना क्षेप्य लोहा निर्यात किया गया;

(ख) यह किन-किन देशों को निर्यात किया गया तथा इन निर्यातों का मूल्य क्या था;

(ग) क्या इन निर्यातों के परिणाम-स्वरूप भारत सरकार को सीमा शुल्क के रूप में कुछ आय होती है ;

(घ) क्या भारत सरकार खुले रूप से क्षेप्य लोहे के निर्यात को प्रोत्साहित करती है; और

(ङ) क्या सरकार देश में ही ऐसा लोहे का उपयोग करने के लिये कोई पग उठाने का विचार रखती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १७]**

(ग) जी नहीं

(घ) केवल ऐसे क्षप्य के निर्यात को अनुमति दी जाती है जोकि देश में काम नहीं आता ।

(ङ) विद्यमान भट्टियों में जितना भी प्रयुक्त किया जा सकता है किया जाता है। सरकार नई विद्युत भट्टियां प्रतिस्थापित करने की भी खुली अनुमति दे रही है।

वस्त्र उपभोग

३०४. **श्री ए० सी० गुहा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा गे :

(क) भारत में सन् १९३८, १९४१, १९४४, १९४७, १९४८, १९४९, १९५० तथा १९५१ में प्रत्येक वर्ष में वस्त्रों का प्रति व्यक्ति उपभोग; और

(ख) यदि प्रति व्यक्ति वस्त्र उपभोग में कमी आई है तो इसका कारण ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) यह कहना सम्भव नहीं है कि भारत में वर्ष प्रति वर्ष सूती वस्त्र का उपभोग क्या रहा है । किन्तु प्रति व्यक्ति उपभोग के लिये उपलब्ध वस्त्र सम्बन्धी एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १८]**

(ख) प्रति व्यक्ति उपभोग, वस्त्र की उपलब्धता तथा उपभोक्ता की क्रयशक्ति सहित अनेक बातों पर निर्भर है । वर्तमान प्रति व्यक्ति उपलब्धता १४ गज़ प्रति व्यक्ति प्राक्कलित की गई है किन्तु ऐसा ख्याल किया जाता है कि उपभोग उपलब्धता के बराबर नहीं है ।

कारों को जोड़ने वाली फ़र्में

३०५. **श्री के० के० बसु :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में कारों तथा ट्रकों को जोड़ने वाली फ़र्मों के नाम तथा संख्या;

(ख) वे तारीखें जब इन फ़र्मों को लाइसेंस दिए गये थे और जब वे अस्तित्व म आईं ;

(ग) प्रत्येक की समाई और उसके द्वारा वास्तव में तैयार किये जाने वाले माल की मात्रा;

(घ) उपकरणों को आयात करने वाली फ़र्मों को लाइसेंस देने का आधार;

(ङ) भारत में निर्मित किये जाने वाले भागों पर क्या कोई शुल्क लगाया जाता है; और

(च) क्या आयात किये जाने वाले हिस्सों पर गत चार वर्षों में आयात शुल्क घटा दिया गया है और यदि हां तो कब से और किस सीमा तक ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १९]**

(घ) उपकरणों के आयात का लाइसेंस उन फ़र्मों को दिया जाता है जिन्हें भारत सरकार ने मोटर निर्माता जोड़ने वाली फ़र्म के रूप में स्वीकृत कर लिया है । उन फ़र्मों को जो सरकार द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यक्रम में संतोषजनक प्रगति कर रही हैं आयात लाइसेंस प्रदान करने में वरीयता दी जाती है ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १९]**

एल्यूमीनियम

३०६. **श्री एस० वी० रामास्वामी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष कितने मूल्य का एल्यूमीनियम भारत में आयात किया गया ?

(ख) क्या यह सत्य है कि सलेम में बोक्साइट पाया गया है ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस धातु को एल्यूमीनियम का निर्माण करने में प्रयुक्त करने का कोई विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) यह सूचना 'समुद्रगत व्यापार लेखे' में दी हुई है।

(ख) जी हां।

(ग) इस समय नहीं।

जूता उद्योग के लिए कच्चा माल

३०७. **डा० जाटव वीर:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) जूता उद्योग की आवश्यकता के लिए कौन कौन सा माल बाहर से आयात किया जाता है;

(ख) प्रत्येक वर्ष भारत में आयात किए गए कच्चे माल का मूल्य ;

(ग) भारत में इस कच्चे माल का किस प्रकार वितरण किया जाता है ;

(घ) इस कच्चे माल को खरीदने के लिए लाइसेंस देने का आधार और प्रक्रिया ; और

(ङ) क्या सरकार को विदित है कि यह कच्चा माल सामान्यत: चोर बाज़ार में बेचा जाता है और जूता निर्माताओं को उसके लिये बहुत अधिक मूल्य देना पड़ता है? यदि हां, तो सरकार इस माल को कम दर पर उपलब्ध कराने के लिए क्या पग उठा रही है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) आयात किया जाने वाला मुख्य माल सूती तथा लिनेन का धागा तथा जूते की धातु को 'ग्राइण्डरी' है।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २०]**

(ग) इन आयातित चीजों के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है।

(घ) माननीय सदस्य का तात्पर्य कदाचित् परिमिट से है। यदि ऐसा है, तो प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चूंकि इन चीज़ों के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिये इनके चोर बाज़ार में बेचे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता किन्तु सभी निर्माताओं के हितों के रक्षण के प्रयोजन से सहकारी संघों को अपने उपभोक्ता के मध्य वितरण के लिये वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस दिये जाते हैं।

हीराकुड परियोजना के लिए अधियाचित मकान

३०८. **श्री पी० सुब्बा राव :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) हीराकुड बांध परियोजना के सिलसिले में जो पक्के मकान अधियाचित किये गये हैं उनकी क्षतिपूर्ति की गणना प्रति घन फुट किस दर पर की जाती है; और

(ख) हीराकुड तथा बुरला में ठेकेदारों द्वारा ठेके पर बनाए गए पक्के मकानों की प्रति घन फुट दर क्या प्राक्कलित की गई है?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) क्षतिपूर्ति का आगणन प्रति वर्ग फुट के हिसाब से किया जाता है। हीराकुड बांध में शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के मकानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की स्वीकृत दर की सूची दर्शाते हुए एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ख) प्रति घन फुट के हिसाब से प्राक्कलित किया गया आगणन मकानों की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार भिन्न-भिन्न है। हीराकुड तथा बुरला में निर्मित इमारतों की दरें दर्शाते हुए एक विवरण

सदन पटल पर रक्खा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २१**]

हीराकुड में मजदूरों का वेतन

३०९. श्री सारंगधर दास : क्या **सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे ;

(क) क्या हीराकुड में काम करने वाले मज़दूरों के अतिरिक्त शेष सभी कर्मचारियों को भारत सरकार की वेतन दर के अनुसार वेतन दिया जाता है ;

(ख) क्या केवल मज़दूरों को ही बिना महंगाई अथवा अन्य किसी भत्ते के उड़ीसा के वेतन क्रम के अनुसार वेतन दिया जाता है; और

(ग) उक्त दोनों सरकारों द्वारा मज़दूरों को दिया जाने वाला वेतन और भत्ते ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) केवल 'चिकित्सक' तथा 'स्कूल' कर्मचारीवृन्द को छोड़ कर जिन्हें कि उड़ीसा की वेतन दर तथा भत्ते के अनुसार भुगतान किया जाता है, समस्त नियमित कर्मचारी भारत सरकार के वेतन दर में है। ठेके के समस्त कर्मचारियों को वेतन दर अंन्य परियोजनाओं में कार्य कर रहे उसी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन दर के बराबर है तथा वित्तीय मन्त्रणादाता व मुख्य लेखाधिकारी के परामर्श के साथ मुख्य इंजीनियर द्वारा उन्हें स्वीकृत किया जाता है।

(ख) मासिक आधार पर नियुक्त मज़दूरों को कुल जमा ४० रु० प्रति मास दिये जाते हैं; 'मजदूर' के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों जैसे पानी वाला, हरकारा, चौकीदार, दरवान, बैलवान, गाड़ीवान इत्यादि को भी वही दर दी जाती है। दैनिक आधार पर रक्खे गये मजदूरों को १ रु० ८ आने प्रतिदिन दिये जाते हैं।

(ग) दिल्ली में लोक निर्माण विभाग के मज़दूरों को मजदूरी देने की दरें इस प्रकार हैं :—

पुरुष (बेलदार)	१ रु० १२ आने प्रतिदिन
स्त्री	१ रु० प्रतिदिन

उड़ीसा सरकार द्वारा मज़दूरों को कितनी मजदूरी दी जाती है इस सूचना की प्रतीक्षा है तथा प्राप्त होते ही सदन पटल पर रक्खी जाएगी।

हथकरघा विकास बोर्ड

३१०. श्री आर० एस० लाल : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हथकरघा विकास बोर्ड के सदस्य कौन कौन हैं;

(ख) नामनिर्देशन किस आधार पर किए गए हैं; और

(ग) बोर्ड का कार्य क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ग). अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का निर्माण करने वाले प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रक्खी जाती है। [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २२**]

(ख) जिस कार्य के लिये बोर्ड का निर्माण किया गया है उसके लिये उपयुक्त समझे जाने वाले व्यक्तियों का नामनिर्देशन किया जाता है।

नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी

३११. श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 'नेशनल इंस्ट्रूमेन्ट्स फ़ैक्टरी' में अब तक कुल कितनी पूंजी विनियोजित है ?

उत्पादन मन्त्री (श्री के० सी० रेड्डी) : ५०,६१,००० रु०।

अचारों का निर्यात

३१२. **श्री बी० एस० मूर्ति:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०–५१ तथा १९५१–५२ में विभिन्न देशों को निर्यात किए गए अचार का मूल्य;

(ख) कौन कौन से अचार निर्यात किए गए; और

(ग) वे देश जिन को अचार का निर्यात किया जाता है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री करमरकर) : (क) सरकारी आंकड़ों में अचारों को "अचार, चटनियों तथा मसाले" के सामान्य शीर्षक के अन्तर्गत रक्खा जाता है । इस शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली चीजों का निर्यात इस प्रकार था:—

१९५०–५१	२४.२ लाख रुपए
१९५१–५२	३४.६ लाख रुपए

(ख) उन्हें सरकारी आंकड़ों में पृथक् पृथक् अभिलिखित नहीं किया जाता है ।

(ग) (१) इंग्लैण्ड
(२) पाकिस्तान
(३) मलाया और सिंगापुर संघान
(४) आस्ट्रेलिया
(५) न्यूज़ीलैण्ड
(६) जापान
(७) कुवेत
(८) ईराक
(९) सउदी अरेबिया
(१०) बरहीन द्वीप
(११) ब्रिटिश गाइना।
(१२) केनया उपनिवेश
(१३) संयुक्त राज्य अमरीका
(१४) कनाडा।

अदन में भारतीय आयुक्त

३१३. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अदन में भारतीय आयुक्त के क्या कर्त्तव्य हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अदन में भारतीय आयुक्त के मुख्य कर्त्तव्य ये हैं: (१) भारत तथा अदन की सरकार के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखना तथा अदन के उन भारतीय निवासियों का जो वहां के बाशिन्दे नहीं हैं, वहां की सरकार को दृष्टिकोण बतलाना;

(२) वहां भारत के व्यापारिक तथा अन्य हितों की देखभाल करना; और

(३) वहां होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं से भारत सरकार को अवगत रखना इन सबके अतिरिक्त वह वाणिज्य दौतिक कार्य भी करता है।

निर्यात तथा आयात लाइसेंस

३१४. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित को आयात अथवा निर्यात लाइसेंस देने के सम्बन्ध में क्या नियम अपनाये गए हैं :

(१) व्यक्तियों अथवा कम्पनियों को जो वस्तुओं को उन पर लाइसेंस लगाये जाने से पूर्व, आयात या निर्यात किया करते थे?

(२) नवागत, जिन्होंने कि लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं का आयात अथवा निर्यात नहीं किया था किन्तु जो इन लाइसेंसों के अन्तर्गत आने वाली समस्त शर्तों को मंजूर करने को तैयार हैं ?

(ख) लाइसेंस की शर्तों के अनुसार प्रत्येक ऐसे लाइसेंस का न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य क्या है और कितनी अवधि तक यह लाइसेंस वैध रहता है ?

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं कि लाइसेंस देने की इस प्रथा का परिणाम यह न हो कि सम्बन्धित वस्तुओं के व्यापार पर किन्ही व्यक्ति विशेषों का ही एकाधिकार हो जाये अथवा अन्य कोई बुराई न आ जाए जैसे कि लाइसेंस देने वाले पदाधिकारी में घूस अथवा भ्रष्टता का होना ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) : निर्यात तथा आयात लाइसेंसों को विनियमित करने वाले नियम समय समय पर 'गज़ट ऑफ़ इंडिया' तथा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले प्रकाशनों में छापे जाते हैं, जिनकी प्रतियां लोक-सभा के पुस्तकालय में रक्खी हुई हैं।

(ख) लाइसेंस के अन्तर्गत इतनी बड़ी संख्या में वस्तुएं आती हैं कि जिन लोगों को कोटा के आधार पर लाइसेंस दिये जाते हैं उन लोगों की संख्या इतना अधिक है कि कोई एकाधिकार सम्भव नहीं है। ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में एक छोटा कोटा नवागतों के लिये सुरक्षित कर दिया जाता है । आयात तथा निर्यात व्यापार नियन्त्रण के अन्तर्गत जारी की गई लाइसेंस की सूचियों में इसका ब्यौरा रहता है कि क्या क्या वस्तुएं हैं, कितने मूल्य की हैं, किन किन लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं और यह भारत सरकार द्वारा जारी की गई साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है—यही सुनिश्चितता है। यदि लाइसेंस देने के मामले में कोई भी अनियमितता किसी की निगाह में आए तो वह सरकार के ध्यान में इसे ला सकता है।

मंगलवार,
२ दिसंबर, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

मंगलवार, २ दिसम्बर १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**श्री एच० वी० पाटस्कर** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

११-५० म० पू०

अनुपस्थिति की अनुमति

सभापति महोदय : मुझे माननीय सदस्य श्री राज चन्द्र सेन से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि स्वास्थ्य की खराबी के कारण वह संसद् के चालू सत्र में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। डाक्टरों ने उन्हें कुछ समय के लिये पूर्ण विश्राम लेने को कहा है। इसलिये उन्होंने संसद् से अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। क्या सदन की यह इच्छा है कि श्री राज चन्द्र सेन को इस सत्र में सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये ?

अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई।

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हमें श्री एम० सी० शाह द्वारा २५ नवम्बर, १९५२ को प्रस्तुत

किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करना है, अर्थात् :—

"औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : श्रीमन्, पिछले दिन सदन के कई सदस्यों द्वारा जिनमें कि कुछ कांग्रेसी भी शामिल थे यह सुझाव दिया गया था कि उन कम्पनियों के नाम बता दिये जाने चाहियें जिन्हें कि सहायता दी गई है। कुछ दिन बाद प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में बताया कि वित्त मंत्री, जो इस समय देश से बाहर हैं, इस सम्बन्ध में एक विशिष्ट नीति को अपनाये हुए हैं, तथा इस में इस समय कोई परिवर्तन करना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वित्त मंत्री जी की वापसी तक हम प्रतीक्षा करेंगे तथा फिर सदन के प्रतिनिधियों से भी परामर्श कर के हम सदन को कुछ सूचना दे सकेंगे।

हम में से कुछ सदस्य महसूस कर रहे हैं कि जब तक कि सदन को सारे तथ्य जानने का मौका न मिलेगा तब तक इस विधेयक पर अग्रेतर चर्चा स्थगित होनी चाहिये। मेरे माननीय मित्र श्री हिरेन मुखर्जी ने भी यही सुझाव दिया है। जब तक कि हमारे सामने सारे तथ्य न होंगे हमारे लिये इस महत्वपूर्ण मामले के सम्बन्ध में प्रभावी रूप से भाग लेना कठिन होगा।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रीमन्, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम १९७ के अन्तर्गत लोक लेखा समिति, औद्योगिक वित्त निगम से सम्बन्धित मामलों की जांच आदि करा सकती है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए सरकार को यह नाम बता देने में झिझक नहीं होनी चाहिये। प्रधान मंत्री ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि हमारी मांग में कुछ औचित्य है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हमें यह सूचना दे। इस तरह से हम सदन के विचाराधीन प्रस्ताव पर शीघ्रता तथा प्रभावी रूप से विचार कर सकते हैं।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमन्, मेरे विचार में सूचना देने न देने का इस विधेयक पर इस समय चर्चा जारी रखने से कोई सम्बन्ध नहीं। मुझे केवल इतना कहना है कि सरकार को किसी बात के प्रकट करने से कोई झिझक नहीं। मैं ने केवल यह निवेदन किया कि वित्त मंत्री जी ने इन सम्बन्धित लोगों को कुछ वचन दिये हैं। तथा वित्त मंत्री के कथनानुसार इन लोगों को दिये गये आश्वासनों को भंग करना उचित नहीं—मैं इन प्रश्नों के गुण दोषों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं—तथा निःसन्देह इस समय जब कि वित्त मंत्री यहां नहीं हैं, ऐसा करना उचित नहीं है क्योंकि इन लोगों को आश्वासन देने में उनका हाथ है।

हमें भूतकाल का परीक्षण करके इस बात पर विचार करना होगा कि अब हमें क्या करना चाहिये तथा शायद भविष्य पर दृष्टि रख के इस पर विचार करना और भी आसान होगा। यह बहुत ही जटिल मामला नहीं है। मैं केवल इस दृष्टिकोण से इस पर विचार करता हूं कि हम ने इन लोगों को कुछ आश्वासन दिये हैं तथा बिना उचित व्यवस्था के हमें इन्हें भंग नहीं करना चाहिये। बस, केवल इतना ही कुछ मामला है।

जहां तक इस विधेयक को उपस्थगित करने का सम्बन्ध है, मेरे विचार में इस से कई अड़चनें पैदा होंगी क्योंकि इस से अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से कर्ज़े आदि प्राप्त करने में विलम्ब होगा। इसलिये, श्रीमन्, इस विधेयक को उपस्थगित करना उचित नहीं होगा।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम) : प्रधान मंत्री के वक्तव्य को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार इस बात पर पुनर्विचार करेगी कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमन्, मुझे खेद है कि यह एक ऐसा मामला नहीं जिस पर कि प्रवर समिति विचार कर सके।

डा० एस० पी० मुखर्जी : यह ठीक है कि विधेयक को पास करने में यदि विलम्ब हो जाये तो अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण प्राप्त करने में कुछ अड़चनें उत्पन्न होंगी, किन्तु प्रवर समिति में इस विधेयक को भेजने में हमारा उद्देश्य केवल इतना ही नहीं था कि हम उन कम्पनियों के नाम जान सकें जिन्हें कि सहायता दी गई है अपितु हमारा अभिप्राय यह भी था कि निगम के कार्यसंचालन के सम्बन्ध में जिन महत्वपूर्ण परिवर्तनों की प्रस्थापना की गई है तथा इस अधिनियम के सम्बन्ध में जो काम के सुझाव दिये गये हैं, उन पर भी विचार किया जाये तथा एक नया विधेयक तैयार किया जा सके।

जहां तक ऋण-प्राप्ति में विलम्ब होने के प्रश्न का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि यदि प्रधान मंत्री यह बात मान लेंगे कि यह मामला यथासम्भव शीघ्र ही सदन में वापस आ जायगा, तो हम इस बात पर चर्चा करने के लिये कोई दिन निश्चित करेंगे तथा यदि इस अधिनियम के कुछ उपबन्धों के सम्बन्ध में प्रस्थापित संशोधनों के बारे में सहमति होगी तो बाद में उस प्रक्रिया के आधार पर भी काम किया जा सकता है।

श्री जवाहरलाल नेहरू: श्रीमन्, जहां तक ऋण-प्राप्ति का प्रश्न है, हम ने आशा की थी कि यह विधेयक नवम्बर के अन्त तक एक अधिनियम का रूप धारण करेगा क्योंकि ब्याज के दर में फेर बदल होने की संभावना हो सकती थी। वास्तव में हम निशाना चूक भी गये हैं तथा मैं निवेदन करता हूं कि इस समय इस मामले को उपस्थगित करना अथवा इस में विलम्ब करना हमारे हित में नहीं होगा। इस के अलावा मैं इस की कोई आवश्यकता भी महसूस नहीं कर रहा हूं। मेरे विचार में सदन ने पिछली बार इस पर काफी चर्चा की तथा कुछ संशोधन भी स्वीकार किये गये। जैसे कि मुझे कहा गया है इन संशोधनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है तथा इन में से जो स्वीकार्य थे, उन्हें स्वीकार किया गया है अथवा किया जायगा।

डा० एस० पी० मुखर्जी: इस वाद विवाद के दौरान में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुए हैं जिनका प्रभाव न केवल इस विशिष्ट निगम के कार्य-संचालन पर पड़ता है अपितु अन्य संविहित निगमों के कार्य-संचालन पर भी पड़ता है। श्रीमन्, यह आवश्यक है कि इन प्रश्नों पर इस सदन द्वारा, अध्यक्ष द्वारा तथा सरकार द्वारा सतर्कता से विचार होना चाहिये जिस से कि हम न केवल इस विशिष्ट निगम के सम्बन्ध में अपितु इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के सम्बन्ध में भी प्रक्रिया के समान-रूपी नियम निश्चित कर सकें।

हमें जो रिपोर्ट उपलब्ध की गई है उस में ऋणों तथा अग्रिम धन के वर्गीकरण के सम्बन्ध में जो सूचना दी गई है वह निस्सन्देह बहुत ही कम है। इस में केवल इतना कहा गया है कि यह किस प्रकार का उद्योग है तथा ३० जून, १९५१ तथा ३० जून, १९५२ को समाप्त होने वाले दो वर्षों में इसे कितना धन दिया गया है। इसके अलावा और कुछ नहीं।

एक और खरीता माननीय सदस्यों में परिचालित किया गया है। इस में कई दिलचस्प बातें हैं। विद्युत सम्बन्धी इंजीनियरों के लिए १,१४,५०,००० रुपये स्वीकृत किया गया था, इसमें से केवल ४४,२५,००० रुपये वास्तव में इस उद्योग को दे दिये गये हैं। इसी तरह रसायन उद्योग के लिये १,८६,००,००० रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी किन्तु इस में से केवल ३९,००,००० रुपये ३० जून, १९५२ तक दिये जा चुके हैं। चीनी उद्योग के सम्बन्ध में ११५ लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी जबकि इसे इस समय तक वास्तव में केवल २० लाख रुपया दिया गया है। हमें यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि इतनी बड़ी-बड़ी धनराशियां जो कि स्वीकृत की गई थीं, इन महत्वपूर्ण उद्योगों में काम में क्यों नहीं लाई गईं हैं।

समवायों के नाम जानने के अलावा हमें यह सूचना मिलनी चाहिये थी कि इस निगम द्वारा दी गई सहायता की प्रादेशिक बांट क्या है। किस क्षेत्र में किस उद्योग को कितना रुपया दिया गया है, यह सूचना हमें दी जानी चाहिये थी। दूसरे हम यह जानना चाहते हैं कि नये उद्योगों के लिये कितना रुपया दिया गया है तथा पुराने उद्योगों के लिये जो कि पहले से ही विद्यमान हैं कितना धन दिया गया है। तीसरे हम यह जानना चाहते हैं कि किन उद्देश्यों के लिये यह ऋण दिये गये हैं। चौथे हम यह जानना चाहते हैं कि प्राइवेट क्षेत्र द्वारा उद्योगों के विकास की जो योजना है, उस के साथ इन ऋणों को कहां तक एकीकृत किया गया है। पांचवें हम यह जानना चाहते हैं कि यह ऋण कहां तक ऐसे समवायों को दिये गये हैं जो कि शेयर बाजार से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विदेशों में इस प्रकार के अधिनियमों के कार्यसंचालन के सम्बन्ध में इस प्रश्न पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा इस तरह की सहायता मुख्यतया

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

ऐसी कम्पनियों को दी जाती है जिन्हें शेयर बाज़ार से आसानी से ऋण प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम यह जानना चाहते हैं कि जिन समवायों को यह सहायता दी गई है उनका काम कैसे चल रहा है। हम यह भी जानना चाहते हैं कि यह ऋण किन शर्तों पर दिये गये हैं। क्या सभी ऋणों के सम्बन्ध में शर्तें एक जैसी हैं अथवा क्या विशेष मामलों में विशेष शर्तें रखी जाती हैं? इसके बाद उन समवायों के नाम बताने का प्रश्न आता है जिन्हें कि सहायता दी गई है।

जैसे कि मैं निवेदन कर चुका हूं इस वाद-विवाद के दौरान में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। एक प्रश्न यह है कि संसद् को किस हद तक ऐसे संविहित निकायों के कार्य-संचालन में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यह निगम कोई सरकारी संस्था नहीं, यह एक स्वायत्तशासी निकाय है। सरकार तथा इसके पारस्परिक सम्बन्ध कुछ विशेष प्रकार के हैं। गत कुछेक वर्षों में इंगलैंड के हाऊस आफ कामन्ज़ को इसी प्रकार की अड़चन का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस सम्बन्ध में जो कुछ कार्यवाही की है, हम उस से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अब दिन प्रति दिन इस प्रकार की संस्थाओं की संख्या बढ़ ही रही है। दुर्भाग्यवश सरकार इस सम्बन्ध में सदन को पूर्ण सूचना देने में संकोच कर रही है। यदि वह हमारी सूचना सदन के समक्ष रखती तो विभिन्न पक्षों की ओर से कुछ उपयोगी सुझाव दिये जाते। वह अवश्य ही इसका विरोध करते, ऐसी बात नहीं है। ऐसे मामलों के सम्बन्ध में ब्रिटिश तथा अन्य राष्ट्रमंडलीय संसदों में कुछ प्रक्रिया निश्चित की गई है। पहले यह कि प्रश्न पूछे जायें। दूसरे यह कि इन मामलों पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष द्वारा कोई समय निश्चित किया जाये यदि उसके विचार में सदन को सूचना प्राप्त करने के लिये अधिक समय मिलना चाहिये। फिर यह कि स्थगन-प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये। फिर यह कि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करने के लिए एक विशेष दिन निश्चित किया जाये।

इसके अलावा मेरे माननीय मित्र प्रो० मुखर्जी ने प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों का हवाला दे कर अभी यह बताया कि लोक-लेखा समिति इस प्रकार के निगम की कार्य-वाहियों की जांच कर सकती है। मुझे मालूम नहीं कि यह नियम कहां तक लागू हो सकते हैं। परन्तु यदि नियमों के अन्तर्गत लोक-सेवा समिति को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं हो तो फिर उन में संशोधन करना पड़ेगा।

इंगलैंड में लोक लेखा समिति तथा आंक समिति वांछनीय ढंग से ऐसे निकायों के कार्य-संचालन की जांच नहीं कर सकती है। इसलिये एक सुझाव यह दिया गया है कि ऐसे मामलों के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की जाये जो कि ऐसे मामलों की सविस्तार जांच कर सके।

माननीय मंत्री ने बताया कि यह निगम स्वायत्तशासी है तथा यह भी कहा कि वह वहां से सूचना आदि प्राप्त कराने में असमर्थ है। मैं उनका ध्यान १९४८ के अधिनियम की धारा ६ की ओर दिलाता हूं जिस में अन्य बातों के साथ साथ यह भी कहा गया है कि इस निगम का संचालक-बोर्ड अपना कारबार करते समय उद्योग, वाणिज्य तथा जनता के हितों की ओर भी ध्यान रखेगा। इसके साथ यह भी कहा गया है कि यह बोर्ड केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों तथा उनकी बनाई हुई नीति के अनुसार काम चलाता रहेगा; और यदि नीति के प्रश्न पर कोई वाद प्रतिवाद हो तो केन्द्रीय सरकार का फैसला निर्णायक होगा। यह भी कहा गया है कि यदि यह बोर्ड नीति सम्बन्धी अनुदेशों का पालन नहीं करेगा तो केन्द्रीय सरकार एक शासकीय आदेश

द्वारा इसे समाप्त कर के एक नामनिर्दिष्ट बोर्ड उस समय तक स्थापित कर सकती है जब तक कि एक विधिवत् बोर्ड स्थापित किया जाये। मुझे मंत्री जी की असमर्थता पर तथा उनके शब्दों पर अचम्भा हुआ।

वित्त उप मंत्री (श्री एम० सी० शाह): मैंने निवेदन किया कि सरकार सूचना मांग भी सकती है और मांगती भी है। मैंने कभी यह नहीं कहा है कि सरकार असमर्थ है।

डा० एस० पी० मुखर्जी: फिर यह बात है कि सरकार अपना कर्तव्य नहीं पहचानती है। वह अपना कर्तव्य पहचानने में असमर्थ है।

यदि आप धारा ३५ पर दृष्टि डालेंगे तो आप को मालूम होगा कि इस में आंकड़ों का, जो कि पेश किये जाने हैं, सविस्तार ब्यौरा दिया गया है। विवरण एक निश्चित रूप में पेश किये जायेंगे तथा वार्षिक लेखा आदि सदन पटल पर रख दिये जायेंगे। लेकिन यहां एक त्रुटि है। यद्यपि वित्तीय विवरण सरकार द्वारा निश्चित किये गये रूप में पेश किये जायेंगे फिर भी कार्यसंचालन से सम्बन्धित रिपोर्ट स्वयं निगम द्वारा पेश किया जायगा। प्रविधिक रूप से सरकार की ओर से यह कहा जाये कि हम जो सूचना आदि मांग रहे हैं उसे उस समय तक रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जा सकता है जब तक कि निगम स्वयं इस बात को न मान ले। यदि इस अधिनियम की शब्द-रचना में ऐसी कोई त्रुटि है, तो यह दूर की जानी चाहिये। इस में संशोधन कर के स्पष्ट रूप से यह लिखा जाना चाहिये कि निगम हर वह सूचना उपलब्ध करेगा जो कि सरकार उससे मांगेगी। केनेडा में भी इसी प्रकार का एक अधिनियम १९४४ में पास किया गया है। इस में आंकड़े पेश करने की विधि इतनी स्पष्ट दी गई है कि वित्त मंत्री का इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व भी उचित रूप से निश्चित है।

१९४५ में यह प्रश्न हाऊस आफ कामन्ज के सामने भी आया। वहां का औद्योगिक वित्त निगम किसी संविधि के अन्तर्गत स्थापित नहीं किया गया है, वह समवाय विधि के अन्तर्गत अस्तित्व में आया है। इसके बावजूद उन्हें यह समस्या पेश आई कि इस पर किसी न किसी तरह से संसद् का नियंत्रण रहना चाहिये क्योंकि इसे बैंक आफ इंगलैंड, जो कि एक राष्ट्रीयकृत संस्था है, के संकेत पर स्थापित किया गया था। ब्रिटेन के तत्कालीन वित्त मंत्री सर जान एंडर्सन उस समय इस निगम के सम्बन्ध में कोई सूचना देने के लिये तैयार नहीं थे क्योंकि वह दुविधा में थे कि क्या संसद् को इस निगम के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में कोई अधिकार भी है अथवा नहीं। उस समय हाऊस आफ कामन्स की सभी पार्टियों से सम्बन्धित सदस्यों ने यह इच्छा प्रकट की कि इस सम्बन्ध में शुरू से ही कोई प्रक्रिया निश्चित की जानी चाहिये जिस से कि वह सदन, नया निगम तथा जनता वास्तविक स्थिति से सुपरिचित रहें। इस अवसर पर वहां के स्पीकर ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि इस मामले पर हाऊस आफ कामन्ज़ की समिति में विशेष रूप से वाद-विवाद होना चाहिये। वाद-विवाद में वहां के विरोधी दल तथा अन्य हितों ने भाग लिया। एक विचारधारा यह थी कि सरकार को इस प्रकार की संस्थाओं के कार्य-संचालन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं, तथा इस विचारधारा के पक्षपातियों ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि यदि सरकार इन संस्थाओं के कार्य-संचालन में कोई हस्तक्षेप करेगी तो इस से सभी प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। दूसरी विचारधारा जिसका समर्थन, स्वयं ब्रिटेन की लेबर पार्टी तथा इसके प्रवक्ता श्री बीवेन, कर रहे थे यह थी कि यह निकाय पूर्णतयः एक राज्य संगठन होना चाहिये। उन्होंने बताया कि संसद् को इस संस्था के कार्य संचालन के सम्बन्ध में कुछ न कुछ अधिकार होना चाहिये। उन्होंने आगे

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

यह भी कहा कि हमारे मतानुसार इस बात का फैसला एक विनियोजन बोर्ड पर छोड़ा जाना चाहिये कि पूंजी किस किस उद्योग में लगाई जानी चाहिये। खैर, यह तो लेबर पार्टी की धारणा थी। परन्तु यह काफी दिलचस्पी की बात है कि किस तरह से वहां के सभी सदस्य चाहे वह किसी भी पक्ष से सम्बन्ध रखे हुए थे इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि उत्तम श्रेणी का एक ऐसा निगम स्थापित हो सके जो कि सभी सम्बन्धित पक्षों का विश्वास पात्र हो। इस बात को दृष्टि में रखते हुए ब्रिटेन के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जान एंडर्सन ने शीघ्र ही समझौते की राह अपनाई तथा बताया कि हमारी राय में विभिन्न उद्योगों में पूंजी लगाने का कार्य एक विनियोजन बोर्ड के हाथ सौंपा जाये जिसके निर्णय तथा जिसके अनुदेश सबों को मालूम हों तथा जिसकी सामान्य नीति सदन द्वारा निश्चित की जाये जिस से कि वह समय समय पर इस पर पुनर्विचार कर सके। इस विनियोजन को जो अनुदेश दिये जायेंगे वह इतने स्पष्ट तथा प्रकट होंगे कि अनुचित प्रभाव की जरा भी संभावना समाप्त हो जाये। आगे उन्होंने कहा कि हम, इसलिये, सुझाव देते हैं कि राज्य एक विनियोजन बोर्ड स्थापित करे जिस पर कि सदन का नियंत्रण रहे।

जहां तक मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सम्बन्ध था उन्होंने बताया कि मेरे विचार में वह काफी हद तक उत्तरदायी होंगे। उन से उस सीमा तक सूचना मांगी जा सकती है तथा प्रश्नों तथा आलोचना का उत्तर देने के लिए कहा जा सकता है जहां तक कि इन संस्थाओं के कार्य संचालन का प्रभाव देश की सामान्य आर्थिक नीति, मुद्रास्फीति आदि आदि बातों पर पड़ता हो। परन्तु जहां तक इन संस्थाओं के आन्तरिक शासन प्रबन्ध तथा अन्य विस्तार की बातों का सम्बन्धहै, मंत्रियों से ऐसी सूचना मांगी जा सकती है जो कि उनके पास हो, परन्तु इसके लिए वह उत्तरदायी नहीं माने जाने चाहियें क्योंकि यह उन के कार्य-क्षेत्र से बाहर है।

यद्यपि ब्रिटेन में यह निगम एक संविहित निकाय नहीं, फिर भी मंत्री इस संस्था की सामान्य नीति के लिये उत्तरदायी होगा। वहां सदन को सूचना न देने का कोई सवाल ही नहीं था। हमारी सरकार से क्या शिकायत है? हम यह नही कह रहे कि सरकार इस निगम की सविस्तार कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार होगी। हम केवल और अधिक सूचना मांगते हैं। यदि हमें सूचना दी जाती तो शायद इतना वाद विवाद न होता।

मैं यह पूर्ण रूप से महसूस करता हूं कि इस बड़े सदन को एक कार्यपाली निकाय में बदलना वांछनीय नहीं होगा और न ही ऐसा करने का हमारा विचार है। हम केवल इस बात के लिये उत्सुक हैं कि यह निगम ऐसे ढंग से काम करे कि किसी के मन में इसके बारे में पक्षपात की भावना का सन्देह उत्पन्न न हो जाये। जब तक कि हमें पूर्ण सूचना न दी जाये हम कैसे अपने सुझाव दे सकते हैं, मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में इस सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं किया जा सकता है। परन्तु जब वह वापस आ जायेंगे तो हमें इस पर चर्चा करने का मौका मिलना चाहिये। हम जोखिम-पूंजी के सम्बन्ध में सरकार की नीति जानना चाहते हैं। मुझे आशा है कि इस समय भी सरकार के लिये यह मान लेना सम्भव होगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जिससे कि हम इस सम्बन्ध में अपनी सविस्तार सिपारिशें प्रस्तुत कर सकें।

इस प्रश्न पर जब पहली बार विचार हुआ उस समय मैं सरकार में था तथा मुझे याद है कि उस समय इस बात पर विचार किया गया था कि कुछ अनुभव प्राप्त होने के पश्चात् हम इस संस्था का रूप ही बदल सकते

हैं तथा इसे एक प्राइवेट निगम से एक सर्वांगपूर्ण राज्य निगम में परिवर्तित कर सकते हैं। हमें सरकार से यह पूछने का अधिकार है कि अब जब कि महत्वपूर्ण संशोधन पेश किये जा रहे हैं, सरकार द्वारा यह पग कब उठाये जायेंगे ?

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : डा० मुखर्जी के भाषण में जिस बात से मैं सब से ज्यादा प्रभावित हुआ वह यह है कि उन्होंने किस तरह से ध्यानपूर्वक विदेशी रिपोर्ट का अध्ययन किया है। काश ! वह इस निगम की रिपोर्टों को भी इतनी ही उत्सुकता से पढ़ते। हमारा निगम, जैसे कि उन्होंने कहा, एक अर्ध-सरकारी निकाय है। जब इसके पास कोई प्रार्थनापत्र आते हैं तो इसे गुणदोष के आधार पर इन पर विचार करना पड़ता है। प्रार्थनापत्रों को मंजूर करते हुए यह निगम पूर्ववर्तिता अथवा सरकार की उपरि आयोजन नीति के आधार पर काम नहीं कर सकता है। उपरि आयोजन अथवा उपरि पूर्ववर्तिता का जो प्रश्न है उसके सम्बन्ध में सरकार ही निश्चय कर सकती है। अधिनियम में लिखा गया है कि सरकार निगम को साधारण नीति के सम्बन्ध में समय समय पर परामर्श देती रहेगी। यदि सरकार ऐसा न कर सकी है तो यह सरकार का दोष है, न कि निगम का। आखिर, सरकार की यह नीति होनी चाहिये कि वह इस बात की ओर ध्यान दे कि निगम पूर्ववर्तिता के किसी विशिष्ट आधार पर ऋण दे दे।

इस बात पर हुल्ड मचाया गया है कि समवायों के नाम नहीं बता दिये गये हैं। क्या इसमें निगम का दोष है ? प्रत्येक बैंकर पर यह ज़िम्मेदारी आ जाती है कि वह रुपया लेने अथवा देने वालों के नाम प्रकट न करे। यह एक सीधी सी बात है जो कि डा० मुखर्जी को जाननी चाहिये। तथा यह अधिनियम में भी दी गई है। मान लीजिये कि यदि इन समवायों के नामों की सूची भी दी जाय, तो क्या संसद् यहां व्यक्तिगत मामलों पर विचार कर सकती है ? क्या सदन में बार बार यह नहीं कहा गया है कि व्यक्तिगत मामलों पर सदन द्वारा विचार नहीं होगा ? व्यक्तिगत मामलों पर केवल लोक लेखा समिति में अथवा अनौक समिति में विचार किया जा सकता है, सदन में नहीं। मैं स्वयं महसूस करता हूं कि इन रिपोर्टों में बहुत ही कम सूचना दी गई है। परन्तु फिर भी यदि हम इनको भली भांति पढ़ लें तो हमारा बहुत कुछ काम चल सकता है।

इस पक्ष की ओर से एक सदस्य ने बताया कि यह निगम ३० लाख रुपये प्रति वर्ष के दर से व्यय कर रहा है। इस पर मुझे हैरानी हुई। मैं ने रिपोर्टों को पढ़ लिया तथा देखा कि १९४८–४९ में कार्यालय आदि पर २.८७ लाख रुपये व्यय हुए हैं जबकि मंजूर किया हुआ ऋण ३.४२ करोड़ रुपये था। इस तरह से व्यय का अनुपात ०.८ प्रतिशत था। १९४९–५० में व्यय का अनुपात १.२७ प्रतिशत था। १९५०–५१ में व्यय का अनुपात २.१ प्रतिशत था तथा १९५१–५२ में यह १.२८ प्रतिशत था। मैं ने इसकी ब्रिटेन के निगमों के व्यय अनुपात से तुलना की। वहां औद्योगिक निगम के सम्बन्ध में व्यय का अनुपात ०.५२ प्रतिशत है तथा उद्योग तथा वाणिज्य निगम के सम्बन्ध में यह ०.६ प्रतिशत है। अर्थात् हमारे व्यय अनुपात से आधा है। परन्तु इसके साथ ही हमें याद रखना होगा कि उन निगमों का कारबार हमारे औद्योगिक वित्त निगम से तिगना है। यदि हमारा कारबार अर्थात् स्वीकृत पूंजी भी बढ़ जायेगी तो मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे व्यय का अनुपात भी घट जायगा जैसे कि यह घट रहा है। फिर भी मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूं कि हमारा व्यय अनुपात अधिक है तथा सरकार को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि यह अनुपात घट कर ०.६ अथवा ०.५ प्रतिशत पर आ जाय जैसे कि ब्रिटेन में है।

[श्री बंसल]

कहा गया है कि सरकार अर्थ-सहायता के रूप में अब तक २७ लाख रुपये दे चुकी है। मैं ने रिपोर्टों को पढ़ा तथा देखा कि १९४८-४९ में १०.९ लाख रुपये की अर्थ-सहायता दी गई है। १९४९–५० में यह ८.६८ लाख रूपये थी। १९५०–५१ में यह ४.३१ लाख रुपये तथा १९५१–५२ में यह २.९ लाख रुपये थी। इस से स्पष्ट है कि निगम संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है; यहां तक कि अर्थ-सहायता की वार्षिक राशि ११ लाख से घट कर लगभग ३ लाख रुपये हो गई है।

इसके अलावा सरकार को अनिवार्य लाभांश के रूप में निगम से अब तक ९ लाख रुपया प्राप्त हुआ है।

श्री एम० सी० शाह: १८ लाख रुपये।

श्री बंसल: इस निगम से इन चार वर्षों के अन्दर आय-कर तथा निगम-कर के रूप में सरकार को २२.८ लाख रुपया दिया है। यदि आप इन आंकड़ों पर भली भांति ध्यान देंगे तो आपको मालूम होगा कि इन चार वर्षों में इस निगम की गतिविधियों के परिणाम-स्वरूप सरकार को ५ लाख रुपये का विशुद्ध लाभ हुआ है।

सभापति महोदय: क्या माननीय सदस्य और अधिक समय लेना चाहते हैं?

श्री बंसल: जी हां।

सभापति महोदय: तो फिर अब सदन की बैठक स्थगित होगी।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मध्याह्न भोजन के लिये ढाई बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात सदन की बैठक ढाई बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री बंसल: इस विधेयक के खंड २२ में कहा गया है कि अनिवार्य लाभांश से एक विशेष रक्षित निधि स्थापित की जायगी। कुछ सदस्यों ने इस पर आपत्ति उठाते हुए कहा है कि यह लाभांश क्यों निगम को दिया जाना चाहिये। वास्तव में यह निगम को नहीं दिया जा रहा है। विधेयक से आपको पता चलेगा कि अंशधारियों का इस पर कोई अधिकार नहीं। केवल केन्द्रीय सरकार अथवा रिज़र्व बैंक इस निधि पर अपना दावा कर सकता है।

प्रतिपक्ष की ओर से कहा गया है कि इस विधेयक के परिणामस्वरूप विदेशियों को हमारे देश के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिक मौका मिलेगा तथा यह भारतीय वित्त पूंजी तथा विदेशी पूंजीपतियों में एक नापाक गठजोड़ होगा। इस प्रकार के आरोप पहले भी कई बार लगाये जा चुके हैं तथा प्रधान मंत्री ने इनका जोरदार शब्दों में खंडन भी किया है। इस देश का जनमत इस बात के पक्ष में है कि विदेशों में व्यक्तिगत स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि पूंजी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त की जाये क्योंकि विदेशों के साथ जो उभयपक्षी करार किये जाते हैं उनके साथ किसी न किसी रूप में अवश्य ही शर्तें लगी रहती हैं। मेरा अपना विचार है कि यह करार इस कसौटी पर उतरता है क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय बक के साथ किया जा रहा है। इस में सन्देह की गुंजाइश नहीं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं उन लोगों में से हूं जो कि यह विश्वास रखते हैं कि विदेशी सहायता कम से कम ली जानी चाहिये। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या निगम के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से यह सहायता लेना अत्यन्त ही आवश्यक है। निगम की पिछली एक रिपोर्ट में कहा गया है

कि ऋण के लिये प्रार्थनापत्रों की कमी का कारण यह था कि लोग मशीनरी, कच्चा माल आदि प्राप्त करने के सम्बन्ध में निश्चित नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप निगम ने एक प्रश्नावली परिचालित की जिस में इच्छुक प्रार्थियों से पूछा गया कि उनकी वास्तविक कठिनाइयां क्या थीं। इस प्रश्नावली के उत्तर में लोगों ने क्या कुछ लिखा यह हमें नहीं बताया गया है। मेरा अपना विचार है कि विदेशी पूंजी अथवा दुर्लभ मुद्रा के सम्बन्ध में लोगों ने उस प्रश्नावली के उत्तर में अपनी बहुत ज्यादा मांग नहीं दिखाई है। ऐसी दशा में मेरी समझ में यह नहीं आता है कि हम आठ करोड़ रुपये की यह पूंजी क्यों आयात कर रहे हैं विशेषकर जब कि हमें इस पर लगभग उतना ही ब्याज देना पड़ता है जितना कि हम विभिन्न समवायों से लेते हैं। इसलिये मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि यह करार करने से पूर्व वह विदेशी पूंजी से सम्बन्धित अपनी आवश्यकताओं की भली भांति छान-बीन करें।

आलोचना में यह भी कहा गया है कि यह निगम छोटे छोटे समवायों को कोई सहायता नहीं देता है तथा स्वयं यह निगम बहुत ही छोटे पैमाने पर है। कहा गया कि गत चार वर्षों में इसने केवल ७ करोड़ रुपय कर्ज़े के रूप में दिया जब कि, वास्तव में, इससे दुगनी राशि स्वीकृत की गई थी। जहां तक पहली शिकायत का सम्बन्ध है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए राज्य वित्त निगम है। यदि कुछ राज्यों ने इस सम्बन्ध में कानून नहीं बनाया है अथवा आवश्यक अधिसूचनाएं जारी नहीं की हैं तो इसमें औद्योगिक वित्त निगम अथवा वित्त मंत्री का कोई दोष नहीं।

दूसरे यदि यह निगम छोटे समवायों को कर्जा देना शुरू करेगा तो इस से व्यय का अनुपात भी बढ़ जायेगा। ब्रिटेन में ऋण की निम्नतम सीमा दो लाख पौंड अथवा २० लाख रुपये रखी गई है जो कि एक बड़ी राशि है। मेरा अपना विचार है कि इस निगम को बड़े तथा दरम्यानी उद्योगों का अर्थसंधारण करना चाहिये तथा छोटे छोटे उद्योगों के अर्थसंधारण का काम राज्य वित्त निगमों पर छोड़ा जाना चाहिये।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि यह निगम सरकार की विकास योजनाओं की ओर ध्यान नहीं देता है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन को इस बात का फैसला करना होगा कि क्या इस निगम को कार-बारी निकाय के रूप में चलाया जाना है अथवा योजना आयोग के एक अंग के रूप में। मेरा अपना सुझाव यह है कि इसे एक कार-बारी निकाय के रुप में चलाया जाना चाहिये; परन्तु यदि इस बात का निश्चय किया जाय कि नये उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में देश की आवश्यकताओं को पूरा करना है तो फिर एक दूसरे प्रकार का उद्योग विकास निगम स्थापित किया जाना चाहिये। या हमें ईसी अधिनियम में संशोधन करना होगा जिससे निगम को इस बात का अधिकार दिया जाय कि वह आवश्यक उद्योगों को, उनकी आर्थिक दृढ़ता न होने के बावजूद ऋण दें।

कुछ माननीय सदस्य इस गलतफहमी में हैं कि इस निगम का उद्देश्य नये उद्योगों के खोलने में सहायता देना है। ऐसी बात नहीं है। मेरे विचार में इसका उद्देश्य चालू उद्योगों को वह पूंजी उपलब्ध कराना है जो कि उन्हें शेयर बाज़ार से प्राप्त नहीं होती हो, अर्थात उन में लगी पूंजी की कमी को दूर करना है। परन्तु यदि इस सदन की यह राय है कि अब समय आ चुका है जबकि इस निगम को नये उद्योगों के विकास कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये तो मेरे विचार में हमें इस अधिनियम में पूर्णतयः संशोधन

[श्री बंसल]

करना चाहिये, मैं इस प्रस्थापना के विरुद्ध नहीं हूं ।

कई माननीय सदस्यों ने बताया कि इस निगम को एक राज्य निगम का रूप दिया जाना चाहिये परन्तु किसी ने भी उस खंड की ओर निर्देश नहीं किया जिसके अन्तर्गत निगम को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी ऐसे समवाय को अपने अधिकार में ले सकता है जोकि निगम द्वारा निश्चित किये गए स्तर से नीचे का हो । एक अर्ध-सरकारी निकाय को ऐसी शक्ति दी जाये, इस पर मुझे आपत्ति है । मेरा सुझाव यह है कि यह अधिकार निगम के हाथ में न होकर स्वयं भारत सरकार के हाथ में होना चाहिये । यदि निगम किसी समवाय को निश्चित स्तर से नीचे पाये तो इसे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को लिखना चाहिये तथा वह उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत इसे अपने अधिकार में ले सकता है । इसके बाद सरकार किसी प्रबन्धक को अथवा किसी प्रबन्ध अभिकर्ता को इस निगम का कार्यभार सौंप सकता है । निगम को यह अधिकार देना किसी भी तरह ठीक न होगा ।

डा० कृष्णास्वामी : माननीय मंत्रियों ने औद्योगिक वित्त निगम से कर्ज़ा लेने वाले समवाय के नाम बताने से जो इन्कार किया है, उसके सम्बन्ध में मैं कोई कटु विचार प्रकट नहीं करना चाहता हूं परन्तु मैं सदन तथा माननीय मंत्रियों को बता देना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक जिस से कि हमारे औद्योगिक वित्त निगम को धन प्राप्त होगा, अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उन देशों तथा उन समवायों के नाम प्रकाशित करता है जिन्हें कि वह ऋण दे देता है । ऐसी दशा में यह कोई भी बुरी बात नहीं होती यदि सरकार हमें उन समवायों के नाम देती; वरण इस से लाभ यह होता कि हम अधिक अच्छी तरह अपने सुझाव पेश कर सकते । संसद्, जो कि इस देश की उच्च-तम संस्था है का यह अटल तथा अभिन्न अधिकार है कि वह यह जान ले कि इस प्रकार की संस्थाओं में दर पर्दा क्या हो रहा है । मेरे पूर्ववक्ता ने अभी बताया कि यह निगम एक वाणिज्यक निकाय है तथा यह केवल वाणिज्यक हितों को ही ध्यान में रख सकता है । उन्होंने यह भी बताया कि संसद् को इसके मामलों में हस्तक्षेप करना अथवा इसके नाम अनुदेश जारी करना उचित नहीं है । मुझे यह सुनकर हैरानी हुई । जब यह लिखा गया है कि यह निगम 'लोक हित' में काम करेगा तो निस्सन्देह ही आपको हस्तक्षेप करने का तथा यह निश्चित करने का कि 'लोक-हित' क्या है, अधिकार है ।

हम सभी यह मानते हैं कि औद्योगिक वित्त निगम समानान्तर प्रतिभूति के आधार पर कर्जे दे देता है । परन्तु कर्ज़ा देते समय क्या वह केवल समानान्तर प्रतिभूति को ही ध्यान में रखते हैं तथा क्या वह बड़े बड़े 'नामों' को ध्यान में नहीं रखते हैं ? निस्सन्देह यह सदन उचित रूप से महसूस कर रहा है कि कई बार नये उद्यमों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता है यद्यपि उनकी समानान्तर प्रतिभूति उतनी ही अच्छी होती जितनी कि दूसरे समवायों की । अन्तर केवल इतना है कि इन्हें उतनी ख्याति प्राप्त नहीं होती है । संसद् को यह जानने का अधिकार है कि यह ऋण कैसे दिए जाते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुराने तथा सुस्थापित उद्योगों को उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है जिनका कि नये उद्योगों को करना पड़ता है ।

बताया गया है कि रिपोर्ट में तथ्य तथा आंकड़े दिये गए हैं । परन्तु यह इतने कम तथा बिना किसी विस्तार के हैं कि इन से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है । श्रीमन्, १९४८ में जबकि आप भी प्रवर समिति के सदस्य थे, आप ने सिफारिश की थी कि औद्योगिक वित्त निगम का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वह पिछड़े हुए क्षेत्रों में खोले गए उद्योग धन्धों को सहायता दे तथा तत्कालीन वित्त मंत्री श्री चेट्टी ने इस सम्बन्ध मे आश्वासन भी दिया था । आज हम देखते हैं कि हमें सम्पूर्ण बम्बई राज्य के लिए आंकड़े दिए गए हैं जिसमें कि महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के पिछड़े हुए क्षेत्र भी शामिल हैं । ऐसी दशा में हमें यह कैसे मालूम हो सकता है कि उन क्षेत्रों में भी उद्योग धन्धों को सहायता दी गई है ?

अब हम ज़रा इस बात पर विचार करेंगे कि यह किस आधार पर उद्योगों को ऋण के रूप में सहायता देता है । हमें मालूम है कि सूती कपड़े के उद्योग का इस देश में काफी विकास हुआ है, तथा इसमें और अधिक धन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि बम्बई को छोड़ कर अन्य राज्यों में यदि कपड़े की और मिलें खोली जायें तो वह सरकार की नीति के बिल्कुल अनुकूल होगा क्योंकि सरकार इस उद्योग का प्रादेशिक-करण करना चाहती है । मैं निवेदन करता हूं कि यदि ऋण देने के लिए निगम ने यही कसौटी रखी है तो इसे यह बात अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट करनी चाहिए थी । दूसरी बात यह है कि निगम केवल वाणिज्यक-लाभ के आधार पर ऋण देने की बात का फैसला करने जा रही है । यह ठीक है, किन्तु हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कहीं इस तरह से कुछ विशिष्ट समवायों को अनुचित रूप मे एकाधिपत्य प्राप्त न हो , सरकार को आवश्यक रूप से एकाधिपत्य तथा इस प्रकार की बुरी प्रथाओं को रोकने के लिए उपाय ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए । इस प्रकार के निगम जिन पर कि संसद् की निगरानी न हो, इन कुप्रथाओं को फूलने फलने का अवसर प्रदान करते हैं । माननीय मंत्री हम से सहमत होंगे कि यह निगम संसद् के नियंत्रण में होने चाहियें तथा इनका काम चोरी छिपे नहीं होना चाहिए । इन निगमों को यह बात जता देनी चाहिए कि उन्हें केवल विशेषाधिकारों का फायदा उठाते रहना नहीं है अपितु उनका समाज के प्रति भी कुछ दायित्व है ।

मेरा अपना अनुमान यह है कि इस विषय में सरकार ने जो रास्ता अपनाया है वह उतना उचित तथा न्यायसंगत नहीं जितना कि होना चाहिए था। यदि हम अपने औद्योगिक वित्त निगम की ब्रिटेन के उद्योग तथा वाणिज्य वित्त निगम के साथ तुलना करेंगे तो हम इन दोनों की कार्यवाहियों में भारी अन्तर पायगे । ब्रिटेन में यह न केवल समवायों को ऋण दे देता है अपितु विभिन्न समवायों की सम्पत्ति का अंश भी लेता है । दूसरे शब्दों में इसका सम्बन्ध न्यायपूंजी अथवा जोखिम पूंजी से है । कई सदस्यों ने यहां भी इस व्यवस्था की आवश्यकता पर ज़ोर दिया । मैं भी उन से सहमत हूं । परन्तु मुझे इसमें सन्देह है कि क्या इस निकाय के लिए यह काम करना उचित है । बहुत सी परियोजनाओं की असफलता एक कारण है कि उस निकाय के लिए उद्योगों को जोखिम पूंजी प्रदाय करना क्यों अनुचित होता । इससे इसकी ख्याति में फर्क आजाता । बैंकर तथा बीमा कम्पनियों के डायरेक्टर सदा सुरक्षितता को ध्यान म रखते हैं क्योंकि उन्हें अपने निक्षपकों तथा बीमा करने वालों के हितों को ध्यान में रखना होता है। उद्योग-वित्त निगम अपनी वर्तमान स्थिति में इसी आधार पर काम कर सकता है । यही कारण है कि ब्रिटेन का

[डा० कृष्णास्वामी]

उद्योग-वाणिज्य -वित्त निगम क्यों बड़े पैमाने पर समवायों से शेयर (अंश) नहीं खरीदता है। इसके अलावा हमारे यहां और भी एक कठिनाई है तथा वह 'प्रबन्ध अभिकरणों' के सम्बन्ध में है। ऐसे निकायों में प्रबन्ध अभिकरण ही सब कुछ होते हैं, अंशधारियों का कोई महत्व नहीं होता है। ज्यों ही हम जोखिम पूंजी अथवा न्याय्य पूंजी की बात सोचेंगे, त्योंही हमें प्रबन्ध अभिकरण व्यवस्था के सम्बन्ध में भी अपने विचार बदलने होंगे। हमें कम्पनी कानून में भी भारी संशोधन करना होगा जिससे कि यदि हम इन संस्थाओं के अधिक अंश खरीदेंगे तो हमारा इन पर अधिक नियंत्रण रहे। न केवल इसके प्रबन्ध में हमारा हाथ रहे अपितु हमें नफा का भी हिस्सा मिले।

औद्योगिक वित्त निगम, आखिरकार, सीमित ही कार्य कर सकता है। परन्तु हमें याद रखना चाहिए कि सभी बड़ी बड़ी संस्थाएं कम पूंजी से ही अपना काम शुरू करती हैं तथा हमें इस बात की ओर विशेष ध्यान देना होगा कि यह निगम सही आधार पर अपना काम चलाये। आज हम महसूस कर रहे हैं कि इसका काम सही लाइनों पर नहीं चल रहा है। यह संसद् के सामने इसकी नीति के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। यदि इस बात पर सन्देह करने के कारणें मौजूद हों जैसे कि इस समय हैं—कि दाल में कुछ काला है तो निस्सन्देह ही समय आ चुका है जब कि संसद् को उस संविधि में परिवर्तन करना चाहिए जिसके अन्तर्गत यह स्थापित किया गया है।

हम यह जानना चाहते हैं कि इस निगम द्वारा पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को कितनी सहायता दी गई है, दरम्यानी तथा छोटे छोटे उद्योगों को क्या सहायता दी गई है तथा हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह किसी तरह से एकाधिपत्य प्रथा को तो प्रोत्साहन नहीं दे रहा है।

आज भारतीय अर्थ-व्यवस्था की एक बड़ी समस्या यह है कि कई उद्योग पूंजी के अभाव में कठिनाई का सामना कर रहे हैं तथा एक तरह से समाप्त हो रहे हैं। यदि रिजर्व बैंक कहीं कम उधार देने की नीति अपनायेगा तो यह उद्योग बेमौत मर जायेंगे। मेरा अपना विचार है कि राज्य को इन उद्योगों में दिलचस्पी लेनी चाहिए तथा इनके पूंजी-ढांचे में परिवर्तन लाना चाहिए। दूसरे देशों में ऐसे उद्योगों के अर्थ संधारण के लिए काफी संस्थायें काम कर रही हैं। यहां ऐसे निकायों के अभाव में राज्य तथा रिजर्व बैंक को एक विकास निगम के सहयोग में यह काम करना होगा। प्राइवेट क्षेत्र में इन उद्योगों को पनपने देने की जो बात है वह एक भारी आयोजन की समस्या समझी जानी चाहिए तथा इसे टाल नहीं दिया जाना चाहिए। छोटे छोटे उद्योगों के सामने वास्तविक कठिनाई जोखिम पूंजी की है। प्राइवेट क्षेत्र को ईश्वर के नाम पर छोड़ा गया है। यदि आप एक ऐसा प्राइवेट क्षेत्र रखना चाहते हैं जिसमें एकाधिपत्य की बुराइयां विद्यमान न हों तो आपको इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा तथा इसे जोखिम पूंजी उपलब्ध कराने के लिए उपाय ढूंढ़ने होंगे। वर्तमान औद्योगिक वित्त निगम यह महान् कार्य करने के सर्वथा अयोग्य है, परन्तु राज्य की इस सम्बन्ध में भारी ज़िम्मेदारी है जोकि इसे पूरी करनी होगी। रिजर्व बैंक के पास भी इन कार्यों के लिए काफी धन है। हम इन में से बहुत से समवायों का भरण पोषण कर सकते हैं। इस तरह से शेयर बाज़ार में भी काफी स्टाक तथा शेयर आ सकते हैं। इससे जनता में भी पैसा बचाने की भावना उत्पन्न होती है। परन्तु यह केवल तभी हो सकता है जबकि सरकार को अपने आप में विश्वास हो, प्राइवेट क्षेत्र में विश्वास हो तथा मिश्रित-अर्थ-व्यवस्था में विश्वास हो।

हमें बताया जाता है कि हम इस विधेयक को पास करके औद्योगिक वित्त निगम के अधिकार बढ़ा दें। मुझे समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्यों करें विशेष कर मंत्रियों के रवैये को देखकर। हमें बताया जाता है कि हम इस विधेयक को तुरन्त पास करें, नहीं तो अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण-प्राप्ति में विलम्ब होगा। यह ठीक है किन्तु देखना यह है कि ऋण-प्राप्ति के बाद हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा, हमें इस बात पर आश्वासन मिलना चाहिए कि यह ऋण केवल इने गिने लोगों को नहीं अपितु उन समवायों को दिये जायेंगे जोकि सामाजिक हित को बढ़ा सकेंगे। तथा ऋण केवल उन व्यक्तियों को दिए जाने चाहिएं जो प्राइवेट तथा सामाजिक हितों में सामंजस्य उत्पन्न कर सकें। हमें केवल वाणिज्यक मुनाफे को ही दृष्टि में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा एक विकास निगम, जिसका कि मैंने सुझाव दिया है, स्थापित करने की बात पर योजना आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व ही विचार किया जाना चाहिए, जोकि उद्योगों की न्याय्य पूंजी अथवा जोखिम पूंजी उपलब्ध करा सकता है। मुझे आशा है कि सरकार इन सुझावों पर विचार करके इस उद्देश्य के लिए एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे। अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये तो इससे फायदा ही होगा नुक्सान नहीं। मुझे खेद है कि इस सत्र के शुरू से ही सरकार का रवैया ऐसा रहा है जिसे सहयोगात्मक अथवा सहायतापूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

श्री के० के० देसाई (हालर) : जिस समय औद्योगिक वित्त निगम कानून बनाया गया था उस समय डा० मुखर्जी मंत्रि-मंडल में थे तथा उन्हें भलीभांति मालूम है कि यह किस उद्देश्य से बनाया गया था। इसका उद्देश्य उन समवायों को उधार देना है जोकि उचित रूप से सुरक्षित हों। इसकी संविधि में भी ऐसा ही कहा गया है। ऐसी दशा में यह कहना बिल्कुल असंगत होगा कि यह निगम जोखिम पूंजी प्रदाय क्यों नहीं करता है।

जहां तक उन समवायों के नाम देने का सम्बन्ध है जिन्हें कि ऋण दिये गये हैं, मैं निवेदन करता हूं कि यदि संसद् इस निश्चय पर पहुंचेगी कि उन्हें अथवा निगम को इस सम्बन्ध में कोई हानि नहीं पहुंचाई जायगी, तो यह नाम देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परन्तु यदि संसद् बाल की खाल उतार कर यह जानने की कोशिश करेगी कि क्यों अमुक अमुक प्रार्थना पत्र रद्द किया गया तथा क्यों अमुक प्रार्थनापत्र स्वीकृत किया गया तो निस्सन्देह यह एक दुःसह स्थिति होगी जिससे कि उन समवायों को निगम से बजाय फायदे के नुकसान ही होगा। कुछ भी हो, आपको इस प्रश्न पर गुण दोषों के आधार पर विचार करना होगा।

डा० मुखर्जी को मालूम है कि हमें इस निगम पर अधीक्षण करने का अधिकार है। उन्हें यह भी मालूम है कि सरकार इसके नाम अनुदेश तथा विदेश जारी कर सकती है तथा यदि निगम उन निदेशों का पालन नहीं करेगी तो वह इसे अपने अधिकार में ले सकती है। किन्तु भारत सरकार इस सदन के समक्ष उत्तरदायी है। इस तरह से इस सदन का भी अप्रत्यक्ष रूप से निगम पर नियंत्रण है। इस निगम की रिपोर्ट सदन में पेश होती है और माननीय सदस्य इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री गाडगिल : परन्तु यदि रिपोर्ट में केवल रूप-रेखा दी गई हो तो वह क्या चर्चा कर सकते हैं ?

श्री के० के० देसाई : जहां तक औद्योगिक वित्त निगम की रचना का सम्बन्ध है, सरकार

[श्री के० के० देसाई]

एवं रिज़र्व बैंक ने इस में दो करोड़ रुपये लगाए हैं। बैंकों तथा बीमा कम्पनियों ने तीन करोड़ रुपये लगाए हैं। संचालक बोर्ड में रिज़र्व बैंक के दो मनोनीत डायरेक्टर हैं, सरकार के तीन मनोनीत डायरेक्टर हैं तथा प्रबन्ध संचालक निगम द्वारा सरकार की अनुमति से नियुक्त किया जाता है। जहां तक पूंजी का सम्बन्ध है, बैंकों, बीमा कम्पनियों के तथा सहकारी बैंकों का इस में अधिक हिस्सा है तथा इनके डायरेक्टर निर्वाचित होते हैं। जब कोई प्रार्थी ऋण के लिए प्रार्थना करता है तो उसके प्रार्थनापत्र की सब से पहले बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की कार्यपालिक समिति द्वारा जांच होती है।

श्री फ़ीरोज़ गांधी: (ज़िला प्रतापगढ—पश्चिम व जिला राय बरेली—पूर्व): यदि कोई डायरेक्टर उधार के लिए प्रार्थना करे तो क्या होता है ?

श्री के० के० देसाई: उस दशा में वह डायरेक्टर चर्चा में भाग नहीं लेता है।

श्री फ़ीरोज़ गांधी: कितने डायरेक्टरों ने अब तक उधार लिया है ?

श्री के० के० देसाई: वास्तव में मैं यह सूचना दे सकता हूं परन्तु मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की बात मंत्री जी पर छोड़ता हूं।

कहा गया है कि इस संस्था ने छोटे उद्योगों की कोई सहायता नहीं की है। मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि इस ने लगभग ५३ समवायों को १० लाख रुपये से कम के ऋण दिए हैं। जहां तक अन्य छोटे छोटे उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों का सम्बन्ध है उन्हें राज्य औद्योगिक वित्त निगम, जिन्हें स्थापित किये जान की प्रस्थापना है, ऋण दे देंगे।

एक माननीय सदस्य ने बताया तथा ठीक ही बताया कि औद्योगिक वित्त निगम गत चार वर्षों में प्रारम्भिक अवस्था में था। उसे सावधानी से काम करना था तथा यह कोई जोखिम नहीं ले सकता था। अब सरकार निरन्तर रूप से इसके सम्पर्क में है, वित्त मंत्रालय तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दो डायरेक्टर इस में हैं। वह संचालक बोर्ड की कार्यपालिका समिति के साथ भी सम्बद्ध हैं।

बताया जाता है कि इस निगम ने लाभांश के रूप में अंशधारियों को २६ लाख रुपया दिया है। परन्तु इस के साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि सरकार ने इसी काल में निगम से ब्याज तथा आयकर के रूप में क्रमशः १८ लाख रुपये तथा १५ लाख रुपये वसूल किए हैं। यह भी कहा जाता है कि स्वीकृत ऋण के केवल आधे का फायदा उठाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह ऋण मशीनें आदि खरीदने के लिए दिए जाते हैं। ज्यों ज्यों मशीन आदि उपलब्ध होती हैं, इन से फायदा उठाया जाता है। मुझे आशा है कि अगले वर्ष जो भी धनराशि ऋणों के रूप में देने के लिये स्वीकृत की जायगी उसका समवायों द्वारा पूरा पूरा फायदा उठाया जायगा।

कुछ लोगों के साथ यह फैशन बन गया है कि वह हर चीज़ को जो कि बाहर से प्राप्त की जाये, साम्राज्यवाद के नाम से पुकारते हैं। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक जिस से कि कर्ज़ा लेने की प्रस्थापना है एक ऐसी संस्था है जिसका भारत भी सदस्य है। इसकी स्थापना में भारत का भी हाथ है। हम ने इस संस्था से और भी ऋण लिये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक व्यक्तियों को सीधे ऋण नहीं दे सकता है। वह किसी

अभिकरण द्वारा यह ऋण देना चाहता है। अब तक औद्योगिक वित्त निगम को ऐसे ऋण प्राप्त करने का अथवा इनके वितरण का कोई अधिकार नहीं था। इस विधेयक के द्वारा इस निगम को अन्तर्राष्ट्रीय बैंक अथवा सरकार के एजंट के रूप में कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

श्री बंसल ने कहा कि औद्योगिक वित्त निगम को कोई समवाय अपने नियन्त्रण में लेने का अधिकार नहीं होना चाहिये। मेरे विचार में यह उपबन्ध लगाई गई पूंजी की सुरक्षितता के लिये रखा गया है। यदि कोई समवाय किस्त अथवा ब्याज नहीं देता रहेगा अथवा नियमों का उल्लंघन करता रहेगा तो यह कार्यवाही करनी ही पड़ेगी।

जहां तक औद्योगिक वित्त निगम के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, मेरे विचार में संसद् को इस पर गुण दोषों के आधार पर विचार करना चाहिये। वैसे तो सरकार को इस निगम के सम्बन्ध में पूरे अधिकार प्राप्त हैं तथा यह सरकार की देख रेख में काम करता है।

जहां तक ऋणों का मंजूर करने का प्रश्न है मैं यहां यह कहने को तैयार हूं कि इस सम्बन्ध में कोई भी भेदभाव की नीति नहीं बर्ती गई है, सारे प्रार्थनापत्रों की जांच होती है तथा उन पर फैसले किये जाते हैं। गत अवसर पर माननीय वित्त मन्त्री ने चुनौती दी थी कि यदि किसी सदस्य को ऐसे किसी मामले की जानकारी है जहां कि भेदभाव की नीति अपनाई गई हो तो वह उस मामले को उनके ध्यान में लाए।

श्री ए० सी० गुहा: यह निर्देश स्पष्टतः मेरी ओर है। मैंने उस समय यह कहा था कि मैं सदन में यह नाम नहीं बता सकता हूं परन्तु माननीय मन्त्री को अलग उनके कमरे में यह बता सकता हूं। किन्तु मुझे खेद है कि उन्होंने कभी भी इस प्रयोजन के लिये मुझे अपने पास नहीं बुलाया है, उन्होंने सक्रिय रूप से यह बात मान ली है कि ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं। उन्होंने इस बात से इंकार नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे मालूम नहीं कि बैंक नियमों के जानते हुये भी क्यों इतने माननीय सदस्य उन पक्षों के नाम जानने के उत्सुक हैं जिन्हें कि ऋण दिये गये हैं। आखिर यह कोई रहस्य तो नहीं है। माननीय सदस्य को यह नाम तब तक अपने हृदय में ही रखने चाहियें जब तक कि माननीय मन्त्री उन्हें यह सूचना देने के लिये न बुलाएं।

श्री के० के० देसाई: मैं समझता हूं कि इस सदन को इस निगम के बारे में अधिकाधिक सूचना प्राप्त होनी चाहिये। जहां तक समवायों के नाम बता देने का प्रश्न है प्रधान मन्त्री ने बताया कि वित्त मन्त्री ने इस सम्बन्ध में एक विशेष नीति बर्त रखी है। कुछ भी हो सरकार को इस प्रार्थना पर तथा सदन में दिये गये सुझावों पर विचार करना चाहिये।

इस बात की आशंका प्रकट की गई है कि उधार केवल पुराने समवायों को दिये गये हैं तथा नये इस सहायता से वंचित रह गये हैं, परन्तु आंकड़ों का विश्लेषण करने पर आपको पता चलेगा कि लगभग ६ करोड़ रुपये नये प्रकार के उद्योगों को ऋण के रूप में दिया गया है तथा लगभग साढ़े चार करोड़ रुपये नये समवायों अथवा उपक्रमों को दे दिये गये हैं। शेष उन समवायों को दिया गया है जो कि पहले से ही विद्यमान हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा० लंका सुन्दरम (विशाखापटनम): मुझे खेद है कि इस वाद विवाद में कई अड़चनें पैदा हुई हैं। इनका आसानी से निवारण किया जा सकता है यदि सरकार ने सदन के

[डा० लंका सुन्दरम]

अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के प्रति निरपेक्ष रवैया धारण नहीं किया होता।

[श्री पाटस्कर अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए] ।

वाद विवाद के आरम्भ में उपाध्यक्ष महोदय ने विनिर्णय देते हुये मांग की थी कि कुछ विशिष्ट सूचना जिसमें कि उन समवायों के नाम भी शामिल हैं जिन्हें कि निगम द्वारा ऋण दिया गया है, सदन को दी जानी चाहिये, लेकिन सरकार ने उन के इस आदेश का तिरस्कार किया । हमें बताया गया है कि वित्त मन्त्री इस समय देश से बाहर हैं तथा उनके आने तक कुछ नहीं किया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मन्त्री ने इन्हें गुप्त रूप से आश्वासन दिये हैं, क्या वह आश्वासन रिकार्ड में नहीं हैं ? यह कहां तक ठीक है कि भारत की इस प्रभुत्व सम्पन्न संसद् को उस समय तक प्रतीक्षा करने के लिये कहा जाये जब तक किसी मन्त्री विशेष को काम करने की सुविधा हो ? सरकार के इस अनुचित रवैये के प्रति देश में भी रोष प्रकट किया गया है, समाचार पत्र 'हिन्दू' जो कि अपनी नर्मी के लिये प्रसिद्ध है, का २९ नवम्बर का सम्पादकीय इसका प्रमाण है।

समवायों के नाम जान कर हमारा उद्देश्य उनको नुकसान पहुंचाना नहीं था । हम तथा हमारे साथ सारा देश एक सीधी सी बात जानना चाहता है कि क्या ऋण देने में पक्षपात से काम नहीं लिया जाता है ? क्या यह एकाधिपत्य को तो प्रोत्साहन नहीं देता है ? तथा क्या व्यवसायिकों का एक गुट इस निगम के धन को अपने अथवा अपने रिश्तेदारों के घरों को भरने के लिये तो उपयोग में नहीं ला रहा है ? माननीय मन्त्री मेरी इस बात का खण्डन कर सकते हैं कि तीन ऐसे समवायों को ११६ लाख रुपये दे दिया गया है जिनका सम्बन्ध इस निगम के अध्यक्ष अथवा डायरेक्टर अथवा उनके परिवारों के साथ है । मैं इनके नाम भी दे सकता हूं परन्तु मैं देना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं । सारी बात यह है कि क्या यह सत्य है अथवा नहीं है कि इस निगम के अध्यक्ष से लेकर सभी अधिकारी अपने लिए, अपने मित्रों के लिये तथा अपने कारबारी साथियों के लिये ऋण प्राप्त कर सके हैं ?

२६ लाख रुपये इस समय तक लाभांश के रूप में दिया जा चुका है । ५० लाख रुपये शीघ्र एक विशेष रक्षित निधि में रखे जा रहे हैं। अंश पूंजी का दो करोड़ रुपया इसमें लग चुका है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इस सदन के कुछ अधिकार तथा विशेषाधिकार हैं जिन की गारण्टी दी जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय ने पहिले ही दिन निर्णय दिया था। सरकार को उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिये था ।

मैं उन लोगों में से हूं जिनका कि यह विश्वास है कि केन्द्र तथा राज्यों दोनों में औद्योगिक वित्त निगम को देश के विकास तथा पुनर्निमाण के लिए आगे बढ़ना चाहिए । परन्तु जब हम इसके वर्तमान सीमित रूप को देखते हैं तो अवश्य ही यह भावना पैदा होती है कि माननीय सदस्य अतिशयोक्ति से काम ले रहे हैं । यदि हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से आठ करोड़ रुपये भी मिलेंगे तो भी यह देश के इस समय के कुल कारबार के दो प्रतिशत भाग को भी पूरा नहीं करेगा । मैं ने औद्योगिक वित्त निगम के इस समय के कुल साधनों का अन्दाज़ा लगाने की कोशिश की । यह ४० करोड़ रुपये के बराबर भी नहीं है, यदि हम पांच वर्षों की संपूर्ण कालावधि को भी ले लें ।

विधेयक में उधार की सीमा ५० लाख रुपये से बढ़ाकर १ करोड़ रुपये करने की

प्रस्थापना है। इसका अर्थ यह होगा कि इस देश में कम समवायों को इस निगम से ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा ; क्योंकि इस निगम का कारबार बहुत थोड़ा है। यह निगम पांच करोड़ रुपये भी प्रति वर्ष ऋण नहीं दे देता है। वर्ष १९५१-५२ के निगम के सन्तुलन-पत्र को देखने से मालूम होगा कि जहां कागज़ उद्योग को ७१ लाख रुपये तथा वस्त्र उद्योग को ४३.७५ लाख रुपये ऋण दे दिया गया है वहा चीनी उद्योग को ९५ लाख रुपये दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि चीनी उद्योग को इतनी बड़ी धन राशि ऋण के रूप में क्यों दे दी गई विशेषकर जब कि हमारे पास ४ लाख टन फालतू चीनी पड़ी है तथा बाहर इसकी कोई मांग भी नहीं है ? मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि यह सब कुछ व्यवसायिकों की गुटबन्दी के कारण हो रहा है जो कि इस निगम की निधि को स्वार्थ के लिए उपयोग में ला रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गुटबन्दी तथा एकाधिपत्य की इस भावना का धीरे धीरे अन्त किया जाना चाहिये।

प्राप्त सूचना के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस निगम ने गत चार वर्षों में उधार में दी गई धन राशि का लगभग एक तिहाई भाग बड़े उद्योगों को, पुराने उद्योगों को तथा परित्यक्त उद्योगों को दिया है। यदि हम जापानी तरीका अपनाते तो विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास तथा धन-उपलब्धि का अवसर प्राप्त होता। नये समवायों को जिन्हें कि शेयर बाज़ार से धन प्राप्त नहीं हो सकता था, इससे पूंजी प्राप्त हो सकती थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ? इसके चार कारण हैं। पहले यह कि दरम्यानी तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास पुराने तथा बड़े उद्योगों को धन उपलब्ध करने की अपेक्षा अधिक आवश्यक है। दूसरे बड़े बड़े औद्योगिक समवाय अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का स्वयं प्रबन्ध कर सकते हैं। तीसरे औद्योगिक वित्त निगम के पास इतने साधन नहीं कि वह बड़े समवायों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। चौथे बड़े उद्योगों के लिए धन उपलब्ध करने की व्यवस्था स्वयं योजना आयोग कर सकता है औद्योगिक वित्त निगम नहीं, क्योंकि इसके पास देश की एक प्रतिशत आवश्यकताओं को भी पूर्ण करने के लिए साधन नहीं।

मेरे मित्र श्री शाह ने बताया कि ऋण पूंजी-परिसंपन्न के आधार पर दिये जाते हैं। श्री खंडूभाई देसाई ने भी ऐसा ही कुछ कहा। मेरे पास सूचना है कि एक समवाय को जिसकी अंश-पूंजी केवल १५ लाख रुपये है, ५० लाख रूपये ऋण दिया गया है। यहां प्रतिभूति की शर्त कहां रखी गई है ?

ब्याज का प्रश्न भी बीच में लाया गया है। निगम ५½ प्रति शत के दर से ऋण दे देता है। गत वर्ष उसे बढ़ा कर ६ प्रतिशत कर दिया गया, किन्तु यह आश्वासन दिया गया है कि यदि सम्बन्धित समवाय समय पर मूलधन तथा ब्याज की किस्तें अदा करेंगे तो उन से अतिरिक्त आधा प्रतिशत नहीं लिया जायगा। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से यह धन कितने प्रतिशत ब्याज के दर से प्राप्त होता है। इसके साथ ही प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या देश के औद्योगिक विकास के लिए यह ब्याज-दर उचित है? क्या इस तरह से आप सच मुच उद्योग की सहायता कर रहे हैं ? मेरी धारणा है कि यह देश औद्योगिक रूप से तब तक उन्नति नहीं कर सकता है जब तक कि भिन्न भिन्न उद्योग न खोले जायं, जब तक कि सरकार की कोई सक्रिय उद्योग नीति न हो तथा जब तक कि उन समवायों को कम ब्याज पर ऋण प्राप्त न हो जिन्हें कि इसकी आवश्यकता है।

[डा० लंका सुन्दरम्]

खंड ११ के अन्तर्गत यह निगम उस समय तक रिज़र्व बैंक से १८ महीने के लिए ऋण ले सकता जब तक कि निगम के "बांडों" तथा ऋण पत्रों के मूल्य में घटती बढ़ती हो रही हो। तथा ३ करोड़ रुपये तक यह ऋण लिया जा सकता है। में चाहता हूं कि यह राशि दुगनी कर दी जाये ; क्योंकि मेरी धारणा है कि जब तक कि इसे चौगुना अथवा पंचगुना न किया जाये, निगम उस काम को नहीं करने पायेगा जिसकी कि हम उस से आशा रखते हैं।

मैं खंड १२ का स्वागत करता हूं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि अथवा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से हमें जो भी धन प्राप्त हो सकता है उस से हमें भयभीत नहीं होना चाहिये। हमें याद रखना होगा कि इस निधि तथा बैंक की स्थापना में भारत का भी हाथ है तथा उस में हमारा अंशदान ४० करोड़ डालर है।

खंड १३ का मैं पहले ही विरोध कर चुका हूं। मैं उधार-सीमा ५० लाख रुपये से बढ़ा कर एक करोड़ कर देने के पक्ष में नहीं हूं। क्योंकि हमारे पास धन बहुत कम है तथा उससे एकाधिपत्य को प्रोत्साहन मिलने की आशंका है। मुझे आशा है कि सदन इस पर पूर्णतया ध्यान देगा।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक वित्त-विधेयक के तुल्य है। सदन को इस सम्बन्ध में यथासम्भव प्रत्येक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सरकार दो एक प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए ऐसा रवैया धारण किये हुए है। किसी भी व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता है। यह सदन प्रभुत्व-सम्पन्न है तथा इस के सामने अपेक्षित सूचना रखनी ही होगी।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री बीच में कुछ सूचना देना चाहते हैं जिसकी कि उन्हें अनुमति दी जाती है।

श्री त्यागी : मेरे सहयोगी जो कि इस विधेयक के प्रभारी है ; वाद-विवाद का उत्तर दे देंगे। इसलिए में अपने इस संक्षिप्त वक्तव्य में ज्यादा बातें नहीं कहूंगा। इस पर भी मैं आलोचाना में कही एक भी बात को नहीं छोड़ सकता हूं। कई बार कहा गया है कि इस सदन के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का तिरस्कार किया गया है--इस आरोप को सुन कर मुझे अत्यंत ही दुख होता है। श्रीमान्, मैं सविनय आप को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि जब मैं इस सदन् के समक्ष होता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं सारे राष्ट्र के समक्ष हूं क्योंकि यह सदन सारे राष्ट्र का प्रतिनिधि है। मुझे यह देख कर प्रसन्नता होती है कि राष्ट्र के प्रतिनिधि किस तरह राष्ट्र का धन सुरक्षित रखने के लिए उत्सुक हैं। यह लोकतंत्र का एक शुभ लक्षण है। इसलिए श्रीमान्, चाहे आलोचना कितनी ही सख्त अथवा कटु क्यों न हो, मैं सदैव ही उसका स्वागत करता हूं। मैं महसूस करता हूं कि संसद् के यथासम्भव व्यय के प्रत्येक विस्तार में तथा व्यक्तियों को उपलब्ध किए गए साधनों के विस्तार में जाना चाहिए, जैसे कि सदन करता है। मैं सच्चे हृदय से आप को तथा इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि वित्तीय सौदों के बारे में मैं अथवा यह सरकार संसद् से कोई भी चीज़ गुप्त नहीं रखना चाहती है, विशेषकर इस निगम के सम्बन्ध में। चूंकि सरकार प्रत्यक्ष रूप से इसके साथ संव्यवहार नहीं करती है, सदन का यह बात जानने के लिये उत्सुक रहना उचित ही है कि उस निगम में काम कैसे हो रहा है। मैं मानता हूं कि बजट के बारे में इस संसद् में जो जांच पड़ताल अथवा चर्चा होती है उस में प्रत्येक विस्तार की बात आ जाती है .....

श्री फ़ीरोज़ गांधी: विस्तार की बातें ही उपलब्ध नहीं ।

सभापति महोदय : वह उन पर भी आ रहे हैं ।

श्री त्यागी : मुझे खेद है । मैं उस स्वर में नहीं बोल रहा था जिस में कि मेरे मित्र मुझे से प्रश्न कर रहे हैं । विस्तार की बातें गायब नहीं हैं । मैं ने जो कुछ कहा वह केवल यह है कि सरकार की यह नीति रही है कि प्राइवेट पक्ष को चर्चा में नहीं लाया जाना चाहिए । केवल नामों का एक छोटा सा रहस्य है जिसे गुप्त रखने की कोशिश की जा रही है । इसके बारे में भी प्रधान मंत्री ने बताया है कि इस पर पुनर्विचार होगा । मैं इस पर चर्चा को उपस्थगित करने के लिए तैयार होता किन्तु मेरी कठिनाई यह है । संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजे गए प्रतिनिधि मंडल ने अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से जो बातचीत शुरू की थी वह लगभग समाप्त हुई है । तथा बैंक ने यह शर्त रखी है कि यदि इस विधेयक को, जिसके अन्तर्गत कि कुछ और अधिक शक्तियां दी जाने वाली हैं, पास करने में विलम्ब होगा तो उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय शेयर बाज़ार में उतार चढ़ाव के साथ साथ शर्तें बदलने का भी अधिकार होगा । इसलिए मुझे इस बात का डर है कि यदि इस विधेयक को पास करने में कोई विलम्ब होगा तो कहीं हमें अधिक ब्याज न देना पड़े । ब्याज की दर पहले ही अधिक है । नहीं तो हम ने सहर्ष इसे प्रवर समिति को सौंपना मान लिया होता । वहां सरकार के लिए काम और भी आसान होता क्योंकि चर्चा अधिक पास पास होती .....

डा० लंका सुन्दरम् : श्रीमन्, मैं कुछ कहना चाहता हूं । क्या वह ४८ घंटे के स्थगन की बात स्वीकार नहीं कर सकते हैं ?

श्री त्यागी : मैं बिना किसी संकोच के सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि जब कभी सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला लाया जाता है जिस में किसी माननीय सदस्य को पक्षपात अथवा भ्रष्टाचार की कोई बात दिखाई देती हो तो मैं उस मामले की पूर्णतया जांच करता हूं तथा सदस्य विशेष अथवा सदन को इसकी सूचना देता हूं । नामों को छोड़कर सदन मुझ से जो भी सूचना पूछना चाहता हो, मैं वह अभी देने को तैयार हूं । जहां तक नामों का सम्बन्ध है, माननीय प्रधान मंत्री ने बताया है कि वित्त मंत्री जी को ब्रिटेन से वापसी पर इस पर पुनर्विचार किया जायगा ।

फिर, जब निगम के किसी अधिकारी अथवा संचालक के आचरण पर कोई आपत्ति उठाई गई हो, उस में भी मेरे विचार में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए और चूंकि निगम के अध्यक्ष का नाम लिया गया है तथा उसके समवायों को जो ऋण दिये गए हैं उस पर आपत्ति उठाई गई है, मैं समझता हूं कि मुझे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिये कि उन समवायों ने कितना ऋण लिया है जिन में कि इस निगम का स्वार्थ है । इस उद्देश्य से मैं ने उन्हें कहला भेजा तथा मुझे प्रस्न्नता है कि उन्हों ने यह बात मान ली है कि मैं उन ऋणो के बारे में सदन को सूचना दे दूं जोकि उन्होंने लिए है । इसलिए मैं अनुचित रूप से उनके रहस्यों को प्रकट नहीं कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने मेरी प्रार्थना पर लिखा है कि मैं ऐसा कर सकता हूं तथा मैं, इसलिए श्रीमन्, इसे पढ़ना चाहता हूं ।

" प्रिय त्यागी जी ,

मुझे यह देखकर अत्यन्त ही दुख होता है कि संसद् में निगम के विरुद्ध अनुचित आलोचना की गई है तथा इसके अध्यक्ष के रूप में मुझ पर गम्भीर आरोप लगाए गए हैं । . . .

" औद्योगिक वित्त निगम के बोर्ड में केवल दो ऐसे सदस्य हैं जो कि उद्योगपति हैं । एक श्री बीरेन मुखर्जी हैं और दूसरा

[श्री त्यागी]

मैं हूं "—अर्थात श्री श्रीराम, " श्री बीरेन मुखर्जी बैंकरों के प्रतिनिधि हैं तथा मैं रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधि हूं। श्री बीरेन मुखर्जी चूंकि कार्यापालिका समिति में नहीं हैं इसलिए वह ऋणों की मंजूरी नामजूरी पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। आरोप केवल मुझ पर ही लगाया जा सकता है . . . . . बोर्ड में सरकार के तीन प्रतिनिधि हैं। जिन में खंडूभाई देसाई संसद् सदस्य तथा दो अन्य सरकारी सदस्य हैं। सहकारी समितियों के दो प्रतिनिधि, अनुसूचित बैंकों को दो तथा बीमा कम्पनियों के दो प्रतिनिधि हैं तथा मेरे विचार में इन में से किसी एक को भी उद्योगपति का नाम नहीं दिया जा सकता है।"

आगे उन्होंने कहा है कि :

" दो समवायों ने जिनका कि दूसरों के सार्थ मेरा सार्थ भी प्रबन्ध अभिकर्ता है, इस निगम से ऋण लिए हैं तथा यह दो समवाय उन बहुत ही कम समवायों में से हैं जो कि समय पर अपनी किस्तें अदा करते रहे हैं तथा उन्होंने कालावधि बढ़ाने की कोई प्रार्थना नहीं की है, जब कि १३ समवाय नियमों का पालन न कर सके हैं। "

श्री श्री राम का जिन समवायों में वैयक्तिक स्वार्थ है उन्हें निम्नलिखित ऋण दे दिए गये।

(१) बंगाल पाटरीज़ लिमिटेड—ने २० लाख रुपये के लिए प्रार्थना की तथा ३ नवम्बर १९४८ को इसके लिए २० लाख रूपये मंजूर किये गए। उन्होंने ६ लाख रुपया वापस अदा किया है तथा १४ लाख रुपये अभी बकाया हैं।

(२) जे इंजीनियरिंग बर्कस लिमिटेड—ने पहले ४० लाख रुपये के लिए प्रार्थना की तथा इन्हें केवल २० लाख रुपया दे दिया गया। १९५२ में उन्होंने फिर २० लाख रुपये के लिए प्रार्थना की तथा इन्हें इस समय १६ लाख रुपये दे दिया गया। इस समवाय को जो दो ऋण दे दिए गए उनके सम्बन्ध में वित्त मंत्री जी से भी मशवरा किया गया। यह इसलिए किया गया क्योंकि श्री श्रीराम निगम के अध्यक्ष थे तथा उचित जांच के बिना अध्यक्ष द्वारा ऋण लेने का कोई प्रश्न ही नहीं था।

यही कुछ वक्तव्य मैं सदन के समक्ष देना चाहता था। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हर मामले में जब कि प्रार्थना-पत्र दिया जाता है तो इसे जांच के लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के पास भेज दिया जाता है। उनकी टिप्पणी जब प्राप्त होती है तो फिर ऋण मंजूर करने से पहले अनौपचारिक रुप से वित्त मंत्री जी से मशवरा किया जाता है तथा जो समिति यह ऋण मंजूर करती है उस में हमारा अपना सचिव भी है। मेरे लिए ऐसा संदेह करने का कोई कारण ही नहीं कि कोई अनियिमित बात हुई है। हां, यदि माननीय सदस्य के पास कोई सूचना हो तो मैं उन्हें वचन देता हूं कि मैं उस विशेष मामले में सच्चे हृदय से जांच करूंगा तथा सदन को सूचना दे दूंगा।

श्री गाडगिल : इस वाद विवाद के दौरान में जो भी कहा गया है वह लाभदायक ही सिद्ध होगा। सदन की धारणा है कि जब भी कभी सरकार किसी निकाय में धन लगाए तो इस ससंद् को उस बात की जांच का अवसर प्राप्त होना चाहिए कि जो धन अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत्तशासी निकाय को दिया गया है क्या उसका दुरुपयोग तो नहीं हुआ है। संसदीय शासन का यह एक सिद्धान्त है कि सरकार की वित्तीय वचनबद्धियों के सम्बन्ध में संसद् का फैसला निर्णायक होना चाहिये। श्री त्यागी तथा प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध

में सदन को जो आश्वासन दिए है उस से हमें बड़ी हद तक संतुष्ट हो जाना चाहिये। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि औद्योगिक संस्थाओं के सम्बन्ध में सरकारी प्रबन्ध तथा स्वामित्व का प्रश्न दिन प्रति दिन अधिक महत्वपूर्ण बनता जाता है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्त निश्चित करे जिस से कि जब कभी संसदीय नियंत्रण का प्रश्न उत्पन्न होगा तो हम उन सिद्धान्तों की ओर निदेश कर सकें। प्रधान मंत्री ने भी यह बात स्वीकार की है कि संसद् को ऐसी संस्थाओं पर नियंत्रण रखना चाहिये। परन्तु इस निगम के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि हम किस व्यवस्था के आधार पर इसके कार्यसंचालन की बात को सदन के सामने ला सकते हैं। चर्चा के दौरान में जो भी ऐसे प्रश्न उठाये गए हैं वह पूर्ण तयः वैधानिक हैं। डा० कृष्णास्वामी ने शिकायत की कि ऋण देते समय प्रादेशिक हितों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं महसूस करता हूं कि संसद् का यह कर्तव्य है कि वह इस बात की ओर ध्यान दे कि सारे प्रदेशों से न्याय हो।

मेरा अपना अनुमान है कि कपड़ा उद्योग की अपेक्षा मशीनें आदि तैयार करने के उद्योग को ऋण के रूप में सहायता दी जानी चाहिये थी जिस से कि देश आत्म-निर्भर हो जाता। इसी उद्देश्य के लिये योजना आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अथवा इस सदन द्वारा किये गए निश्चयों के आधार पर जारी किये गए निर्देशों का इस औद्योगिक वित्त निगम द्वारा पालन होना चाहिये।

श्री त्यागी: मैं इस से सहमत हूं।

श्री गाडगिल: मैं उन मित्रों से सहमत नहीं हूं जो कि यह कहते हैं कि इस निगम को चाहिये कि वह छोटे तथा दरम्यानी उद्योगों को भी ऋण दे। आर्थिक क्षेत्र में भी एक प्रकार का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये। राज्य औद्योगिक वित्त निगम दरम्यानी उद्योगों की आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। इसी तरह सहकारी संस्थायें कुटीर उद्योगों तथा छोटे उद्योगों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है। इस निगम का काम बड-बड़े तथा मूल उद्योगों को ही ऋण देना होना चाहिये। प्रबन्ध की दृष्टि से भी यही कुछ सुविधाजनक होगा। इस व्यवस्था से बेकारी की समस्या भी किसी हद तक हल होगी।

वादविवाद के दोरान में विधेयक के उपबन्धों का कोई विरोध नहीं किया गया। जो भी प्रहार हुये वह इस निगम के कार्य संचालन के सम्बन्ध में हुए। परन्तु श्री त्यागी के आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि इस मामले को यहां पर ही छोड़ा जाना चाहिये। जहां तक समवायों के नाम बताने का प्रश्न है प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस पर पुनर्विचार होगा और भी यह कोई गूढ़ रहस्य की बात नहीं। संयुक्त स्कंध समवायों के रजिस्ट्रार के पास विभिन्न समवायों के जो वार्षिक विवरण प्राप्त होते है, उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से हमें मालूम होगा कि किस किस समवाय को यह ऋण दिया गया है। मेरा यह सुझाव है कि इस निगम के कार्य-संचालन की बीच बीच में जांच की जानी चाहिये। हमें बताया गया है कि सरकार को इस निगम में लगी पूंजी से ब्याज प्राप्त हुआ है तथा इसके अलावा इस पर कर भी लगाया गया है। कुछ भी हो सरकार ने गत पांच वर्षों में लगभग २७ लाख रुपया प्रत्याभूतित लाभांश के रुप में अदा किया है। इस से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि इस निगम पर हमारा अधिक तथा सतर्कतापूर्ण नियंत्रण रहना चाहिये। जहां तक विधेयक के उपबन्धों का सम्बन्ध है यह ठीक है। इसके अलावा मेरा सुझाव है कि रक्षित निधि की सीमा

[श्री गाडगिल

बढ़ा दी जानी चाहिये । जहां तक उन समवायों के नाम बताने का प्रश्न है जिन्हें कि ऋण दिये गए हैं मेरा अनुमान है कि यह प्रकट करने से लाभ ही हो सकता है, हानि नहीं ।

श्री सारंगधर दास : (ढनकनाल-पश्चिम कटक) : श्रीमन्, मैं इस सदन का अधिक समय न ले कर केवल अपने प्रदेश उड़ीसा के बारे में कुछ शब्द कहूंगा । उड़ीसा औद्योगिक रुप से एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है । १९४५ अथवा १९४६ में यहां दो कपड़े की मिलें खोली गईं । इन में से एक कम्पनी जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपये से कुछ अधिक है । इस ने सार्वजनिक अंशदान द्वारा लगभग २३ लाख रुपया एकत्रित किया था । इसके पश्चात इसने उड़ीसा सरकार को १६ अथवा १७ लाख रुपये के शेयर बेचे तथा इसके अलावा इस से ३० अथवा ३५ लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया। कुछ समय के बाद यही समवाय औद्योगिक वित्त निगम से ४० अथवा ५० लाख रुपये कर्ज़ा लेने में सफल हुआ । मेरे कहने का आशय यह है कि इस समवाय की कुल अधिकृत पूंजी जो लगभग सवा करोड़ रुपये है, उस में से केवल २३ लाख रुपये उस कम्पनी के अपने हैं । शेष लगभग एक करोड़ रुपया सरकार का पैसा है—चाहे यह उड़ीसा सरकार का हो अथवा भारत सरकार का ।

श्री त्यागी : मेरा पूरा विश्वास है कि निगम ने इस समवाय के परिसम्पत्त पर अपने प्रथम अधिकार को ध्यान में रखा होगा ।

श्री सारंगधर दास : मैं आप से तथा अपने व्यवसायिक मित्रों से यह जानना चाहता हूं कि द्वितीय ऋणदाता सम्पत्ति को कैसे बन्धक पर ले सकता है जबकि प्रथम ऋणदाता ने पहले ही इस सम्पत्ति को बन्धक पर लिया हो ।

इस मिल के बारे में उड़ीसा सरकार ने प्रचार किया कि यह मिल उड़ीसा निवासियों की है तथा इस से उन्हें मोटा कपड़ा, जिसकी कि उड़ीसा में काफी खपत होती है, उपलब्ध होगा । परन्तु हुआ क्या ? ज्योंही इस मिल ने १९५० में उत्पादन का काम शुरू किया इसका कोई भी कपडा कटक के बाजार में नहीं आया । यह कपड़ा जोकि बहुत बढ़िया किस्म का था कलकत्ता तथा सिंगापुर की मंडियों में भेजा जाने लगा । इतना पैसा लगाने के बावजूद उड़ीसा सरकार को कपड़ा नहीं मिल सका ।

इसी मिल ने एक वितरण समवाय स्थापित किया । इस के कर्मचारियों में एक भूतपूर्व मंत्री, विधान सभा का एक भूतपूर्व अध्यक्ष तथा भूतपूर्व संसद् सदस्य भी शामिल हैं । इस मिल पर कृपादृष्टि का क्या कारण है ? कारण यह है कि इसके प्रबन्ध संचालक औद्योगिक वित्त निगम के अध्यक्ष का एक निकट सम्बन्धी है । अभी श्री त्यागी ने इस निगम के अध्यक्ष के पत्र का हवाला दते हुये कहा कि केवल दो ऐसे समवायों को ऋण दे दिया गया है जिन में कि उसका स्वार्थ है । हम यह जानना चाहते थे कि उसके कितने रिश्तेदारों तथा मित्रों को यह सहायता दी गई है । इसीलिये हम इन समवायों के नाम भी जानना चाहते थे । मैं ने इस मामले का इसलिये ज़िक्र किया क्योंकि मैं यह दिखाना चाहता था कि इस निगम के प्रबन्धकों की ओर से किस तरह अपने भाई बन्धों के घर भरने की कोशिश की जा रही है । यह एकाधिपत्य केवल निगम के अध्यक्ष के सम्बन्धियों तक ही सीमित नहीं, अपितु हमार

उस पुराने मित्र को भी प्राप्त है जिस ने कि केन्द्रीय सरकार से परमिट लिये हैं तथा जिसका कि मैं पिछल दिन ज़िक्र कर चुका हूं। इस व्यक्ति विशेष पर उड़ीसा सरकार की कृपा दृष्टि है। इसे हर प्रकार की सहायता दी गई है। तालचर कोयला से कृत्रिम पेट्रोल निकालने से सम्बन्धित अनुसन्धान के लिए ६ लाख रुपया दिया गया। फिर शीतकों (रफ्रीगेटर्स) में उड़ीसा सरकार ने धन लगाया है। १० लाख रुपये कर्ज़ा देने के लिए एक बैंक को गारंटी दी गई है। अर्थात उड़ीसा सरकार एक प्रकार की ज़ामिन बनी। हीराकुद बांध योजना में भी इस महानुभाव का डेढ़ करोड़ रुपये का ठेका है। इन में से अधिकांश बातों के सम्बन्ध में मैं ने सरकार से सूचना मांगी थी जो कि मुझे नहीं दी गई। सारांश यह कि हम स्वयं नये एकाधिपत्य को जन्म दे रहे हैं। पंच-वर्षीय योजना में इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि अधिक आय वाले वर्गों तथा कम आय वाले वर्गों में जो असमानता है वह कम करदी जायगी। क्या इस असमानता को दूर करने का यही तरीका है ?

फिर मैं यह बताना चाहता हूं कि जब आप बीस लाख, पचास लाख अथवा एक करोड़ रुपये नये समवायों को ऋण के रुप में दे देते हैं ; तो आप इन का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करत ? यह ठीक है कि एक समवाय को जिसकी अपनी पूंजी पचास लाख अथवा एक करोड़ रुपया हो, आप दस लाख रुपये ऋण देते हैं और आप इसका प्रबन्ध सम्भाल नहीं सकते हैं। परन्तु जहां आप बिना किसी उचित प्रतिभूति के बड़ी बड़ी धनराशियां ऋण के रुप मे दे देते हैं वहां आप इनको अपने प्रबन्ध में ही क्यों नहीं लेते हैं ? पूंजी लगा के भी आप इन्हें प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में क्यों देते हैं जिस से कि वह लखपति बन जायें तथा उत्पादन तथा वितरण पर एकाधिपत्य प्राप्त करें।

मैं यह बात महसूस करता हूं कि औद्योगिक वित्त निगम को चाहिये कि वह ऐसे उद्योगों को सहायता दे जो कि नये हों। चीनी जैसे पुराने उद्योगों को सहायता देने में कौन सी बुद्धिमानी है ? लेकिन फिर भी इसे १० लाख रुपये ऋण दिया गया। ऐसा क्यों ? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह ऋण चीनी की नई मिलें खोलने के लिये दिया गया है अथवा पुरानी मिल के आधुनिकीकरण के लिए ? इसके अलावा मेरा अपना विचार है कि चीनी की मिलें उत्तर में न होके दक्षिण में होनी चाहिये थीं। परन्तु इन मिलों को उत्तर से दक्षिण ले जाने में करोड़ों रुपया लगेगा। कुछ भी हो वर्तमान परिस्थिति में चीनी उद्योग को ऋण देना किसी भी तरह उचित नहीं था विशेषकर जबकि हमारे पास ४ लाख टन चीनी ऐसी पड़ी है जिसके लिए कोई खरीदार नहीं।

कुछ लोगों की यह आदत बन गई है कि वह जहां तहां आंग्ल-अमरीकी साम्राज्यवाद का होआ खडा करते हैं। मैं इस में कोई साम्राज्यवाद नहीं देखता हूं। हां यह ठीक है कि हम नहीं चाहते हैं कि विदेशी हमारे उद्योग को चलाते रहें। किन्तु वह एक अलग बात है।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य और अधिक समय बोलना चाहते हैं ?

श्री सारंगधर दास : जी हां, श्रीमन्।

सभापति महोदय : चर्चाधीन विषय-वस्तु निस्सन्देह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस पर २५ नवम्बर से चर्चा करते आये हैं। लगभग १५ सदस्य बोल चुके हैं इस बात को दृष्टि में रखते हुये हमें इस बात का निश्चय करना चाहिये कि यह चर्चा कब समाप्त हो।

पंडित अलगूराय शास्त्री (जिला आजमगढ़-पूर्व व जिला बल्लिया पश्चिम) : कल सायं के पांच बजे ।

कई माननीय सदस्य : जी हां, जी हां ।

सभापति महोदय : मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि नियम २५७ के अन्तर्गत मैं निश्चय करता हूं कि कल सायं के पांच बजे इस प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त होगी ।

श्री त्यागी : मेरी एक प्रार्थना है । चूंकि इस प्रस्ताव पर शीघ्रातिशीघ्र चर्चा करना अपेक्षित है इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इस के समस्त वाचन कल ही समाप्त होने चाहियें ।

सभापति महोदय : नियम के अन्तर्गत जब किसी प्रस्ताव पर लम्बा चोड़ा वाद-विवाद होता है तो हम केवल उसी प्रस्ताव के लिए समय-सीमा निश्चित करते ह । मैंने सदन की इच्छा जाननी चाही, तथा उस ने उस समय यह मान लिया कि इस प्रस्ताव पर कल सायं के पांच बजे वादविवाद समाप्त होगा । इसका उस समय कोई विरोध नहीं हुआ । इसलिए हमें इस पर सहमत हो जाना चाहिये ।

राज्य परिषद् से संदेश

सचिव : श्रीमन्, मुझे सूचना देनी है कि राज्य परिषद के सचिव से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :—

" राज्य परिषद के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम १६२ के उप-नियम (६) के अन्तर्गत मुझे निदेश दिया गया है कि मैं चीनी पर अधिक उत्पाद-शुल्क लगाने आदि से सम्बन्धित विधेयक को, जो कि लोक सभा ने अपनी २० नवम्बर १९५२ वाली बैठक में पास किया था तथा जिसने इसे फिर राज्य परिषद के पास अपनी सिपारिशें देने के लिए भेजा था वापस करुं तथा निवेदन करूं कि राज्य परिषद को उस विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिपारिश नहीं करनी है"

इसके पश्चात सदन की बैठक बुधवार ३ दिसम्बर १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।